अज़ीमुश्शान तारीख़ी किताब अद्दुररुस्सनिय्यह फ़िर्रद्दे अलल वहाबिय्यह

का हिन्दी तर्जमा

बनाम

रद्दे वहाबिय्यत में दलाइल व बराहीन के

ताबनाक मोती

लेखक

शेख़ुल मुहद्दिसीन मुफ़्ती-ए- मक्कह हज़रत अल्लामा

सय्यद अहमद बिन ज़ैन दहलान अलैहिर रहमह

मुतर्जिम

सय्यद मुहम्मद

इकरामुल हक़

क़ादरी मिस्बाही

(प्रिंसिपल दारुल उलूम मख़्दूमे सुब्हानी)

कुर्ला (प) मुंबई ७०.

नाशिर

नूरे ईमान इस्लामिक आर्गनाईज़ेशन

कुर्ला मुंबई

फेहरिस्त

1	शरफे इन्तेसाब	4
2	हालाते मुतर्जिम	5
3	आग़ाज़े सुखन	7
4	दुश्मने अहमद पे शिद्दत की जिऐ	10
5	तक़रीज़े जलील	11
6	रौज़ाऐ अक़दस की ज़ियारत का सुबूत कुरआन से	14
7	क़यास से सुबूत	17
8	वजूबे ज़ियारत के क़ाऐलीन की दलील	17
9	इस दलील का जवाब	18
10	अहादीसे करीमह से ज़ियारत का सुबूत	18
11	नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से वसीले का सुबूत	22
12	वहाबियों की तरफ से जवाब	33
13	इस जवाब के मरदूद होने पर दलाइल	33
14	एक अहम नुक्ता	34
15	हयाते अंबिया के सुबूत पर दलाइल	36
16	मानेईने तवस्सुल की दलील और उस का जवाब	40
17	आयाते कुरआनियह से मजाज़े अक़ली का सुबूत	47
18	अहादीसे करीमह से मजाज़े अक़ली का सुबूत	48
19	कलामे अरब से मिजाज़े अक़ली का सुबूत	48
20	जवाज़े तवस्सुल पर मज़ीद दलाइल	50
21	दुआ के वक़्त रौज़ाऐ अक़दस की जानिब रुख करने का इस्तेहबाब	55
22	शफाअत का सुबूत	73
23	निदाऐ या रसूलल्लाह का जवाज़	74
24	मुन्किरीन की तरफ से दिऐ गऐ जवाब का रद	75
25	जिहालत व हिमाक़त की इन्तेहा	85
26	तौहीदे रबूबियत ही तौहीदे उलूहियत है	87
27	वहाबियों के एक और अक़ीदे का बुतलान	89
28	मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब और उस के पैरुकारों की जिहालत	91
29	वहाबिय्यत के बानी की हिमाक़तें	92
30	मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब के अक़ाइदे खबीसा	94
31	तहरीके वह्हाबियत अहेद बा अहेद	97
32	इन खारिजिय्यों के बारे में पेशीन गोइयाँ	110
33	मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी नबुव्वत का दावा करना चाहता था.	118
34	लतीफा	119

अज़ीमुश्शान तारीखी किताब अद्दुररुस्सनिय्यह फिर्रद्दे अलल वहाबिय्यह का हिन्दी तर्जमा

बनाम

रद्दे वहाबिय्यत में दलाइल व बराहीन के

ताबनाक मोती

लेखक
शेख़ुल मुहद्दिसीन मुफ्ती-ऐ- मक्कह हज़रत अल्लामा
सय्यद अहमद बिन ज़ैन दहलान अलैहिर रहमह

मुतर्जिम
सय्यद मुहम्मद इकरामुल हक़ क़ादरी मिस्बाही
(प्रिंसिपल दारूल उलूम महबूबे सुबहानी)
कुर्ला (प) मुंबई ७०.

<u>नाशिर</u>
नूरे ईमान इस्लामिक आर्गनाईज़ेशन
कुर्ला मुंबई

जुम्ला हुकूक ब हक़्क़े नाशिर महफ़ूज़

नाम किताब :रद्दे वहाबिय्यत में दलाइल व बराहीन के
(ताबनाक मोती)
लेखक :शेख़ुल मुहद्दिसीन मुफ्ती–ऐ– मक्कह हज़रत अल्लामा सय्यद अहमद बिन ज़ैन दहलान अलैहिर रहमह
मुतरजिम : सय्यद मुहम्मद इकरामुल हक़ क़ादरी मिस्बाही
(सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम महबूबे सुबहानी)
कुर्ला (प) मुंबई ७०.9029249679
नज़रे सानी :हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अखतर रज़ा साहब क़िब्ला मिसबाही.सदर मुफ्ती दारुल उलूम मखदूमियह, जोगेशवरी, मुंबई.
कम्पोज़िंग :मौलाना नसरुद्दीन सुबहानी
सफहात : १२०
सन इशाअत :२०१५
क़ीमत : ....
मिलने के पते : दारुल उलूम महबूबे सुबहानी कुर्ला मुंबई

शरफे इन्तेसाब

मैं अपनी इस छोटी सी कोशिश को अपने वालिदैने करीमैन और तमाम असातज़ऐ किराम की जानिब मनसूब करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ जिन की तरबिय्यत और निगाहे तवज्जोह ने एक ज़रीए नाचीज़ को इस क़ाबिल बनाया.

(गर क़बूल उफतद ज़हे इज़्ज़ो शरफ)

अज़ : खाकसारः सय्यद मुहम्मद इकरामुल हक़ क़ादरी मिस्बाही (सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम महबूबे सुबहानी) कुर्ला (प) मुंब्ई ७०. २७ ज़िल्क़ादह १४३५ हिजरी.

हालाते मुतरजिम

(एक नज़र में)

नाम वलदिय्यत के साथ : सय्यद मुहम्मद इकरामुल हक़ क़ादरी मिस्बाही इब्ने सय्यद मुहम्मद निशात हुसैन(मरहूम)

तारीखे पैदाइश :१२ सितम्बर १९८५ई

वतन : मोहल्ला सिंग्रोसी,शहर उन्नाव, यू.पी.इंडिया.

तालीम : (१)नाज़िरह, हिफ्ज, एदादियाः (मदरसा फैजे आम, उन्नाव, यू.पी.)(२) ऊला, सानियहः (दारुल उलूम वारसियह,गोमती नगर, लखनऊ,यू.पी.)(३)सालिसह से फजीलत तक व क़िराते हफसः (जामियह अशरफियह मुबारक पुर आज़म गढ़, यू.पी).

फराग़त : जामियह अशरफियह मुबारक पुर, आज़म गढ़, यू.पी.(१४३० हिजरी.२००९ई)

तालीमी असनाद : आलिम, फाज़िल(दरसे निज़ामी) फाज़िले दीनियात(अरबी फारसी बोर्ड यू.पी.)

तदरीस : दारुल उलूम महबूबे सुबहानी, इमाम अहमद रज़ा चौक, न्यू मिल रोड कुर्ला(प) (अज़ इब्तेदा ता हाल ब हैसयिते सदरुल मुदर्रीसीन)

असातज़ऐ किरामःखैरुल अज़किया हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद अहमद मिस्बाही. मुहक़्क़िके मसाइले जदीदह हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िब्लह मिस्बाही.सनदुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अब्दुश शकूर साहब क़िब्लह मिस्बाही.नसीरे मिल्लत हज़रत अल्लामह मुहम्मद नसीरुद्दीन साहब क़िब्लह मिस्बाही. ज़ीनते तदरीस शम्सुल उलामा हज़रत अल्लामह मुफ्ती शम्सुल हुदा साहब क़िब्लह. हज़रत अल्लामह मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अय्यूब मज़हर साहब क़िब्लह. अदीबे शहीर हज़रत अल्लामह मौलाना नफीस अहमद साहब क़िब्लह मिस्बाही.सदरुल उलमा हज़रत

अल्लामह सदरुलवरा साहब क़िब्लह मिस्बाही. माहिरे इल्म व फन हज़रत अल्लामह मुहम्मद नाज़िम अली साहब क़िब्लह मिस्बाही. अदीबे बेमिसाल हज़रत मुफ्ती बदरे आलम साहब किब्ला. नाज़िशे लौह व क़लम हज़रत अल्लामह साजिद अली साहब क़िब्लह मिस्बाही.

وغیرھم من نوابغ الدھر و اعلام العصر حفظھم اللہ تعالیٰ فی الدارین عن کل فتنۃ و شر۔

तालीफात व तराजिम: (१) अदिल्लऐ ईमानियह शरह क़सीदऐ नोमानियह (२)नबिऐ मुखतार की नूरानिय्यत व बशरिय्यत के जलवे (३) जहालत बे नक़ाब (४) ग़ैर मुकल्लिदीन से चन्द सवालात (५) उर्दू तर्जमा अद दुररुस सनिय्यह फिर रद्दे अलल वहाबिय्यह (६) उर्दू तर्जमा अल्जुज़्उल मफकूद मिनल जुज़्इल अव्वल मिन मुसन्नफे अब्दिर रज़्ज़ाक़(७) उर्दू तर्जमा नूरल बिदायात व खतमुन्निहायात.

अहम मक़ालात : (१) क़सीदऐ नोमानिय्यह का तहक़ीक़ी जाऐज़ह (२)अल्लामह . गुलाम रसूल सईदी साहब की शरहे मुस्लिम का तनक़ीदी जाऐज़ह (३) दीन की दावत व तबलीग़ में खवातीन का दाइयाना किरदार (४)अक़ीदऐ हयाते अंबिया कुरआन व अहादीस की रोशनी में(५) इस्लाम और साइंस.

आग़ाज़े सुख़न

ज़ेरे नज़र किताब कोई मुस्तक़िल तस्नीफ नहीं बल्कि तेरहवीं सदी हिजरी की एक तारीखी अरबी किताब **अद दुररुस सनिय्यह फिर रद्दे अलल वहाबिय्यह** का उर्दू तर्जमा है. इस में साहिबे किताब सनदुल मुहद्दिसीन ज़ैनुल हरम हज़रत अल्लामह सय्यद अहमद ज़ैन दहलान मक्की रहमतुल लाहि अलैह ने बड़े इखतिसार के साथ आयाते करीमह, अहादीसे मुबारकह और अक़वाले सलफ से इस्तेफादह करते हुऐ मामूलात व अक़ाइदे अहले सुन्नत का इस्बात और वहाबियों की बिदआत व खुराफात का इब्ताल फरमाया है. इस रिसालह में मुसन्निफ ने दलाइल के ज़रिऐ यह साबित करने की काम्याब कोशिश की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्रे अन्वर की ज़ियारत की निय्यत से सफर करना, खुदा की बारगाह में आप को वसीलह बनाना, बवक़्ते हाजत आप को सेग़ऐ निदा के साथ पुकारना और बवक़्ते ज़ियारत व दुआ आप की मज़ारे पाक की जानिब मंह और क़िब्लह की जानिब पीठ करना ना सिर्फ यह कि जाइज़ बल्कि मुस्तहसन और कारे सवाब है. तमाम सलफ व खलफ का इन पर अमल रहा है. आप ने कुरआने मुक़द्दस और अरबी मुहावरात में मजाज़े अक़ली के इस्तेमाल पर रोशनी डालते हुऐ सुबूते शफाअत पर भी सेर हासिल गुफ्तगू की है और आखिर में वहाबी तहरीक के बानी मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब नजदी के अक़ाइद व मामूलात और उस की जिहालत व हिमाक़त को भी खूब

आशकारा किया है. खुलासा यह कि किताब बहुत उम्दह और कई खूबियों की मालिक है. चौदहवीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान रजिअल्लाहु अन्हु ने साहिबे किताब से शरफे तलम्मुज़ हासिल किया है.

लिहाज़ा अपनी लाजावाब किताब اقامة القيامة على طاعنِ القيامِ لنبیّ تهامة में उसी किताब का हवाला पेश करते हुऐ साहिबे किताब को इन अल्फाज़ में याद करते हैं حضرت علامة الورىٰ ، علم الهدىٰ ، مولانا و شيخنا و بركتنا इसी किताब के अगले सफह पर मौसूफ का तज़किरह इन अलक़ाब के साथ करते हैं خاتمة المحدثين زين الحرم عين الكرم जिस शखसियत को अपने वक़्त का इमामे मुतलक़ علامة الورىٰ ، خاتمة المحدثين اور سيد المحققين जैसे अलक़ाबे गराँ क़द्र से याद करे उस की जलालते इल्मी और शाने रफी का अन्दाज़ह आप खुद लगा सकते हैं.

वहाबी तहरीक के पैदाइश के दिन से लेकर आज तक इस शैतानी व इब्लीसी जमात के रद्दो इब्ताल में यूँ तो बे शुमार किताबें और रिसाले लिखे जा चुके हैं खुद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रजिअल्लाहु अन्हु ने रद्दे वहाबियत में दफ्तर के दफ्तर तय्यार किये और इस फिरऔनी व ताग़ूती सरकश जमात के बातिल खयालात व मज़ऊमात से अहले आलम को बचाने की भरपूर कोशिश फरमाई. आप के सभी रसाइल दलीलों से भरे हुऐ हैं और अहले बातिल के लिऐ मौतका पैग़ाम हैं. दूसरे उलमाऐ अहले सुन्नत ने भी रद्दे वहाबियत में बड़ी सरगरमी के साथ हिस्सा लिया इन तमाम किताबों में हज़रत अल्लामा सय्यद अहमद ज़ैन दहलान रहमतुल्लाह अलैह कि किताब **अद दुररुस्सनिय्यह फिर रद्दे अलल वहाबिय्यह** को तारीखी हैसिय्यत हासिल है.क्यों कि जिस वक़्त अरब में आले शैख व आले सऊद बाहम मिल कर तलवार के ज़ोर पर वहाबी तहरीक को परवान चढ़ा रहे थे उसी वक़्त मक्कह की पाक सरज़मीन से मौसूफ रद्दे वहाबियत में हक़ की आवाज़ बलन्द कर रहे थे. इस किताब के तारीखी पस मन्ज़र को सामने रखने से इमामे अहले सुन्नत के मुतअल्लिक़ मुखालिफीन की जानिब से फैलाऐ गऐ प्रोपेगन्डे ग़लत साबित होते हैं. बहर हाल यह

किताब कई खूबियों की मालिक है. अरबी मे होने की वजह से सिर्फ उलमा और अरबी जानने वाले ही इस से फाइदा हासिल कर सकते थे. आम लोगों के फाइदे के लिऐ इसे हिन्दी ज़बान में तर्जमा करने की कोशिश की गई है ताकि सब लोग इस इब्लीसी जमात के फरेब और क़ुरआन व हदीसों से मुतसादिम इस के नज़रियात व खयालात के बारे में जान जाऐं.

मुझे अपनी कम इल्मी का पूरा एतराफ है.अहले इल्म की बारगाह में गुजारिश है कि अगर तर्जमा में कोई खामी या ग़लती नज़र आऐ तो नज़रअन्दाज़ करते हुऐ इस की इत्तेला फरमा दें ताकि उस को सही किया जा सके और इस किताब का तर्जमा करने वाले के लिऐ दुआ भी फरमाऐं कि अल्लाह तआला उसके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाऐ. आखिर में अपने उसताज़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद अखतर रज़ा साहब क़िब्लह मिस्बाही की बारगाह में शुकरिया अदा करता हूँ कि उन्हों ने अपना क़ीमती वक़्त निकाल कर न सिर्फ यह कि इस तर्जमा को शुरू से ले कर आखिर तक पढ़ा बल्कि गहरी नज़र से इस का मुताला भी किया और मुफीद इस्लाहात फरमा कर और दुआइया कलेमात लिख कर इसे क़ाबिले ऐतबार बनाया. अल्लाह तआला उन्हें इल्म व फज़ल की चोटियों तक पहुँचाए और उन के फैज़ को आम फरमाऐ! आमीन....

अज़!

सय्यद मुहम्मद इकरामुल हक़ क़ादरी मिस्बाही
(सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम महबूबे सुबहानी) कुर्ला (प) मुंबई ७०
.9029249679

दुश्मने अहमद पे शिद्दत किजिऐ

दुश्मने अहमद पे शिद्दत किजिऐ
मुलहिदों की क्या मुरव्वत कीजिऐ

ज़िक्र उन का छेड़िऐ हर बात में
छेड़ना शैताँ का आदत कीजिऐ

मिस्ले फारस ज़ल्ज़ले हों नज्द में
ज़िक्रे आयाते विलादत कीजिऐ

ग़ैज़ में जल जाऐं बे दीनों के दिल
या रसूलल्लाह की कसरत कीजिऐ

कीजिऐ चरचा उन्हीं का सुब्ह व शाम
जाने काफिर पर क़यामत कीजिऐ

आप दरगाहे खुदा में हैं वजीह
हाँ शफाअत बिल वजाहत कीजिऐ

हक़ तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब
अब शफाअत बिल मुहब्बत कीजिऐ

इज़्न कब का मिल चुका अब तो हुजूर
हम ग़रीबों की शफाअत कीजिऐ

मुलहिदों का शक निकल जाऐ हुजूर
जानिबे मह फिर इशारत कीजिऐ

शिर्क ठहरे जिस में ताज़ीमे हबीब
उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिऐ

ज़ालिमो! महबूब का हक़ था यही
इश्क़ के बदले अदावत कीजिऐ

वद्दुहा हुजरात अलम नशरह से फिर
मोमिनो! इतमामे हुज्जत कीजिऐ

बैठते उठते हुज़ूरे पाक से
इल्तिजा व इस्तिआनत कीजिऐ

या रसूलल्लाह दुहाई आप की
गोशमाले अहले बिदअत कीजिऐ

मेरे आक़ा हज़रते अच्छे मियाँ!
हो रज़ा अच्छा वह सूरत कीजिऐ

(हदाइक़े बख़्शिश)

नक़्शीज़े जलील

आलिमे बा अमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अखतर रज़ा साहब क़िब्लह मिस्बाही.
(सदर शोबऐ इफ्ता दारुल उलूम मखदूमियह जोगेशवरी मुंबई.)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

حامدا ومصليا ومسلما على حبيبه اشرف المرسلين وعلىٰ آله واصحابه اجمعين.

आज के मग़रिबिय्यत ज़दह, फैशन परस्त, आवारह और खुदसर माहौल ने अहले इस्लाम पर जो भयानक असरात डाले है उस का सब से बुरा असर यह है कि आम मुसलमान मज़हब व अखलाक़ के उसूल व अदाब से आज़ाद होता जारहा है.जिस ने बद मज़हबिय्यत खास तौर से ग़ैर मुकल्लिदिय्यत के लिऐ बड़ी तेज़ी से माहौल साज़गार करना शुरू कर दिया है. नतीजतन उस के खतरनाक मनाज़िर हमारी निगाहों के सामने हैं. क्यों कि यह तसलीम शुदह हक़ीक़त है कि मज़हब व मस्लक से आज़ादी और अपने अस्लाफ की रविश से दूरी व बेज़ारी इन्सान को खुद बखुद बद मज़हबिय्यत तक पहुँचा देती है. इसी लिऐ क़ुरआन ने रसूलुल्लाह की पैरवी के साथ सलफे सालिहीन और सवादे आज़म के तरीक़े पर मज़बूती सेक़ाइम रहने की तलक़ीन करते हुऐ इस रास्ते से इनहेराफ की सख्त तरीन वऐद सुनाई है

. अल्लाह तआला फरमाता है:(तर्जमा) और जो रसूलुल्लाह का खिलाफ करे बाद इस के कि हक़ रास्ता उस पर खुल चुका और मुसलमानों की राह से जुदा राह चले हम उसे उस के हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख में दाखिल करेंगे और क्या ही बुरी जगह है पलटने की.(पारह ५, सूरह निसा आयत ११५)

और अल्लाह के अखरी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवादे आज़म की इत्तेबा का हुक्म देते हुऐ उस से इन्हेराफ को जहन्नम में दाखिल होने का सबब क़रार दिया है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं:(तर्जमा) सवादे आज़म की पैरवी करो क्यों कि जो सवादे आज़म से अलग हुआ वह अलग ही जहन्नम में गया. (मिशकातुल मसाबीह बाबुल ऐतसाम बिल किताब वस्सुन्नह ३०)

लिहाज़ा इस का मुकाब्लह निहायत बेदार मग़ज़ी व मुस्तइदी और जान फिशानी के साथ फिकरी व नज़रयाती व अमली सतह पर किया जाना वक़्त की अहम ज़रूरत है. ऐसे हालात में किताब अद दुररुस सनियह (जो वहीदे अस्र आलिमे रब्बानी हज़रत अल्लामह अहमद बिन ज़ैन दहलान रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है जिस में अहले सुन्नत व जमात के अक़ाइद व मामूलात मसलन तवस्सुल, तलबे शफाअत, इस्तिमदाद, ज़ियारते क़ुबूर और हाज़रीऐ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वग़ैरह मौज़ूआत पर क़ुरआन व हदीस की रौशनी में बड़े अनोखे अन्दाज़ में बहस की गई है. दिलचस्प बात यह है कि जगह जगह सलफे सालेहीन और सवादे आज़म के अक़ाइद व नज़रिय्यात को भी इस तनाज़ुर में भी बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा गया है जो पढ़ने वाले के लिऐ विजदानी तौर पर शरहे सदर का सबब बनता है. फिर किताब के आखिर में बड़ी दयानत दारी के साथ वह्हाबिय्यत के मकरूह चेहरे से सलफिय्यत का नक़ाब उतार कर तारीखी सच्चाइयों के हवाले से यह साबित किया गया है कि वहाबिय्यत दरअस्ल खारजिय्यत ही का एक नया रूप और उसी के बतने खबीस का वलदे ज़लील है. ग़रज़ कि पूरी किताब लाजवाब मालूमात पर मुशतमल इल्म व हिकमत का एक बहरे ज़ख्खार है जो पढ़ने से तअल्लुक रखती है.) का शान्दार

उर्दू तर्जमा इसी तक़ाज़े के तकमील की एक अच्छी कोशिश है.

फकीर राक़िमुल हुरूफ ने पूरी किताब(अस्ल किताब और उस के तर्जमा की ज़ेरोक्स कापी) शुरू से आखिर तक पढ़ा. अल्हम्दु लिल्लाह कुछ मक़ामात पर थोड़ी तबदीली के इलावह पूरी किताब का तर्जमा सलीस बा मुहावरा, मुहतात और बा मक़सद पाया. इस किताब के मुतरजिम फाज़िले गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना सय्यद इकरामुल हक़ साहब मिस्बाही जमाते अहले सुन्नत के उभरते हुऐ मिसाली आलिमे दीन हैं. अहले सुन्नत की अज़ीम तरीन दरसगाह अल्जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से इन की फराग़त हुई है. और इस वक़्त मुंबई महा नगर की एक अज़ीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम महबूबे सुबहानी कुर्ला में सदरुल मुदर्रीसीन की हैसियत से दरस और इमामत व खिताबत के फराइज़ बड़ी काम्याबी के साथ अन्जाम दे रहे हैं. बड़े बा सलाहिय्यत, मुतहर्रिक, बा ज़ौक़ और सन्जीदह, खुश मिज़ाज, खुश अखलाक़ बा वक़ार और सुलझी हुई तबीअत के मालिक हैं. लिखने पढ़ने का अच्छा ज़ौक़ रखते हैं बड़ी कम मुद्दत में आप की तहरीरों के शाहकार ने अवाम व खवास को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है.

मौलाऐ करीम मौलाना की इस काविश को भी मक़बूल अवाम व खवास बना कर इन के इल्म व अमल और उमर में बरकतें पैदा फरमाऐ और दारैन की सआदतों से माला माल फरमाऐ... आमीन.....

آمین آمین یارب العالمین بجاہ سید المرسلین علیہ وآلہ افضل الصلوٰۃ واکرم التسلیم.

मुहम्मद अखतर रज़ा मिस्बाही
खादिमुत्तदरीस वल इफ्ता दारुल उलूम मखदूमियह व खतीब व इमाम मखदूमियह मस्जिद ओशिवरा बिर्ज, जोगेशवरी, मंबई.
८ रजब १४३५ हिज्री.८ जून २०१४.जुमा

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡحَمۡدُلِلّٰهِ الَّذِیۡ فَضَّلَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ عَلٰى سَآئِرِ الۡمَخۡلُوۡقَاتِ وَ شَرَّفَ أُمَّتَهٗ عَلٰى سَآئِرِ الۡأُمَمِ وَ أَعۡلٰى لَهُمُ الدَّرَجَاتِ وَعَلٰى آلِهٖ وَ أَصۡحَابِهِ الۡمُقۡتَفِيۡنَ آثَارَهٗ وَ مَنۡ تَبِعَهُمۡ فِیۡ جَمِيۡعِ الۡحَالَاتِ

अम्मा बादः मस्जिदे हराम में इल्म हासिल करने वालों का खादिम, बड़ा गुनाहगार,सियाह कार और अपने रब्बे करीम का नियाज़ मन्द मुहताज बन्दऐ फकीर अहमद बिन ज़ैनी दहलानी (रहमतुल्लाहि अलैह)अर्ज़ करता है(रब तआला उस की, उस के वालिदैन की, उस के मशाइख की, उस से मोहब्बत करने वालों की और तमाम मुसलमानों की मग़फिरत फरमाऐ) कि मुझ से ऐसे मुहिब्बीन ने दरख्वासत की जिन की मुखालिफत करना मेरे बस से बाहर है कि मैं उन के लिऐ आयाते क़ुरआनियह और अहादीसे नबविय्यह से उन दलाइल क़ातिअह को जमा करदूँ जिन से उलमाऐ अहले सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल के बाब में दलील लाते हैं. और उन अक़वाल को बयान करदूँ जो इस बाब में उलमाऐ सलफ व खलफ और अइम्मऐ मुजतहिदीनसे मन्क़ूल हैं ताकि मुनकिरीन का इन्कार बातिल व मरदूद हो जाऐ. उन की इस दरख्वास्त को क़बूल करके बहुत सी किताबों से इस्तिफादह करते हुऐ मैं ने इस रिसाले को मुरत्तब किया है. उलमाऐ अख्यार की किताबों में मौजूद तफसीली दलीलों पर भरोसा करते हुऐ मैं ने इस रसाले में निहायत इखतेसार से काम लिया है.

अल्लाह तआला आप पर रहम फरमाऐ! आप जान लें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत करना जाइज व मुस्तहसन है. क़ुरआन व हदीस और इजमाऐ उम्मत से साबित है.

आयते क़ुरआनियह से सुबूतः-(१) अल्लाह तआला फरमाता है.(तर्जमा) और जब वह अपनी जानों पर ज़ुल्म करें तो अऐ महबूब तुम्हारे पास हाज़िर हों और फिर अल्लाह से मुआफी चाहें और रसूलुल्लाह उन की शफाअत फरमाऐं तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबह क़बूल करने वाला मेहरबान पाऐंगे.(निसा) यह आयत मुबारकह उम्मते मरहूमह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने और उन से बख्शिश चाहने पर उभार रही है और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वालों के लिऐ इस्तिग़फार करने की तरग़ीब दे रही है. आप के वेसाल के बाद यह हुक्म नहीं बदला. इस आयते करीमह से यह भी मालूम हुआ कि मुसलमान अल्लाह को तौबह क़बूल करने वाला और रहम फरमाने वाला उसी वक़्त पाऐंगे जब कि वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर तौबह करें और नबी भी उन के लिऐ बखशिश की दुआ करें. रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के लिऐ इस्तिग़फार करना तो यह हर मुसलमान को हासिल है. लिहाज़ा अल्लाह तआला ने क़ुरआन में फरमायाः (तर्जमा) अए महबूब अपने खासों और आम मुसलमान मर्द और औरतों के गुनाहों की मुआफी मांगो.(मुहम्मद १९) मुस्लिम शरीफ में हदीसे सहीह है कि कुछ सहाबह ने इस आयते करीमह से वही मफहूम समझा जिस पर आयत दलालत कर रही है. जब हदीसे सहीह से रसूले पाक की बारगाह में सहाबा का आना और इस्तिग़फार करना साबित हो गया तो अल्लाह तआला की तरफ से क़बूलिय्यते तौबह और नुज़ूले रहमत को साबित करने वाले यह तीनों कामों (गुलामों का नबी की बारगाह में हाज़िर होने, तौबह व इस्तिग़फार करने, नबी का उन के लिऐ दुआ और इस्तिग़फार करने) का सुबूत मुकम्मल हो गया. आने वाली हदीसों से साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फार करना ज़ाहिरी हयात के

साथ खास नहीं. जब कि आप नबीए पाक की कमाले शफ़क़त और हद से ज़ियादह रहमत को बखूबी जानते हैं कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने रब से इस्तिग़फार करते हुऐ आता था आप उस के लिऐ बखशिश की दुआ फरमाते थे. यह आयते करीमह अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में आने वाले मखसूस लोगों के बारे में नाज़िल हुई है लेकिन इल्लत व सबब आम है लिहाज़ा आयते करीमह हर उस आदमी को आम होगी जिस के अन्दर यह सिफत पाई जाऐगी. चाहे वेसाल से पहले हो या बाद में. इसी वजह से उलमाऐ किराम इस आयत का यही मफहूम व माना समझते हैं कि आयत तमाम आने वालों को शामिल है. और उन्हों ने आने वालों के लिऐ मुस्तहब क़रार दिया है कि क़ब्रे अन्वर के पास इस आयत की तिलावत करें और अल्लाह तआला से बखशिश चाहें. उन्हों ने इस काम को मस्नून क़रार दिया है और आदाबे ज़ियारत में शुमार किया है. और चारों मज़ाहिब के मुसन्निफीन ने रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत को मनासिके हज में शुमार किया है. यह आयत इस बात पर दलालत कर रही है कि आने वाला सफर करके आया हो या ना आया हो उस से हुक्म में कुछ फरक नहीं पड़ता क्यों कि(जाऊका) मक़ामे शर्त में है और शर्त उमूम पर दलालत कर रही है. अल्लाह तआला फरमाता है:(तर्जमा) और जो अपने घर से निकला अल्लाह और उस के रसूल की तरफ हिजरत करता फिर उसे मौत ने आ लिया तो उस का सवाब अल्लाह के ज़िम्मह पर हो गया.(निसा १००)मामूली से मामूली इल्म वाला भी इस में शक नहीं करेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत करने वाला अल्लाह व रसूल की तरफ हिजरत करने वाला है क्यों कि हदीसोंकी दलालत से वाज़ेह है कि बादे वेसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत करना वेसाल से पहले आप की ज़ियारत करने ही की तरह है जिस तरह रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उन की ज़िन्दगी में करना क़तअी और यक़ीनी तौर पर आयते करीमह में दाखिल है उसी तरह वेसाल के बाद रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत करना भी

दाखिल है. जैसा कि जल्द ही हदीसों से उस का सुबूत फराहम कर दिया जाऐगा.

क़यास और अक़्ल से सुबूत:- रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत का सुबूत क़यास से भी है. क्यों कि बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस में क़बरों की ज़ियारत करने का हुक्म दिया गया है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ पाक की ज़ियारत ज़्यादह अफज़ल व आला और लाइक़ व फाइक़ है बल्कि आप के रौज़ऐ अक़दस और दूसरे औलिऐ किराम की क़बरों की ज़ियारत में कोई मुनासिबत ही नहीं(ज़मीन व आसमान का फरक है). और हदीसों से यह भी साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बक़ी और शुहदाऐ उहुद की क़ब्रों की ज़ियारत की है तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्रे अन्वर ज़ियारत की ज़्यादह हक़दार है. क्यों कि आप वाजिबुत ताज़ीम हैं और आप के रौज़ऐ पाक का दीदार महेज़ ताज़ीम करने और बरकत हासिल करने के लिऐ किया जाता है और दूसरी वजह यह है कि क़ब्रे अन्वर पर फरिश्तों की मौजूदगी की वजह से ज़ियारत करने और खड़े होकर सलातो सलाम का नज़राना पेश करने वाला अज़ीम रहमतों और बरकतों का हक़दार बन जाता है.

रौज़ऐ अन्वर की ज़ियारत का मुसतहब होना इजमाऐ मुस्लिमीन से भी साबित है.इमाम इब्ने हजर ने अपनी किताब(الجوهر المنظم فى زيارة قبر النبى المكرم) में फरमाया कि क़ाबिले एतमाद उलमाऐ किराम और अइम्माऐ इजाम की एक बड़ी जमात ने रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत के जाइज़ होने पर इज्मा नक़ल किया है. हाँ उन के दरमियान ज़ियारत के वाजिब या मुस्तहब होने में इखतेलाफ है. तो ज़ियारत के जवाज़ का इन्कार करने वाले सारे इमामों की मुखालिफत करने वाले हैं(और खर्क़ इज्मा करने वाले के गुमराह व गुम राह गर होने में कोई शुबहा नहीं).

वजूबे ज़ियारत के क़ाइलीन की दलील:- आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: (तर्जमा) यानी जिस ने काबा का हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की तो उस ने मेरे साथ बे वफाई की.यह हज़रात फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम से बे वफाई हराम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत ना करना बे वफाई पर मुशतमिल है लिहाज़ा हराम है. इस लिऐ साबित हुआ कि ज़ियारत करना वाजिब वा ज़रूरी है.

इस दलील का जवाबः- इस्तेहबाब का क़ौल करने वाले जुमहूर उलमा ने इस दलील का यह जवाब दिया कि बे वफाई उन उमूर में से है जिन का माना निस्बत करने से बदल जाता है. किसी मुस्तहब को छोड़ने वाला भी बे वफा कहलाता है क्यों कि उस ने नेकी और सिला को छोड़ दिया. और जफा (बे वफाई) का इतलाक़ तबीअत के सख्त होने और किसी से दूर होजाने पर भी होता है. लिहाज़ा साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दसकी ज़ियारत करना मुस्तहब है ना कि वाजिब. यही अकसर उलमाऐ सलफ व खलफ का मज़हबे मुहज़्ज़ब है. दोनों क़ौल में से जिस क़ौल को भी इखतियार करें यह चीज़ बहर हाल साबित है कि रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत के लिऐ सफर करना अहम इबादत और कामयाब तरीन कोशिश है. इस सिलसिले में ऐसी सरीह और सहीह हदीसें मरवी हैं जिन में शक की कोई गुन्जाइश नहीं. इन में वही शक करेंगे जो नूरे बसीरत से महरूम हैं. इस सिलसिले की चन्द हदीसें मुलाहिज़ा फरमाऐं.

अहादीसे करीमह से ज़ियारत का सबूतः-(१) आक़ाऐ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) जिसने मेरे रौज़ऐ अन्वर की ज़ियारत की उस के लिऐ मेरी शफाअत लाज़िम होगई. इसे इमाम दारे क़ुतनी और कसीर अइम्माऐ हदीस ने रेवायत किया है. इमाम सुबुकी ने अपनी किताब(شفاء السقام فی زیارة قبر خیر الانام) में इस हदीस की सनदों को और उस की सहत को साबित करने वाले अइम्माऐ हदीस के बारे में तफसीली कलाम किया है. उस के बाद उन्हों ने सुबूते ज़ियारत पर दलालत करने वाली हदीसों को ज़िक्र किया है. उन की ज़िक्र करदह तमाम रेवायतों से इस हदीस की ताईद होती है. कुछ रेवायतें मुलाहेज़ा फरमाऐं.

(२)जिस ने वेसाल के बाद मेरे रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत की गोया उस ने मेरी

ज़िन्दगी में मेरी ज़ियारत की.

(३) जो सिर्फ मेरी ज़ियारत करने के इरादे से मेरे पास आया ना कि किसी दूसरी ग़रज से तो उस का मुझ पर यह हक़ है कि क़यामत के दिन मैं उस की शफाअत करूँ.

(४) एक रेवायत इस तरह हैः जो मेरी ज़ियारत करने के इरादे से मेरे पास आया तो उस का अल्लाह तआला पर यह हक़ है कि क़यामत के दिन मैं उस की शफाअत करूँ.

इमाम अबू याला, दारे क़ुतनी, तिबरानी, बैहक़ी और इब्ने असाकिर की रेवायत इस तरह है.

(५) जिस ने हज किया और मेरी वफात के बाद मेरी क़ब्रे अन्वर के पास आकर मेरी ज़ियारत की तो गोया उस ने मेरी ज़ाहिरी ज़िन्दगी में मेरी ज़ियारत की.

(६) एक रेवायत इस तरह है कि जिस ने हज किया और मेरी वफात के बाद मेरी मस्जिद में मेरी ज़ियारत की तो वह उस आदमी की तरह है जिसे मेरी ज़ाहिरी ज़िन्दगी में मेरी ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ हो.

(७) जिस ने मदीनह आ कर मेरी ज़ियारत की तो मैं उस के लिऐ शफाअत करूंगा और उस के हक़ में गवाही दूँगा और जिस का इन्तेक़ाल हरमैन में से किसी एक में होगा तो अल्लाह तआला उसे क़यामत के दिन अमान वालों में उठाऐगा. इस इज़ाफे के साथ इसे अबू दाऊद अत्तयालीसी ने रेवायत किया है. उस के बाद इमाम सुब्की ने बहुत सी हदीसें रेवायत की हैं. यह सारी हदीसें रौज़ऐ अक़दस के ज़ियारत के जाइज़ होने पर दलालत कर रही हैं. उन्हें ज़िक्र करके में कलाम को लम्बा नहीं करना चाहता. यह तमाम हदीसें न सिर्फ यह कि ज़ियारत के मुस्तहब होने में सरीह हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वेसाल के पहले वबाद मर्द व औरत हर एक के लिऐ ज़ियारत को मोअक्कद कर रही हैं.

जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत के इरादे से सफर करना जाइज़ है इसी तरह दूसरे नबियों और शुहदा व सालिहीन की क़ब्रों की ज़ियारत के लिऐ सफर करना भी जाइज़ है. ज़ियारत में सफर दाखिल है क्यों कि

ज़ियारत ज़ाइर के मकान से जिस की ज़ियारत की जाऐ वहाँ पर जाने का तक़ाज़ा करती है जिस तरह इस आयते करीमह ولو انهم اذظلموا انفسهم جاؤك में लफ़ज़े جآءُوُ बसराहत मुन्तक़िल होने का तक़ाज़ा कर रहा है.

जब हर ज़ियारत क़ुरबत (इबादत) है तो उस के लिऐ सफर करना भी क़ुरबत होगा और सहीह हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में मदफून अपने सहाबह की क़ब्रों की ज़ियारत के लिऐ और ग़ज़वऐ उहुद में शहीद होने वाले सहाबह की क़ब्रों की ज़ियारत के लिऐ तशरीफ ले गऐ. जब यह साबित हो गया कि दूसरों की ज़ियारत के लिऐ एक जगह से दूसरी जगह जाना मशरू है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अन्वर की ज़ियारत के लिऐ जाना बदरजऐ औला जाइज़ होगा. और मुत्तफक अलैह क़ाइदह है कि क़ुर्बत व इबादत का हुसूल जिस ज़रिया और वसीलह पर मौक़ूफ होगा उस क़ुर्बत तक पहुँचाने के लिहाज़ से वह वसीलह भी क़ुर्बत में शुमार होगा लिहाज़ा अगर इत्तेफाक़न किसी दूसरी जिहत से इस वसीलह से किसी जुर्म (मसलन ग़सब शुदह रास्तह पर चलना वग़ैरह) का इन्ज़ेमाम हो जाऐ तो इस में कोई मुनाफात नहीं. इस क़ाइदे से यह साबित होता है कि जिस तरह ज़ियारत करना क़ुर्बत है इसी तरह उस के लिऐ सफर करना भी क़ुर्बत है. और जिस(जाहिल) ने यह गुमान किया कि रसूले पाक के रौज़ऐ अक़्दस की ज़ियारत करना महेज़ क़रीब में रहने वाले के लिऐ इबादत है तो उस ने शरीअत पर झूट लगाया. उस की बात क़बूल नहीं की जाऐगी.

और कुछ ईमान से महरूम लोगों ने जो यह खयाल किया कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अन्वर की ज़ियारत और उस के लिऐ सफर करने से रोकना सिर्फ अक़ीदऐ तौहीद की हिफाज़त के लिऐ है. क्यों कि कभी कभी इन्सान इस से शिर्क तक पहुँच जाता है. इन कम बख्तों का यह खयाल बातिल व मरदूद है. इस लिऐ कि शिर्क उस वक़्त होगा जब कि क़ब्रों को मस्जिद बनाया जाऐ या उन के पास ऐतकाफ किया जाऐ और उन में तस्वीरें बनाई जाऐं, क्यों कि इन उमूर का शिर्क होना अहादीसे

सहीह में वारिद है. ज़ियारत करना, सलामी भेजना और दुआ करना उस के बरखिलाफ हैं. हर अक़लमन्द इन दोनों में फरक कर सकता है. अब यह बात साबित हो गई कि ज़ियारत करने वाला अगर शरीअत के आदाब मलहूज़ रख कर ज़ियारत करे तो उस से कोई भी शरअी खराबी लाज़िम नहीं आती. रौज़ऐ अक़्दस की ज़ियारत से रोकने वाले अल्लाह तआला और उस के रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बोहतान (इल्ज़ाम) लगाने वाले हैं.

यहाँ पर दो चीज़ें ज़रूरी हैं. (१) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को लाज़िम जानना और उन्हें सारी मखलूक से अफ्ज़ल व बेहतर समझना. (२) अल्लाह तआला की तौहीद का इक़रार करना और यह ईमान रखना कि अल्लाह तआला अपनी ज़ात व सिफात और अपने तमाम अफआल में अपनी सारी मखलूक में मुन्फरिद और यकता है. जो इन(ज़ात व सिफात और अफआल) में किसी मखलूक को अल्लाह तआला का शरीक जाने वह मुशरिक है और जो रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन के मरतबा से नीचे करदे तो वह सख्त गुनाह गार या काफिर है. और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने में ज़ियादती तो करे लेकिन अल्लाह तआला के सिफाते खास्सह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिऐ साबित ना माने तो ऐसा इन्सान हक़ तक पहुँच गया और उस ने रबूबिय्यत व रिसालत दोनों के पहलुओं की रिआयत व हिफाज़त की. यह क़ौल बिल्कुल मोतदिल (दरमियानी) और इफरात व तफरीत से खाली है.

और आप ने जो फरमाया कि: सिर्फ तीन मसाजिद की तरफ सफर करना जाइज़ है. मस्जिदे हराम, मेरी यह मस्जिद(मस्जिदे नबवी) और मस्जिदे अक़्सा. तो इस का मतलब यह है कि इन तीनों मस्जिदों के इलावह किसी और मस्जिद की ताज़ीम या उस में नमाज़ पढ़ने की निय्यत से शद्दे रिहाल (सफर) ना किया जाऐ. सिर्फ इन तीनों मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने और इन की ताज़ीम करने के लिऐ ही शद्दे रिहाल किया जाऐ.इस हदीस की यह तावील करना निहायत ज़रूरी है क्यों कि अगर तक़दीरी माना

यह ना हो तो यह हदीस जिहाद,हज, हिजरत अज़ दारे कुफ्र, तलबे इल्म और तिजारते दुनया के लिऐ सफर के हराम व नाजाइज़ होने का तक़ाज़ा करेगी. हालाँ कि इस का क़ाइल कोई नहीं.

अल्लामा इब्ने हजर अपनी किताब الجوهر المنظم में फरमाते हैं: हदीसे मज़कूर की इस तावील की सेहत पर वह हदीस दलालत कर रही है जो सनदे हसन के साथ मरवी है और जिस में यह सराहत है कि मस्जिदे हराम, मेरी इस मस्जिद और मस्जिदे अक़सा को छोड़ कर किसी और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिऐ रख्ते सफर बान्धना और शद्दे रिहाल करना जाइज़ नहीं.

खुलासऐ कलाम यह है कि यह मस्ला बिल्कुल वाज़ेह और रौशन है. इस सिलसिलह में मुकम्मल किताबें लिखी गई हैं. लिहाज़ा बात को इस से ज़ियादह तवील करने की ज़रूरत नहीं. क्यों कि अल्लाह ताला जिस की बसीरत को रौशन व ताबनाक करदे तो उस के लिऐ इस से भी कम में किफायत है और जिस की बसीरत छीन ले तो आयाते क़ुरआनियह और दलीलों के ढेर भी बे फाइदह साबित होते हैं.

रही बहस वसीले की तो इस का सुबूत भी रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबऐ किराम और अइम्मऐ सलफ व खलफ के अक़वाल व अफआल से मुलाहेज़ा फरमाऐं.

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से वसीला का सुबूत:- बहुत सी अहादीस सहीहा में आया है कि नबी यूँ दुआ फरमाते थे﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيۡنَ عَلَيۡكَ﴾अऐ अल्लाह मैं तुझ से उस हक़ के वसीले से मांगता हूँ जो साइलीन का तुझ पर है. बिला शुबहा यह तवस्सुल है. और सहीह हदीसों से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को इन मज़कूरह अल्फाज़ के साथ दुआ करने की तरग़ीब देते थे. लिहाज़ा इमाम इब्ने माजह सनदे जय्यिद के साथ हज़रत अबू सईद खुदरी से रेवायत करते हैं कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: (तर्जमा) जो अपने घर से नमाज़ के लिऐ निकलते वक़्त यह दुआ पढ़ता है. अऐ अल्लाह! मैं तुझ से सवाल

करने वालों के हक़ के वसीले से और तेरी बारगाह में अपनी इस हाज़री के वसीले से सवाल करता हूँ. क्यों कि मैं तकब्बुर व ग़ुरूर और दिखावे के लिऐ नहीं निकला बल्कि तेरी नाराज़गी से बचने और तेरी रज़ा चाहने के लिऐ निकला हूँ. अऐ अल्लाह! मेरा तुझ से सवाल है कि तू मुझे दोज़ख से निजात अता फरमा और मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे! बे शक गुनाहों को सिर्फ तू ही बख्शने वाला है. (जब निकलने वाला यह दुआ मांगता है तो) अल्लाह तआला उस की जानिब खास तवज्जह फरमाता है और उस के लिऐ सत्तर हज़ार फरिश्ते दुआ करते हैं.

इसे इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब الجامع الكبير में ज़िक्र किया है और बहुतसे अइम्मऐ किराम ने भी इसे अपनी अपनी किताबों में उस मक़ाम पर ज़िक्र किया है जहाँ पर नमाज़ के लिऐ निकलते वक़्त मस्नून दुआओं का ज़िक्र आया है. कुछ उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि मैं अस्लाफ में से किसी को भी नहीं पाता कि वह नमाज़ के लिऐ जाते वक़्त इस दुआ का विर्द ना करते हों. ज़रा ग़ौर तो करें. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल بِحَقِّ السَّآئِلِيۡنَ عَلَيۡكَ में हर मोमिन बन्दे से तवस्सुल है. इस हदीस को इब्ने सनी ने मुअ्ज्जिने रसूल हज़रत बिलाल से सनदे सहीह के साथ रेवायत किया है. हदीस यह है: (तर्जमा) रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ के लिऐ निकलते तो कहते: अल्लाह के नाम से निकल रहा हूँ. मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उसी पर भरोसा किया.कोई ताक़त व क़ूव्वत नहीं मगर अल्लाह ही की जानिब से. अऐ अल्लाह! मैं तुझ से साऐलीन के हक़ और अपने इस निकलने के सबब तुझ से सवाल करता हूँ. क्यों कि मैं तकब्बुर और दिखावे के लिऐ नहीं निकला, मैं तो तेरी रज़ा चाहने और तेरी सख्ती से बचने के लिऐ निकला हूँ. अऐ अल्लाह! मै तुझ से सवाल करता हूँ कि तू मुझे दोज़ख से पनाह दे और जन्नत में दाखिल फरमा.और इसे हाफिज अबू नुऐम ने भी हज़रत अबू सईद खुदरी से रेवायत किया है. वह हदीस थोड़े से फरक के साथ है जैसे كَانَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيۡنَ عَلَيۡكَ बाक़ी अल्फाज़ वही हैं जो पहले वाली हदीस में गुजरे. और इसे हज़रत अबू सईद ही की सनद

से इमाम बहैक़ी ने भी किताबुद दावात में रेवायत किया है. इन तमाम रेवायतों में महल्ले इस्तिदलाल रसूले पाक का क़ौल بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ है. क्यों कि इन अल्फाज़ से मालूम होता है कि तवस्सुल की शुरूआत आक़ाऐ दो जहाँ से हुई है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इस तरह दुआ मांगने का हुक्म दिया. ताबओने इज़ाम और बाद के अस्लाफे किराम नमाज़ के लिऐ जाते वक़्त इस दूआ को पढ़ते और इस्तेमाल करते रहे. इन अल्फाज़ से दुआ मांगने में किसी ने भी तरद्दुद और इन्कार का इज़हार नहीं किया. (यह चीज़ें तवस्सुल के जाइज़ होने पर दलालत कर रही हैं) रसूले पाक से यह भी मन्क़ूल है कि आप कुछ दुआओं में कहते थे. بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْاَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِيْ इस रेवायत के तअल्लुक से अल्लामह इब्ने हजर ने अपनी किताब अल जौहरुल मुनज़्ज़म में फरमाया कि इस हदीस को इमाम तबरानी ने उम्दह सनद से रिवायत किया है. रसूले पाक का यह क़ौल (तर्जमा) अऐ अल्लाह मेरी माँ फातिमह बिन्ते असद को बख़्श दे और अपने नबी और अंबियाऐ साबिक़ीन के तुफैल उन की क़ब्र को कुशादह फरमा. यह भी तवस्सुल केक़बील से है. यह एक लम्बी हदीस का टुकड़ा है जिसे इमाम तबरानी ने अल मूजमुल कबीर और अल मुजमुल औसत में और इमाम इब्ने हिब्बान और इमाम हाकिम ने अपनी अपनी किताबों में हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत किया है और सहीह क़रार दिया है.हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं: जब हज़रत अली की माँ फातिमह बिन्ते असद बिन हाशिम का इन्तेक़ाल हुआ जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिय्यह थीं. आप के इन्तेक़ाल की खबर सुन कर रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गऐ और उन के सिरहाने खड़े हो कर इरशाद फरमाया: अल्लाह आप पर रहम फरमाऐ! आप मेरी वालिदह के बाद मेरी माँ के क़ाइम मक़ाम थीं. उस के बाद आप ने उन की तारीफ व तौसीफ की और उन्हें अपनी चादर का कफन अता फरमाया. फिर क़ब्र खोदने वाले जब लहद तक पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहद को अपने दस्ते अक़दस से तय्यार किया और उस की मिट्टी अपने हाथों से बाहर की. फारिग होने के बाद उन

की लहद में आप दाखिल हुऐ और उस के अन्दर लेट कर यह दुआ पढ़ी: (तर्जमा) अऐ मौत और ज़िन्दगी देने वाले और कभी ना मरने वाले खुदा! मेरी माँ फातिमह बिन्ते असद को बख़्श दे और अपने नबी और मुझ से पहले के नबियों के तुफैल उन की क़ब्र को कुशादह फरमा. क्यों कि तो ही अरहमुर राहिमीन है... इमाम इब्ने अबी शैबह ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, इमाम इब्ने अब्दुल बर ने हज़रत इब्ने अब्बास से और इमाम अबू नुऐम ने हिलयतुल औलिया में हज़रत अनस बिन मालिक से इसी के मिस्ल रेवायत किया है.

उस हदीसे सहीह में भी तवस्सुल के जवाज़ को सराहतन बयान किया गया है जिसे सनदे सहीह के साथ इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसई, इमाम बैहक़ी और इमाम तबरानी ने मशहूर सहाबिऐ रसूल हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से रिवायत किया है कि एक नाबीना इन्सान ने रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर कहा कि हुजूर! अल्लाह से मेरी आफियत की दुआ फरमा दें.उस की दरख्वासत को सुन कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिऐ दुआ करूँ अगर तू चाहे तो सब्र करे यही तेरे लिऐ बेहतर है. उस ने कहा हुजूर दुआ ही फरमा दें. आप ने उस से कहा जाओ अच्छी तरह वज़ू करके यह दुआ मांगो.(तर्जमा) अऐ अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूँ और तेरे रहमत वाले नबी मुहम्मद के वसीले से अपनी हाजत के सिलसिले में अपने रब की जानिब मुतवज्जह होता हूँ ताकि वह हमारी हाजत पूरी फरमा दे. अऐ अल्लाह! मेरे बारे में उन की शफाअत क़बूल फरमा.यह दुआ मांगते ही वह सहाबी बीना(देखने वाले) हो गऐ. एक रिवायत में है कि हज़रत उसमान बिन हुनैफ ने फरमाया: बखुदा ना हम जुदा हुऐ और ना हमारे दरमियान बहुत तवील कलाम हुआ यहाँ तक कि वह आदमी बिल्कुल सही व सालिम हो कर वापस आगया.ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कभी नाबीना हुआ ही ना हो. इस हदीसे पाक में तवस्सुल का सुबूत भी है और निदाऐ या रसूलल्लाह का जवाज़ भी. इसे हज़रत इमाम बुखारी ने अपनी तारीख में, इमाम इब्ने माजह ने अपनी सुनन में और इमाम

हाकिम ने अल मुस्तदरक में सनदे सही के साथ रिवायत किया है और इमाम जलालुद्दीन ने अल जामिउल कबीर और अल जामिउस सग़ीर में ज़िक्र किया है.

तवस्सुल का इन्कार करने वाले(वहाबी) यह नहीं कह सकते कि इस तरह का तवस्सुल रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते ज़ाहिरी में जाइज़ था और अब जाइज़ नहीं. क्यों कि उन का यह क़ौल बातिल व मरदूद और ना क़ाबिले क़बूल है. इस लिऐ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वेसाल फरमाने के बाद सहाबऐ किराम और ताबेअीन ने भी इस दुआ का इस्तेमाल किया है. चुनान्चह इमाम तबरानी और इमाम बैहक़ी ने रेवायत किया है कि हज़रत उस्मान ग़नी की खिलाफत के दौर में एक आदमी अपनी हाजत ले कर उन की बारगाह में बार बार आता था. हज़रत उस्मान ना ही उधर तवज्जो दे पाते और ना ही उस की हाजत पर ग़ौर कर पाते. उस आदमी ने हज़रत उस्मान बिन हुनैफ(इस हदीस के रावी) से शिकायत की. आप ने फरमाया: वज़ू खाना जाकर अच्छी तरह वज़ू करो और मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ो फिर इस तरह दुआ करो.दुआ करने के बाद अपनी हाजत पेश करो. वह अदमी गया और हज़रत उस्मान बिन हुनैफ के फरमान के मुताबिक अमल किया और हज़रत उस्मान ग़नी के दरे पाक के पास आकर ठहर गया. दरबान आया और उस का हाथ थाम कर दरबारे खिलाफत तक पहुँचा दिया. हज़रत उस्मान ग़नी ने उसे अपने पास बिठाया और फरमाया: अपनी हाजत पेश करो. उस ने जैसे ही अपनी हाजत पेश की आप ने उसे पूरा कर दिया. फिर फरमाया जब भी तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो तो बिला रोक टोक मेरे पास चले आया करो. बाहर आने के बाद उस की मुलाक़ात हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से हुई तो उस ने कहा: अल्लाह आप पर रहम फरमाऐ! खलीफा मेरी तरफ तवज्जोह नहीं फरमा रहे थे. अब आप की सिफारिश पर उन्हों ने मेरी हाजत पूरी की है. हज़रत उस्मान बिन हुनैफ ने जवाब दिया. बखुदा मैं ने तुम्हारी बिल्कुल सफारिश नहीं की है. बल्कि मुआम्लह यह है कि मैं ने अपनी आँखों से देखा कि एक नाबीना आदमी रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अपनी हाजत पेश

की. उस के बाद हज़रत उस्मान बिन हुनैफ ने उसे पूरा क़िस्सा सुनाया.

इस हदीसे पाक में आप के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीलह बनाने और आप को सेग़ाऐ निदा के साथ पुकारने का सुबूत है. इमाम बैहक़ी और इमाम इब्ने अबी शैबह सनदे जय्यिद के साथ रिवायत करते हैं कि हज़रत फारूक़ आज़म के ज़माने में लोग क़हत साली के शिकार हो गए.सहाबिऐ रसूल हज़रत बिलाल बिन हारिस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस पर आकर अर्ज़ किया:(तर्जमा) या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश की दुआ करके अपनी उम्मत को सैराब फरमाऐं क्यों कि वह हलाकत के दहाने पर पहुँच चुकी है. रसूले अकरम ख्वाब में तशरीफ लाऐ और बशारत दी कि उन्हें जल्द ही सैराब किया जाऐगा.

यहाँ पर खाब से इस्तदलाल नहीं है क्यों कि खाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना अगरचे हक़ है लेकिन उस से शरीआत के अहकाम का सुबूत नहीं हो सकता. क्यों कि अगरचे खाब सच्चा है लेकिन हो सकता है कि खाब देखने वाले पर कलाम मुशतबह हो गया हो. बल्कि इस्तदलाल सहाबिऐ रसूल हज़रत बिलाल बिन हारिस के कामसे(अमल) से है. क्यों कि उन का रौज़ऐ अक़दस पर आकर या रसूलल्लाह कहना और उम्मत के लिऐ नुजूले बारिश की दुआ करना ही जवाज़ की दलील है. यही तो तवस्सुल, तशफ्फु और इस्तेग़ासह है और यह अज़ीम तरीन इबादत है.

(और हदीसे पाक से साबित है कि) जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनूअह (यानी जिस पेड़ के क़रीब जाने से मना किया गया था, उस का फल) खा लिया था तो रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले ही से दुआ की थी हालाँ कि उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूदे ज़ाहिरी ना था. और जिस हदीस में आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की थी उसे हज़रत इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब दलाइलुन नुबुव्वह में सनदे सहीह के साथ रिवायत किया है. दलाइलुन नुबुव्वह वह अज़ीम किताब

है जिस के बारे में इमाम ज़हबी ने फरमाया कि इस किताब का मुताला करना अपने ऊपर लाज़िम कर लो क्यों कि यह किताब सरापा हिदायत व नूर है. इस हदीसे तवस्सुल को हज़रत इमाम बैहक़ी ने फारूक़े आज़म हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है. आप ने फरमाया कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:(तर्जमा) जब हज़रत आदम अलैहिस सलाम से इज्तेहादी खता हो गई तो रब तआला की बारगाह में अर्ज़ किया. अऐ मेरे रब! तुझे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का वास्तह मुझे बख्श दे. उन की दरख्वास्त सुन कर रब तआला ने फरमाया अऐ आदम! तूने मुहम्मद को कैसे जाना जब कि मैं ने उन्हें अब तक पैदा नहीं कया? अर्ज़ किया: अऐ मेरे रब! जब तू ने मुझे पैदा किया तो मैं ने सर उठा कर अर्श को देखा तो उस के सुतूनों पर لا إله الّا الله محمد رسول الله लिखा पाया. तो मैं ने जान लिया कि जिस ज़ात के नाम को तूने अपने नाम के साथ मिलाया है वह तेरे नज़दीक सारी मखलूक में सब से ज़्यादह महबूब है(इसी लिऐ मैं ने उन का वसीलह पेश किया है) अल्लाह तआला ने फरमाया: अऐ आदम! तूने सच कहा. वह मेरे नज़दीक मखलूक में सब से महबूब हैं. अब चूँकि तूने उन के वसीले से दुआ की है इस लिऐ मैं ने तुझे बख्श दिया. और (सुनो) अगर वह ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना करता. इसे इमाम हाकिम ने रिवायत करके सहीह क़रार दिया है और इमाम तबरानी ने रिवायत करने के बाद यह इजाफा किया है(तर्जमा) वह तेरी औलाद में आखरी नबी होंगे. हज़रत इमाम मालिक ने खलीफा मन्सूर को इसी तवस्सुल का मशवरह दिया था. हुआ यूँ कि खलीफा मन्सूर हज करने के इरादे से आया और रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत से शादकाम हुआ. उस वक़्त हज़रत इमाम मालिक मस्जिदे नबवी शरीफ में थे. उस ने आप से पूछा: अऐ अबू अब्दुल्लाह! (यह इमाम मालिक की कुन्नियत है) मैं काबा की तरफ रुख कर के दुआ मांगूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख कर के दुआ करूँ? इमाम मालिक ने उस से फरमाया: तू रसूलुल्लाह से अपना चेहरा कैसे फेर सकता है जब कि वह अल्लाह तआला की बारगाह में तेरा और तेरे वालिद हज़रत आदम का

वसीलह हैं. बल्कि उन्हीं की तरफ रुख कर के उन से शफाआत तलब कर.अल्लाह उन की शफाअत तेरे हक़ में क़बूल फरमाऐगा. अल्लाह तआला ने फरमाया है: अऐ महबूब अगर आप के उम्मती अपनी जानों पर ज़ुल्म कर के आप की बारगाह में आऐं और अल्लाह से बखशिश चाहें और रसूल भी उन के लिऐ बखशिश की दुआ करें तो वह अल्लाह को बहुत ज़्यादह तौबह क़बूल करने वाला रहम फरमाने वाला पाऐंगे. इसे इमाम क़ाज़ी ने शिफा में सनदे सहीह के साथ रिवायत किया है. और इमाम सुबकी ने शिफाउस सिक़ाम में, सय्यद समहूदी ने खुलासतुल वफा में, अल्लामह क़स्तलानी ने अल मवाहिबुल लदुनियह में, अल्लामह इब्ने हजर ने अल जौहरुल मुनज़्ज़म में और बहुत से अरबाबे मनासिक ने आदाबे ज़ियारत में ज़िक्र किया है.

हज़रत अल्लामह इब्ने हजर ने अलजौहरुल मुनज़्ज़म में फरमाया: हज़रत इमाम मालिक से यह रिवायत ऐसी सनदे सहीह के साथ मरवी है कि किसी भी अहले इल्म ने इस में तअन नहीं किया.

हज़रत इमाम ज़रक़ानी ने शरहुल मवाहिब में फरमाया: इस क़िस्सह को इब्ने फहद ने उम्दह सनद के साथ रिवायत किया और इमाम क़ाज़ी अयाज़ ने अश शिफा में ऐसी सहीह सनद के साथ बयान किया है कि जिस के तमाम रावी सिक़ह हैं. एक भी रावी हदीसें गढ़ने वाला या झूटा नहीं. इमाम ज़रकानी ने अपने इस क़ौल से उन लोगों का रद फरमाया जो यह कहते हैं कि यह रिवायत इमाम मालिक से साबित नहीं है और कहते हैं कि इमाम मालिक के नज़दीक क़ब्रे अन्वर की तरफ रुख कर के दुआ मांगना मकरूह है.तो इमाम ज़रकानी की इस सराहत व वज़ाहत से मालूम हो गया कि इमाम मालिक की जानिब कराहियत की निस्बत करना बातिल व मरदूद है.

अल्लाह तआला के क़ौल: (तर्जमा) फिर सीख लिऐ आदम ने अपने रब से कल्मे. की तफसीर में कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया: हज़रत आदम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल करना भी उन्हीं कलमात में से है जब कि उन्हों ने फरमाया: अऐ मेरे रब! तुझे मुहम्मद की हुरमत का वास्तह! मुझे बख्श दे.

और हज़र उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब लोग सख्त क़हत साली का शिकार हो कर हिलाक होने लगे तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से बारिश की दुआ की. उन की दुआ मक़बूल हुई और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से उन्हें बारिश से सैराब किया गया. इस हदीस को हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सहीह में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है. और यह तवस्सुल ही तो है.

अल्लामह क़स्तलानी ने अल मवाहिबुल लदुनियह में फरमायाः हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से बारिश की दुआ करते हुऐ फरमायाः(तर्जमा) अऐ लोगो! हज़रत अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बाप का मक़ाम रखते थे.तो उन के चचा मोहतरम हज़रत अब्बास के सिलसिले में तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और इन्हें अल्लाह की बारगाह में वसीलह बनाओ.

इस रिवायत में तवस्सुल की सराहत है. इस से उन लोगों का रद हो गया जो यह कहते हैं कि वसीलह मुतलक़न ना जाइज़ है उस के जवाज़ की कोई सूरत नहीं. जिन को वसीलह बनाया जा रहा है चाहे वह ज़िन्दह हों या वफात पा चुके हों. उन लोगों का भी रद हो गया जो यह कहते हैं कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीलह बनाना जाइज़ नहीं. और जिस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से दुआ मांगी तो उन की ज़बान से निकलने वाले आल्फाज़ यह थेः(तर्जमा) अऐ अल्लाह हम तेरे नबी के वास्ते से दुआ करते थे तो तू हमें सैराब करता था. अब हम अपने नबी के चचा के वसीले से दुआ करते हैं. पस तू हमें सैराब फरमा.

यह हदीस भी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है और बुखारी शरीफ के अन्दर मौजूद है. इस हदीस को रिवायत करने के बाद हज़रत अनस

बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का वास्तह देकर बारिश की दुआ करते थे तो उन के वसीले से लोगों को सैराब किया जाता था. अल्लामह क़स्तलानी का कलाम खत्म हुआ.

हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का काम तवस्सुल के जवाज़ की दलील है. क्यों कि उन के बारे में रसूले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हैः (तर्जमा) अल्लाह तआला ने उमर की ज़बान व दिल पर हक़ को मुकरर फरमा दिया है. इसे इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है.और इमाम अहमद और इमाम अबू दाऊद और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में हज़रत अबू ज़र ग़ेफारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है. और इसे इमाम अबू याला ने और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में हज़रत उक़बह बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है. और इमाम तबरानी ने अल मोजमुल कबीर में हज़रत बिलाल और हज़रत मुआवियह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है.

इमाम तबरानी ने अल मोजमुल कबीर में और इमाम इब्ने अदी ने अल कामिल में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) उमर मेरे साथ हैं और मैं उमर के साथ हूँ और मेरे बाद हक़ उमर के साथ होगा, चाहे जहाँ रहें. यह नवाज़िश वैसी ही है जैसी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर फरमाई थी. क्यों कि उन के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) अऐ अल्लाह! अली जहाँ भी जाऐ हक़ को उस के साथ दायर फरमा.

यह हदीस मरतबऐ सेहत पर फाइज़ है. इसे बहुत से अस्हाबे सुनन ने रिवायत किया है. तो हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जहाँ भी रहे उन के साथ हक़ होता था. इन दोनों हदीसों से अहले सुन्नत ने खुलफाऐ राशिदीन की खिलाफत

के हक़ होने पर इस्तिदलाल किया है. इस लिऐ कि हज़रते अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी खिलाफत से पहले खुलफाऐ सलासह के साथ रहे. खिलाफत के सिलसिले में उन हज़रात से कुछ भी बहस व तकरार नहीं की. और जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु खुद खलीफा बने और खिलाफत की अहलिय्यत ना रखने वालों ने आप से मुक़ाबिला किया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन से बा क़ऐदह जंग की.(तो अगर खुलफाऐ सलासह की खिलाफत हक़ ना होती तो आप हरगिज़ उन को खलीफा तस्लीम ना करते बल्कि उन से जंग करते, जिस तरह हज़रत अमीर मुआवियह से जंग की.)

लिहाज़ा साबित हुआ कि फारूक़े आज़म का हज़रत अब्बास से तवस्सुल करना जवाज़े तवस्सुल की दलील है. और इस की हुज्जियत पर दूसरी दलील रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह क़ौलः (तर्जमा) अगर मेरे बाद कोई और नबी होता तो उमर होते. इसे इमाम अहमद ने अल मुस्नद में, इमाम तिरमिज़ी ने अस्सुनन में , हाकिम ने अल मुस्तदरक में हज़रत उकबह बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से और इमाम तबरानी ने अल मोजमुल कबीर में हज़रत अस्मा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है. और इमाम तबरानी ने अल मोजमुल कबीर में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) मेरे बाद अबू बकर व उमर की पैरवी करना. क्यों कि यह दोनों अल्लाह की मज़बूत रस्सी हैं. जिस ने इन का दामन थामा उस ने ऐसी मज़बूत रस्सी को पकड़ लिया जो टूट नहीं सकती.

सवाल यह पैदा होता है कि हज़रत उमर ने हज़रत अब्बास से तवस्सुल किया, रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों नहीं किया? तो इस का जवाब यह है कि ताकि लोग जान जाऐं कि ग़ैरे नबी के वसीले से भी बारिश की दुआ करना जाइज़ है. इस में कोई हरज नहीं है. और यह तो सब को मालूम था कि नबी के वसीले से दुआ करना जाइज़ है लेकिन यह मुमकिन था कि किसी के दिल व देमाग़ में ग़ैर नबी से तवस्सुल के अदमे जवाज़ (ना जाइज़ होने) का वहम पैदा हो तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने

हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से बारिश की दुआ करके उस के जवाज़ को बतला दिया. अगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वेसाल के बाद भी उन्हीं के वसीले से बारिश की दुआ करते तो मुमकिन था कि कुछ लोग यह समझते कि नबी के इलावह किसी और के वसीले से दुआ करना जाइज़ नहीं है.

वहाबियों की तरफ से जवाबः-किसी कहने वाले (वहाबी व ग़ैर मुकल्लिद) को यह कहने की गुन्जाइश नहीं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्बास का वसीलह इस लिऐ लिया कि वह ज़िन्दा थे और रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीलह इस लिऐ नहीं लिया कि वह वेसाल फरमा चुके थे. और वेसाल के बाद किसी का वसीलह पेश करना जाइज़ नहीं है. क्यों कि हम इस के क़ाइल को यह जवाद देंगे कि तुम्हारा वहम व गुमान बातिल व मरदूद है. तुम्हारे इस क़ौल के बातिल व मरदूद होने पर बहुत सी दलीलें क़ाइम हैं.

इस जवाब के मरदूद होने पर दलाइलः-आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबऐ किराम ने वेसाल के बाद भी वसीलह बनाया है. इस की तफसील उस क़िस्सह में गुजर चुकी जिस में हज़रत उसमान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि एक आदमी हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में बार बार आता था..... बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में भी इस की तफसील गुजर चुकी है. और अभी अभी गुजरा कि हज़रत आदम अलैहिस सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन के वजूद से पहले तवस्सुल किया है. इस तवस्सुले आदम वाली हदीस को हज़रत फारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही रिवायत किया है तो भला यह वहम कैसे किया जा सकता है कि हज़रत उमर फारूक़े आज़म रसूले पाक के वेसाल के बाद के तवस्सुल के अदमे जवाज़ के क़ाइल थे. रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्रे मुबारक में ज़िन्दह हैं उस के बावजूद फारूक़े आज़म ने ऐसी हदीस रिवायत की जो आप की विलादत से पहले आप से जवाज़े तवस्सुल पर दलालत कर रही है. (खाली यह बताने के लिऐ कि आप से तवस्सुल हर वक़्त जाइज़ रहा है. विलादत से

पहले भी, विलादत के बाद भी और वेसाल के बाद भी).

इस पूरी बहस का खुलासा यह हुआ कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीलह बनाना विलादत से पहले भी जाइज़ था. हयाते ज़ाहिरी में भी जाइज़ था और अब वेसाल के बाद भी जाइज़ है. इस बहस से यह भी साबित हुआ कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलावह अल्लाह के दूसरे नेक बन्दों का तवस्सुल भी जाइज़ है जैसा कि हज़रत फारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीलह बना कर साबित कर दिया. और रहा यह सवाल कि फारूक़े आज़म ने सारे सहाबा को छोड़ कर खास हज़रत अब्बास ही का वसीलह क्यों पेश किया? सो इस का जवाब यह है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा इस लिऐ किया ताकि अहले बैते किराम का शरफ ज़ाहिर हो जाऐ और यह वाज़ेह हो जाऐ कि अफज़ल की मैजूदगी में मफज़ूल को वसीलह बनाना जाइज़ है. इस लिऐ कि उस वक़्त हज़रत अली मौजूद थे जो कि हज़रत अब्बास से अफज़ल हैं.एक **अहम नुक़तहः-** कुछ आरफीन ने फारमाया कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ कर हज़रत अब्बास को वसीलह बनाने में एक दूसरा नुक्तह है जो कि पहले नुक्ते से ज़्यादह नफीस है. वह यह कि हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़अीफुल ईमान मोमिनों पर शफक़त करने के लिऐ ऐसा किया.क्यों कि अगर वह रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बारिश की दुआ मांगते और बारिश हो जाने में ताखीर हो जाती(क्यों कि दुआ का क़बूल होना अल्लाह की मरज़ी पर मौक़ूफ होता है.) तो ऐन मुमकिन था कि ज़अीफुल ईमान मोमिनों के दिलों में तरह तरह के वसवसे पैदा हो जाते और वह लोग बेक़रारी का इजहार करते(और उन का ईमान फासिद हो जाता) बर खिलाफ ग़ैरे नबी से तवस्सुल करने के. क्यों कि अगर उस वक़्त इजाबत में ताखीर हो जाती तो ना ही किसी के दिल में वसवसे पैदा होते और ना ही कोई बेक़रार होता.

हासिल कलाम यह कि हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन

की हयाते ज़ाहिरी में वसीलह बनाना जाइज़ था और अब वेसाल के बाद भी जाइज़ है. इसी तरह दूसरे नबियों , रसुलों और औलिया व सालिहीन को भी वसीलह बनाया जा सकता है. पिछली हदीसें इस पर दलालत कर रही हैं. इस लिऐ कि हम अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदह यह है कि अल्लाह वहदहू लाशरीका लहू के इलावह किसी को भी मौजूद करने, मादूम करने,(बज़ाते खुद) नफा व व नुक्सान पहुँचाने और पैदा करने की क़ुदरत नहीं है. हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिऐ भी बिज़्ज़ात नफा व नुक्सान पहुँचाने और असर अन्दाज़ होने का ऐतक़ाद नहीं रखते. किसी और ज़िन्दह या मुर्दह के लिऐ भी हम ऐसा ऐतक़ाद नहीं रखते. लिहाज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया व मुरसलीन और औलिया व सालिहीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमअीन से तवस्सुल करने में कुछ भी फरक नहीं.चाहे यह हज़रात ज़िन्दह हों या वफात पा चुके हों. क्यों कि यह हज़रात किसी चीज़ के खालिक़ नहीं और ना ही किसी चीज़ में बिज़्ज़ात असर अन्दाज़ होते हैं. इन से तो महेज़ बरकत हासिल की जाती है क्यों कि यह अल्लाह तआला के महबूब बन्दे हैं. और रहा पैदा करना, मौजूद करना, मारना और नफा व नुक्सान पहुँचाना और इन जैसी सिफात तो यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला के साथ खास हैं.

और जो लोग यह कहते हैं कि ज़िन्दह आदमी को वसीलह बना सकते हैं लेकिन जो वफात पा चुका हो उसे वसीलह बनाना ठीक नहीं. तो (उन के इस फरक) से यह वहम पैदा होता है कि यह लोग ज़िन्दह की तासीर के क़ाइल हैं और मुर्दह की तासीर के क़ाइल नहीं.और हम लोग यह कहते हैं कि हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह तआला है. उस ने तुम को भी पैदा किया और तुम्हारे आमाल को भी. तो जो लोग ज़िन्दह से तो तवस्सुल के क़ाइल हैं लेकिन मुर्दह से नहीं. दर हक़ीक़त यह लोग ग़ैरुल्लाह की तासीर के क़ाइल हैं और ग़ैरुल्लाह के मुअस्सिर होने का ऐतक़ाद रखते हैं लिहाज़ा ये खुद मुशरिक हुऐ. उन्हों ने ही अपनी तौहीद में शिर्क को दाखिल किया. फिर यह नादान व अहमक़ लोग किस मुँह से तौहीद की हिफाज़त का दावा करते हैं. और दूसरों(हम

अहले सुन्नत व जमात) की जानिब शिर्क मन्सूब करते हैं.

पस तवस्सुल, तशफ्फू और इस्तेग़ासह तीनों का माना एक ही है. मोमिनों के दिलों में उन का माना सिर्फ और सिर्फ यही है कि अल्लाह तआला के महबूब बन्दों का ज़िक्र करके बरकत हासिल की जाऐ, क्यों कि यह साबित शुदह हक़ीक़त है कि अल्लाह तआला इन के तुफैल बन्दों पर रहम फरमाता है. खाह वह ज़िन्दह हों या वफात पाचुके हों. तो दर हक़ीक़त मुअस्सिर व मूजिद अल्लाह तआला ही है और इन अखयार का ज़िक्र उस तासीर के लिऐ सबबे आदी है. जिस तरह कसबे आदी की खुद कोई तासीर नहीं होती (इसी तरह सबबे आदी की बिज़्ज़ात खुद कोई तासीर नहीं होती. यह महज़ वसीलह और ज़रिया है.) और अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक अंबियाऐ किराम अपनी अपनी क़ब्रों में ज़िन्दह हैं. इस अक़ीदह पर बहुत सी दलीलें क़ाइम हैं. कुछ दलीलें मुलाहेज़ा फरमाऐं.

हयाते अंबिया के सुबूत पर दलाइलः- (१)(तर्जमा) नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं शबे मेराज मूसा (अलैहिस्सलाम) की क़ब्र के पास से गुज़रा. देखा को वह अपनी क़ब्र मे नमाज़ पढ़ रहे हैं. (२) (तर्जमा) आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैंः मैं हज़रत इबराहीम (अलैहिस सलाम) के पास से गुजरा तो उनहों ने मुझ से कहा कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुँचा दी जिऐ और यह कि मैं अपनी उम्मत को बता दूँ कि जन्नत की मिट्टी पाकीज़ह है. उस की ज़मीन हमवार है और उस की खेती यह कलिमात हैंः سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
(३) इसी तरह वह हदीस भी हयाते अंबिया पर दलालत कर रही है जिस में शबे मेराज बैतुल मुकद्दस में अंबियाऐ किराम के इजतेमा का ज़िक्र है जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन की इमामत फरमाई थी और फिर आसमानों में उन्हों ने आप से मुलाक़ात का शरफ हासिल किया था. (४) वह हदीस भी हयाते अंबिया पर दलालत कर रही है जिस का मज़मून यह है कि जब अल्लाह तआला ने पचास वक़्त की नमाज़ें फर्ज़ फरमाईं तो हज़रत मूसा अलैहिस सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से

अर्ज़ कियाः आप रब तआला के पास तशरीफ ले जाऐं क्यों कि आप की उम्मत पचास वक़्त की नमाज़ें ना पढ़ सके गी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हज़रत मूसा से रब तबारक व तआला की तरफ पलटते रहे यहाँ तक कि पाँच वक़्त की नमाज़ें बाक़ी बचीं.
(५) हदीसे पाक (तर्जमा) अंबियाऐ किराम हज करते हैं और तलबियह पढ़ते हैं. भी इसी क़बील से है.

इन अहादीसे सहीहा पर किसी भी मुहद्दिस ने तअन नहीं किया लिहाज़ा तफसील के साथ ज़िक्र कर के गुफतगू को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं.

और शुहदा की हयात का सुबूत नस्से क़ुरआनी से है और अंबियाऐ किराम शुहदा से अफजल और आला हैं तो उन के लिऐ हयात बदरजऐ औला साबित होगी. यहाँ पर यह भी समझने की बात है कि जो हयात अंबिया और शुहदा के लिऐ साबित है यह दुनयवी हयात की तरह नहीं है. बल्कि इस से मुराद ऐसी ज़िन्दगी है जो फरिश्तों की हालत से मुशाबहत रखती है. उस की सिफत व हक़ीक़त को सिर्फ अल्लाह तआला जानता है. हम पर उस हयात की सिफत व हक़ीक़त से बहस किऐ बग़ैर उस के सुबूत पर ईमान लाना ज़रूरी है. और जब बात यह है तो अंबिया व शुहदा में से हर एक के ज़िन्दह होने और वफात पाकर दुनयावी ज़िन्दगी से मुन्तक़िल होने के दरमियान कुछ भी मुनाफात नहीं. क्यों कि उन के वफात पाने का मतलब यह है कि उन की दुनयावी ज़िन्दगी खतम हो गई. और उन के ज़िन्दह होने का मतलब यह है कि उन की दूसरी ज़िन्दगी का अग़ाज़ हो गया. इस तक़रीर से वह ऐतराज़ दूर हो गया जे आयते करीमह (तर्जमा) बे शक तुम्हें इन्तेक़ाल फरमाना है और उन को भी मरना है. से वारिद हो रहा था.इस तअल्लुक से कलाम बड़ी बड़ी किताबों में फैला हुआ है लिहाज़ा (इस छोटे से) रिसाले में उसे ज़िक्र कर के बात को लम्बी करने की कोई ज़रूरत नहीं.

अगर कोई कहने वाला यह कहे कि तवस्सुल से रोकने वालों का शुबहा यह है कि उन्हों ने कुछ लोगों को ऐसे अल्फाज़ इस्तेमाल करते हुऐ देखा जिस से यह वहम होता है

कि वह लोग ग़ैरुल्लाह की तासीर के क़ाइल हैं. और यह लोग औलिया और सालिहीन से उन की ज़िन्दगी में और वेसाल फरमाने के बाद ऐसी चीज़ों का सवाल करते हैं जिन्हें आदतन अल्लाह तआला ही से मांगा जाता है. और यह लोग औलिया से कहते हैं: मेरा फलाँ काम कर दीजिए! मेरी बिगड़ी बना दीजिऐ! और कभी कभी यह लोग ऐसे शख्स की विलायत का एतक़ाद रख लेते हैं जो विलायत से कोसों दूर होता है और यह लोग उस की जानिब करामात और बुलन्द मक़ामात को मन्सूब करते हैं हालाँ कि वह आदमी इन चीज़ों का अहल नहीं होता और ना ही उस के अन्दर यह सारे औसाफ पाऐ जाते हैं. तो शिर्क के वहेम को दूर करने और फसाद के ज़रिया को बन्द करने के लिऐ इन तवस्सुल का इन्कार करने वालों ने अवाम को इन तमाम चीज़ों से भी रोक दिया जिन की शरीअत में गुन्जाइश थी अगर चे उन को पता है कि अवाम ग़ैरुल्लाह की तासीर का या उन के नफा देने या नुकसान देने का एतक़ाद नहीं रखते बल्कि महेज़ बरकत हासिल करने के लिऐ इन हज़रात को वसीलह बनाते हैं. अगरचे औलिया की जानिब कुछ चीज़ें मन्सूब करते हैं लेकिन बहर हाल उन के मुअस्सिरे हक़ीक़ी होने का अक़ीदह नहीं रखते. (अगर कोई नादान ऐसी बात कहे) तो हम उसे यह जवाद देंगे कि अगर बात वही है जो आप ने कहा कि आप ने (कुफ्र व शिर्क के) ज़रिया को बन्द करने का इरादा किया है तो फिर किस चीज़ ने आप को उम्मते मुस्लेमह के आलिम व जाहिल और आम व खास की तकफीर पर उभारा? और आप ने मुतलक़न तवस्सुल का इन्कार क्यों किया? मुनासिब तो यह था कि अवाम को ऐसे अल्फाज़ के इस्तेमाल करने से रोकते जिन से ग़ैरुल्लाह के मुअस्सिर होने का गुमान हो रहा था और उन्हें बाबे तवस्सुल में अदब की राह पर चलने का हुक्म देते (ना कि उन पर कुफ्र व शिर्क का फतवा जड़ते) हालाँ कि ग़ैरुल्लाह की तासीर का वहेम पैदा करने वाले अल्फाज़ को मजाज़ पर महमूल करना मुमकिन है. यह मजाज़, मजाज़े अक़ली है जो कि अहले इल्म के नज़दीक शाऐ व ज़ाऐ है. तमाम मुसलमान इस (मजाज़े अक़ली) का इस्तेमाल करते हैं. क़ुरआन व हदीस में भी इस का इस्तेमाल कसरत से हुआ है. (तर्जमा) इस खाने ने मुझे आसूदह

किया. इस पानी ने मुझे सैराब किया. इस दवा ने मुझे शिफा दी. इस डाक्टर ने मुझे नफा पहुँचाया... ऐसे जुमले कहने वाला अगर दहरियह ना हो बल्कि मुवह्हिद हो तो अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक उन्हें मजाज़े अक़ली ही पर महमूल किया जाऐगा. क्यों कि खाना खुद आसूदह नहीं करता, हक़ीक़ी आसूदगी बख्शने वाला अल्लाह तआला है. खाना तो महेज़ सबबे आदी है. इस की कोई तासीर नहीं. इस की जानिब आसूदह करने की निस्बत मजाज़े अक़ली है (बाक़ी मिसालों को इसी पर क़यास कर के समझ लें) तो जब अल्लाह तआला की तौहीद का इक़रार करने वाला और ईमान वाला ग़ैरुल्लाह की तरफ किसी काम की निस्बत करे तो उसे मजाज़े अक़ली पर महमूल करना वाजिब व ज़रूरी है. उस का मुसलमान और मुअह्हिद होना ही उस मजाज़ का क़रीना है जैसा कि उलमाऐ मआनी ने अपनी अपनी किताबों में इस की सराहत कर दी है और यह क़ाइदह उन के नज़दीक मुत्तफक अलैह है. और तवस्सुल को मुतलक़न मना करने की कोई हाजत नहीं. क्यों कि अहादीसे सहीहा उस के सुबूत पर दलालत करती हैं और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबऐ किराम और उलमाऐ सलफ व खलफ से इस का सुदूर हुआ है लिहाज़ा मानेईने तवस्सुल में से कुछ का तवस्सुल को हराम क़रार देना और कुछ का इसे कुफ्र व शिर्क क़रार देना बातिल व मरदूद है क्यों कि (इस क़ौल की सेहत की बुनियाद पर) उम्मत मुसलिमह की बहुत बड़ी जमात का ज़लालत पर इकट्ठा होना लाज़िम आरहा है. और जो आदमी भी सहाबऐ किराम और उलमाऐ सलफ व खलफ के कलाम में तलाश व जुस्तजू करे गा तो तवस्सुल को इन हज़रात से बल्कि बहुत से मोमिनों से कभी कभी सादिर होता पाऐगा. और अकसरे उम्मत का हराम या कुफ्र पर मुत्तफिक होना मुमकिन नहीं, क्यों कि हदीस में आया है: आक़ा सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:(तर्जमा) यानी यह मुमकिन नहीं कि मेरी उम्मत ज़लालत व गुमरही पर मुत्तफिक हो जाऐ.... कुछ मुहद्दिसीन ने इस हदीस के मुतवातिर होने का क़ौल किया है. और अल्लाह तआला फरमाता है: (तर्जमा) तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई... (आले इमरान ११०) जब

यह उम्मते मुहम्मदियह सारी उम्मतों से बेहतर है तो भला यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि पूरी उम्मत या अकसरे उम्मत गुमराह हो जाऐ. तो जब मानेईन का मक़सद फसाद को रोकना था और लोगों को ग़ैरुल्लाह की तासीर का वहम पैदा करने वाले अल्फाज़ को इस्तेमाल करने से मना करना था तो उन के लिऐ ज़रूरी यह था कि कहते(भइयो!) तवस्सुल ऐसे अल्फाज़ से होना चाहिऐ जिन से ग़ैरुल्लाह के मुअस्सिर होने का वहेम ना पैदा हो. मसलन वसीलह पैश करने वाला यूँ कहेः(तर्जमा) अऐ अल्लाह! मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे नबियों और तेरे नेक बन्दों का वसीलह पेश करता हूँ कि तू मुझे यह अता फरमा... इन के लिऐ हरगिज़ यह जाइज़ नहीं था कि तवस्सुल से मना करके अल्लाह तआला की तासीर का ऐतक़ाद रखने वाले मुसलमानों पर कुफ्र का फतवा जड़ने की जसारत करें.

मानेईने तवस्सुल की दलील और उस का जवाब :- तवस्सुल से मना करने वाले इस आयते करीमह से इस्तदलाल करते हैंः (तर्जमा) रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा ना ठहराओ जैसा तम में एक दूसरे को पुकारता है... इस आयते करीमह में अल्लाह तआला ने मोमिनों को नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह पुकारने से मना फरमा दिया जिस तरह वह एक दूसरे को पुकारते हैं. यानी वह नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेकर ना पुकारें. इसी पर क़यास करते हुऐ(वहाबियों की तरफ से) यह कह दिया जाता है कि ग़ैरुल्लाह से यानी अंबियाऐ किराम और औलियाऐ किराम से ऐसी चीज़ों का मुताल्बह ना किया जाऐ जिन्हें आदतन अल्लाह तआला ही से मांगा जाता है ताकि बज़ाहिर अल्लाह तआला और उस की मखलूकात में मुसावात ना होने पाऐ. अगरचे यह तलब अल्लाह ही से है क्यों कि वही शैए का मूजिद और उस में मुअस्सिर है और ग़ैर से तलब सबब आदी होने की वजह से है. लेकिन कभी कभी इस से भी तासीर का वहेम हो जाता है लिहाज़ा इस वहेम से बचने के लिऐ इस तलबे ग़ैरुल्लाह से भी रोक दिया जाऐगा.

इस का जवाब यह है कि यह चीज़ तवस्सुल से मुतलक़न रोक देने का तक़ाज़ह नहीं करती और ना ही इस बात का तक़ाज़ह करती है कि किसी मुअह्हिद को (अंबियाऐ किराम वग़ैरह से) तलब करने से रोक दिया जाऐ. क्यों कि तलब जब किसी मुअह्हिद से सादिर हो तो उसे मजाज़े अक़ली पर महमूल किया जाऐगा. तो उसे शिर्क या हराम क़रार देने की वजह समझ में नहीं आती. अगर ये (बेवक़ीफ)लोग उसे खिलाफ अदब क़रार देते और तवस्सुल को इस शर्त के साथ जाइज़ रखते हैं कि तवस्सुल में अदब का लिहाज़ किया जाऐ और शिर्क या हराम का वहम पैदा करने वाले अल्फाज़ से बचा जाऐ तो इस की सूरत निकल सकती थी. लेकिन मुतलक़न तवस्सुल से रोकने की कोई सूरत नज़र नहीं आती.

हज़रत अल्लामह इब्ने हजर रहमतुल लाहि अलैह ने अल जौहरुल मुनज़्ज़म में फरमायाः तवस्सुल, तशफ्फू, इस्तेग़ासह और तवज्जोह के अल्फाज़ के ज़रियह किसी को वसीलह बनाने में कोई फरक नहीं है. इस लिऐ कि तवज्जोह जाह से बना है. जाह रुतबा की बलन्दी को कहते हैं और कभी मरतबे वाले को उस की बारगाह का वसीलह बनाया जाता है जिस का मरतबा उस से बलन्द हो. और इस्तेग़ासह का माना मदद तलब करना है. और फरयाद करने वाले का मक़सद यही होता है कि जिस से फरयाद की गई है उस से मदद हासिल हो जाऐ. अगर मुस्तग़ास बिही मुस्तग़ीस से अफजल वा आला हो. तो नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ या किसी और की जानिब मुतवज्जेह होने और उन से मदद लतब करने का मफहूम मुसलमानों के दिलों में सिर्फ यही है कि हक़ीक़तन मदद की तलब अल्लाह तआला ही से है और सबबे आदी होने की वजह से मजाज़न ग़ैरुल्लाह से है, कोई भी मुसलमान इस माना के इलावह किसी दूसरे माना का इरादह नहीं करता. जिस का सीना इतनी मामूली सी बात समझने के लिऐ कुशादह ना हो उसे अपने ऊपर आँसू बहाना चाहिऐ.

साबित हुआ कि मुस्तग़ास बिही हक़ीक़त में अल्लाह तआला ही है और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम उस के और मुस्तग़ीस के दरमियान वास्तह हैं. पस हक़ीक़त में मुस्तग़ास बिही तो अल्लाह तआला ही है. मदद उसी की इजाद से है और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाज़न मुस्तग़ास बिही हैं आप से तलब करना सबबे आदी और कसबे आदी की वजह से है क्यों कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जोह देते हैं और अपनी बुलन्द क़दर व मनज़िलत की वजह से अल्लाह तआला की बारगाह में (फरियाद करने वालों की) सिफारिश करते हैं. जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमायाः (तर्जमा) यानी आप ने खल्क़ व इजाद के एतबार से नहीं मारा बल्कि कसब व सबब के एतबार से मारा है और खल्क़ व इजाद के एतबार से सिर्फ अल्लाह ने मारा है...

इसी तरह अल्लाह के क़ौलः (तर्जमा) तो तुम ने उन्हें क़त्ल ना किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें क़त्ल किया..(अनफाल १७) और रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौलः (तर्जमा) तुम्हें मैं ने सवार नहीं किया बल्कि अल्लाह ने तुम्हें सवार किया है... को समझना चाहिये. और कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ के तआल्लुक से हदीस हक़ीक़त को बयान करती है और क़ुरआन मजाज़ को, इस तौर से कि क़ुरआन ने फेल की इज़ाफत कासिब की तरफ की हो. मसलन रब तआला ने फरमायाः (तर्जमा) जन्नत में दाखिल हो जाओ उन आमाल के सबब जो तुम करते थे...(अन नहल ३२) और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) तुम में से कोई अपने आमाल की वजस से जन्नत में नहीं जाऐगा.. इन दोनों में कोई तज़ाद नहीं है. क्यों कि आयते करीमह ने सबबे आदी को बयान किया है और हदीसे पाक में सबबे हक़ीक़ी यानी फाइले हक़ीक़ी के फेल का बयान है और वह अल्लाह तआला का फज़्ल व करम है (हदीसे पाक का माना यह होगा कि अल्लाह तआला के फज़्ल व करम के बग़ैर कोई शख्स जन्नत मे नहीं जाऐगा.)

खुलासऐ कलाम यह है कि जिस से बा ऐतबारे कसब मदद तलब की जाऐ उस के लिऐ इस्तेग़ासा का इत्लाक़ करना ऐदा मसला है जो बिलकुल वाज़ेह है. इस (के जाइज़ होने) में ना ही लुगत के एतबार से कोई शक है और ना ही शरीअत के एतबार से कोई शक. तो जब आप यह कहें कि अऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा! तो आप ने उस मे बाएतबारे खल्क़ व ईजाद के इस्नादे हक़ीक़ी मुराद लिया है. और जब कहें या रसूल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी फरयाद को पहुँचें तो आप ने सबब व कसब के एतबार से और शफाअत के वास्ते से इस्नादे मजाज़ी मुराद लिया है. अगर मैं उम्मत के अइम्मऐ सलफ व खलफ के कलाम की जुसतजू करता तो इस सिलसिला में मुझे इस से बहुत ज़्यादह मवाद मिल जाता. बल्कि खुद आहादीसे सहीहा में इस से ज़्यादह दलाइल मौजूद हैं. उन्हीं में से एक हदीस वह है जो सहीह बुखारी में है किः (तर्जमा) लोगों का यही हाल होगा फिर वह हज़रत आदम से इस्तेग़ासह करेंगे. उस के बाद मूसा अलैहिस सलाम से और उस के बाद हज़रत मुहम्मद सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तेग़ासह करेंगे..... आप ज़रा ग़ौर करें कि आक़ा सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हक़ीक़त को इस्तग़ासू बि आदम से ताबीर फरमाया है(और इस में कोई क़बाहत या बुराई नहीं) क्यों कि आदम से इस्तेग़ासह मजाज़न है. हक़ीक़ी मुस्तग़ास बिही तो अल्लाह तआला ही है. और हदीसे सहीह में है आक़ा सलल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैंः(तर्जमा) जो शख्स मदद का मुहताज हो तो यूँ पुकारे अऐ अल्लाह के बन्दो! मेरी मदद करो... और दूसरी रिवायत में अग़ीसूनी का सेग़ह है.

और क़ारून के क़िस्सा वाली हदीस में हैः (तर्जमा) जब क़ारून को ज़मीन में धंसाया गया तो उस ने मूसा अलैहिस सलाम से फरयाद की. लेकिन उन्हों ने उस की फरयाद नहीं सुनी बल्कि यह कहने लगे अऐ ज़मीन! इसे पकड़ ले तो अल्लाह ने क़ारून की फरयाद ना सुनने पर मूसा अलैहिस्सलाम से नाराज़गी का इजहार फरमाया और

कहा कि उस ने तुम को पुकारा तो तुम ने उस की मदद नहीं की. अगर मुझे पुकारता तो मैं ज़रूर उस की मदद करता... इस हदीस में अल्लाह तआला की तरफ इस्तेग़ासह की निस्बत हक़ीक़ी और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मजाज़ी है.

और कभी नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल करने का माना आप से दुआ करने की गुजारिश करना भी होता है. क्यों कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र मुबारक में ज़िन्दह हैं. साइल के सवाल से वाक़िफ हैं. बिलाल बिन हारिस वाली हदीस अभी गुजर चुकी है जिस में है कि उन्हों ने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अन्वर के क़रीब आ कर फरयाद की: या रसूलल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिऐ रब तआला से बारिश की दुआ करिऐ..... इस से मालूम हुआ कि रफऐ हाजात के लिऐ रसूले अकरम सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त की जा सकती है, जिस तरह आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते ज़ाहिरी में आप से दुआ की दरख्वास्त की जाती थी क्यों कि आप सवाल करने वालों के सवाल सुनते थे हालाँ कि सवाल करने वाला बराहे रास्त खुदा से सवाल करके, उस से दुआ मांग कर और उस की बारगाह में दरख्वास्त पेश करके मक़सद के हुसूल का सबब पैदा कर सकता था. यह भी मालूम हुआ कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, आप की हयाते ज़ाहिरी में और वेसाल फरमाने के बाद हर भलाई के हुसूल के लिऐ आप को वसीलह बनाना जाइज़ है. इसी तरह मैदाने महशर में भी हम गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करेंगे. इस अक़ीदह पर अहादीसे मुतवातिरह दलालत कर रही हैं. तवस्सुल का इन्कार करने वालों और उस से रोकने वालों के वजूद से पहले ही इस के जवाज़ पर उम्मत का इजमा हो चुका है क्यों कि आप को नेमतों से नवाज़ने वाले और अपने फ़ज़्ल व कमाल के साथ खास फरमाने वाले रब तआला की बारगाह में आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी शान और बुलन्द

मक़ाम हासिल है. और तवस्सुल की बरकतों से महरूम रहने वालों और उस से रोकने वालों का यह खयाल(कि तवस्सुल व ज़ियारत से रोकना तौहीद की हिफाज़त के लिऐ है क्यों कि यह दोनों इन्सान को शिर्क तक पहुँचा देते हैं) बातिल व मरदूद है. क्यों कि तवस्सुल व ज़ियारत को जब शरीअत मुतह्हरह के आदाब का खयाल रखते हुऐ अन्जाम दिया जाऐ तो उन से कोई शरई क़बाहत लाज़िम नहीं आती चे जाऐ कि शिर्क लाज़िम आ जाऐ. और शिर्क के महेज़ गुमान से तवस्सुल से रोकने वाला अल्लाह व रसूल पर इफ्तेरा करने वाला है.

तवस्सुल से रोकने वाले यह एतक़ादे फासिद रखते हैं कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना जाइज़ नहीं है. इस लिऐ यह नादान लोग जिस को भी आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हुऐ पाते हैं उस पर कुफ्र व शिर्क का फतवा ठोंक देते हैं. हालाँ कि उन का यह अक़ीदह बिलकुल ग़लत है क्यों कि अल्लाह तआला ने क़ुरआने मुक़द्दस में अपने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुब खूब ताज़ीम की है. लिहाज़ा जिन की ताज़ीम अल्लाह ने खुद की और हमें करने का हुक्म दिया हम पर उन की ताज़ीम व तौक़ीर करना वाजिब व ज़रूरी है. हाँ यह ज़रूरी है कि हम आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबूबियत की किसी सिफत से ना जोड़ें. हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही खूब कहा है...

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِىْ نَبِيِّهِمْ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمْ

(तर्जमा) ईसाइयों ने अपने नबी के बारे में जो दावऐ उलूहियत किया उस को छोड़ दो. उस के इलावह रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह तारीफ करना चाहो करो और इसी पर क़ाइम रहो.....

तो अल्लाह तआला की सिफते खास्सह से जोड़े बग़ैर आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना ना ही कुफ्र है और ना ही शिर्क. बल्कि ताज़ीमे मुस्तफा

अज़ीम तरीन ताअत व इबादत है. इसी तरह अंबियाऐ किराम व मुरसलीने इज़ाम हलैहिमुस्सलाम, मलाइकऐ मुकर्रबीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन की ताज़ीम करना अल्लाह तआला की इताअत और उस की बारगाह में बलन्दी हासिल करने का ज़रिया है. क्यों कि इन हज़रात की ताज़ीम करने का हुक्म अल्लाह तआला ही ने दिया है. उसी ने इन हज़रात को मुअज़्ज़म बनाया है. अल्लाह तआला फरमाता है:(तर्जमा) और जो अल्लाह के निशानों की ताज़ीम करे तो यह दिलों की परहेज़गारी है... (अल हज ३२) दूसरी जगह फरमाता है: (तर्जमा) और जो अल्लाह की हुरमतों की ताज़ीम करे तो वह उस के लिऐ उस के रब के यहाँ भला है.... (अल हज ३०). शबे विलादत खुशी का इज़हार करना, मीलाद शरीफ पढ़ना, ज़िक्रे विलादत के वक़्त क़याम करना, खाना खिलाना और ऐसे आमाल सालिहा करना कि जिन के करने की लोगों में आदत जारी है यह सारे काम आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की क़िस्मों में से हैं. मीलादे मुस्तफा सलल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस के मामूलात से मुतअल्लिक़ मुस्तकिल किताबें लिखी जा चुकी हैं और यह मसला (मीलादे मुस्तफा) ऐसा मसला है जिस की जानिब उलमा ने काफी तवज्जोह दी है और दलाइल से लबरेज़ किताबें लिखी हैं लिहाज़ा इस बहस को छेड़ कर गुफतगू को लम्बी करने की ज़रूरत नहीं.

काबा मुक़द्दसह, हजरे अस्वद और मक़ामे इबराहीम उन चीज़ों में से हैं जिन की ताज़ीम करने का अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है. ज़रा ग़ौर करें! यह सब के सब पत्थर हैं उस के बावजूद अल्लाह ने हमें इन की ताज़ीम करने का हुक्म दिया है. खानऐ काबा का तवाफ करने और रुक्ने यमानी को छूने का हुक्म दिया. हजरे अस्वद को बोसा देने और मक़ामे इबराहीम के पीछे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया. मुस्तजार, बाबे काबा, मुाल्तज़िम और मीज़ाबे रहमत के पास दुआ करने के लिऐ खड़े होने का हुक्म दिया. और इन सब पर उलमाऐ सलफ व खलफ का अमल रहा है. यह सब मुअह्हिद

थे. सिर्फ अल्लाह तआला की इबादत करते थे. ग़ैरुल्लाह की तासीर के क़ाइल थे और ना उस के नफा बख्श या नुकसानदह होने के. इस लिऐ कि मुअस्सिरे हक़ीक़ी और हक़ीक़ी नफा और नुकसान देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला है. कोई और नहीं. (लिहाज़ा ग़ैरुल्लाह की ताज़ीम अगर हद्दे शरा में हो तो जाइज़ है. जाइज़ ना होने की कोई सूरत नहीं बनती.

हासिले कलाम वही है जो गुजर चुका कि यहाँ पर दो चीज़ें है (१) नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का वाजिब होना और उन का मरतबा तमाम मखलूक से बड़ा होना. (२) रब तबारक व तआला को उस की ज़ात व सिफात और तमाम कामों में सारी मखलूकात से मुन्फरिद और यकता जानना. सो जिस ने किसी मखलूक के बारे में यह एतक़ाद रखा कि वह किसी सिफत में अल्लाह तआला के साथ शरीक है तो वह उन लोगों की तरह मुशरिक हो गया जो बुतों के खुदा होने का एतक़ाद रखते थे और उन्हें मुस्तहिक़्के इबादत समझते थे.और जिस ने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरतबऐ जलीलह में अदना भर भी कोताही की तो वह या तो गुमराह है या काफिर. रहे वह लोग जो रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में मुबालग़ह करें लेकिन उन्हें रबूबियत की किसी सिफत से मुत्तसिफ ना करें तो वह हक़ पर हैं. तौहीद व रिसालत दोनों की हुदूद की रिआयत करने वाले हैं. यह वह क़ौल है जो इफरात व तफरीत से खाली है.

तो गुफतगू यह हो रही थी कि जब अहले ईमान के कलाम में ग़ैरुल्लाह की जानिब किसी चीज़ की इस्नाद पाई जाऐ तो उसे मजाज़े अक़ली पर महमूल करना वाजिब व ज़रूरी है. किसी मोमिन को काफिर क़रार देने की कोई सबील नहीं. क्यों कि मजाज़ अक़ली का इस्तेमाल क़ुरआन व हदीस मे भी किया गया है.

आयाते क़ुरआनियह से मजाज़े अक़ली का सुबूतः- (१) अल्लाह तआला

फरमाता है: (तर्जमा) जब उन पर उस की आयतें पढ़ी जाऐं उन का ईमान तरक़्क़ी पाऐ... (अल अनफाल: २) इस आयते करीमह में ईमान की ज़्यादती की निस्बत आयात की तरफ की गई है. और यह मजाज़े अक़्ली है. क्यों कि आयात ही ईमान की ज़्यादती का सबबे आदी हैं. ईमान में हक़ीक़ी ज़्यादती करने वाला अल्लाह तआला है.

(२) अल्लाह तआला ने फरमाया:(तर्जमा) उस दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा.... (अल मुज़्ज़म्मिल १७) इस आयते करीमा में जअल की निस्बत यौम की जानिब की गई है और यह निस्बत मजाज़े अक़्ली है.

(३) अल्लाह फरमाता है: (तर्जमा) और हरगिज़ ना छोड़ना वुद्द और सुवाअ और यगूस और नसर को और बेशक उन्हों ने बहतों को बहका दिया... (नूह...) इस आयत में गुमराह करने की निस्बत बुतों की तरफ करना मजाज़े अक़्ली है क्यों कि बुत गमराही के असबाब हैं. हक़ीक़ी हादी और मुज़िल तो अल्लाह तआला ही है.

(४) अल्लाह तआला ने फिरऔन की हिकायत बयान करते हुऐ फरमाया: (तर्जमा) अऐ हामान! मेरे लिऐ एक महल बनाओ.... (मोमिन: ३६) इस आयत में बनाने की निस्बत हामान की तरफ करना मजाज़े अक़्ली है. क्यों कि हामान तो सिर्फ हुक्म देगा. क़िला की तामीर तो कारीगर करेंगे.

अहादीसे करीमह से मजाज़े अक़्ली का सुबूत:- अहादीस में मजाज़े अक़्ली का इस्तेमाल कसरत के साथ किया गया है. हदीस की जानकारी रखने वाले उन से अच्छी तरह वाक़िफ हैं. उन हदीसों में बह हदीस भी है जिस का ज़िक्र पहले हुआ. जिस में यह है कि अहले महशर क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस्तेग़ासह करेंगे और हज़रत आदम उन की फरयाद को सुनेंगे. तो हज़रत आदम का फरयादरसी करना बतौरे मजाज़ होगा. हक़ीक़ी फरयादरस तो अल्लाह तआला ही है.

कलामे अरब से मजाज़े अक़्ली का सुबूत:- कलामे अरब में मजाज़े अक़्ली का

इस्तेमाल इस क़दर कसरत से हुआ है कि उस को शुमार नही किया जा सकता. मसलन अरब वाले कहते हैं(तर्जमा) मौसमे बहार ने सबज़ह उगाया... इस मिसाल में उन्हों ने मौसमे बहार को उगाने वाला क़रार दिया है हालाँ कि हक़ीक़ी सबज़ह उगाने वाला अल्लाह तआला ही है. लेकिन उन्हों ने बतौरे मजाज़े अक़्ली के उगाने की निस्बत मौसमे बहार की जानिब करदी है.

लिहाज़ा जब कोई आम मुसलमान ﴿نَفَعَنِی النَّبِیُّ ﷺ - أَغَاثَنِی النَّبِیُّ ﷺ﴾ - या - इस से मिलते जुलते कलाम से तकल्लुम करे तो उस की मुराद मजाज़े अक़्ली ही है. क़रीनह यह है कि वह मुसलमान, मुअह्हिद और ग़ैरुल्लाह की तासीर का एतक़ाद ना रखने वाला है. तो इन बेवक़ूफों का इस जैसे कलाम को शिर्क क़रार देना जहालत और आम मुसलमानों को धोका देने के सिवा कुछ भी नहीं. उलमा का इस बात पर इत्तेफाक़ है कि जब इस जैसी निस्बत किसी मुअह्हिद से सादिर हो तो इसे मजाज़े अक़्ली पर महमूल करना ज़रूरी है. क़रीनह के लिऐ उस का मुअह्हिद होना ही काफी है. इस लिऐ सही अक़ीदह वही है जिस पर अहले सुन्नत व जमात क़ाइम हैं. और वह यह है कि बन्दों और उन के अफआल का खालिक़ अल्लाह तआला ही है. उस के इलावह कोई और मुअस्सिरे हक़ीक़ी नहीं. ना ज़िन्दह ना मुर्दह. यह एतक़ाद ही खालिस तौहीद है. इस के बरखिलाफ अक़ीदह रखने वाला शिर्क में दाखिल हो जाऐगा. और रहा ज़िन्दह और मुर्दह के दरमियान फरक जो इन मानेईने तवस्सुल के कलाम से समझ में आ रहा है(क्यों कि इन का कलाम इस बात की तरफ इशारह करता है कि यह लोग ज़िन्दों के लिऐ कुछ चीज़ों पर क़ुदरत का एतक़ाद रखते हैं और मुर्दों के लिऐ नहीं रखते.) इस से लगता है कि इन का अक़ीदह यह है कि बन्दह अपने अफआल का खालिक़ है. तो इन का यह फरक करना और बन्दे का खालिक़े अफआल क़रार देना बातिल व मरदूद है.

इन के इस अक़ीदह पर दलील:- इन का यही अक़ीदह है इस पर दलील यह है कि ये

कहते हैं कि जब किसी ज़िन्दह इन्सान को पुकारा जाऐ और उस से ऐसी चीज़ मांगी जाऐ जो उस की क़ुदरत में हो तो उस में कुछ हरज नहीं. और मय्यत तो किसी चीज़ पर सिरे से क़ादिर ही नहीं. लिहाज़ा उस से मांगना जाइज़ नहीं.

अहले सुन्नत व जमात यह कहते हैं कि जिस तरह मय्यत किसी चीज़ पर क़ादिर नहीं इसी तरह ज़िन्दह भी किसी चीज़ पर क़ादिर नहीं. क़ादिरे हक़ीक़ी तो अल्लाह तआला ही है. बन्दे के लिऐ सिर्फ कसबे ज़ाहिरी है. उस के ज़िन्दह होने के ऐतबार से. और उस के लिऐ कसबे बातिनी है. नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सालिहीन के नाम से बरकत हासिल करने और उन्हें शफी बनाने के ऐतबार से. बन्दों और उन के अफआल का खालिक़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला है. सुबूते तवस्सुल पर बहुत सी दलीलें गुजर चुकीं. लेकिन अगर तवस्सुल पर ज़्यादह दलालत करने वाले कुछ और दलाइल ज़िक्र कर दिऐ जाऐं तो उस में कोई हरज नहीं.

जवाज़े तवस्सुल पर मज़ीद दलाइलः- अल्लामह सय्यद समहोदी ने फरमायाः नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन से तवस्सुल करने के जवाज़ पर वह हदीस भी दलालत कर रही है जिसे इमाम दारमी ने अपनी सहीह में हज़रत अबुल जौज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया हैः(तर्जमा) रावी फरमाते हैं कि एक मरतबा मदीना वाले सख्त क़हत का शिकार हो गऐ चुनान्चह उन्हों ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में शिकायत की. आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमायाः रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्रे अनवर के पास जाओ और आसमान की तरफ एक रौशन दान खोल दो यहाँ तक कि क़ब्रे अन्वर और आसमान के बीच छत ना रहे. उन्हों ने ऐसा ही किया तो उन्हें बारिश से खूब सैराब किया गया. हर तरफ हरयाली ही हरयाली छा गई. ऊंट इस क़दर मोटे और तगड़े हो गऐ कि मालूम होता कि वह चरबी की कसरत की वजह से फट जाऐंगे. इसी वजह से उस साल को आमुल फतक

कहा जाता है.... अल्लामह मुराग़ी ने फरमायाः क़हत साली के ज़माने में आसमान की जानिब रौशन दान खोलना अहले मदीना का दसतूर रहा है. वह लोग हुजरऐ मुकद्दसह में गुंबद के अन्दरूनी हिस्सा में एक रौशन दान खोल देते हैं अगरचे क़ब्रे अन्वर और आसमान के दरमियान छत हो. अल्लामह समहूदी ने अल्लामह मुराग़ी के कलाम के बाद फरमायाः आज अहले मदीना का तरीक़ा यह है कि वह मुवाजह शरीफ की तरफ दरवाज़ा खोलते है. और वहाँ जमा होते हैं. इस अमल से उन का मक़सद सिर्फ नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीलह पेश करना और उन से शफाअत की दरख्वास्त करना है क्यों कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़दर व मन्ज़िलत अल्लाह तआला की बारगाह में बहुत बलन्द है. अल्लामह सय्यद समहूदी ने खुलासतुल वफा में यह भी फरमायाः रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीलह बनाना, आप से शफाअत तलब करना और आप से बरकत हासिल करना रसूलों का तरीक़ा और सलफे सालिहीन की सुन्नत है.

मज़ाहिबे अरबा के बहुत से उलमा ने कुतुबे मनासिक में नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत के आदाब में लिखा है कि ज़ियारत करने वाले के लिऐ क़ब्र शरीफ की तरफ रुख करना, गुनाहों की बखशिश और क़ज़ाऐ हाजात के लिऐ अल्लाह तआला की बारगाह में आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीलह बनाना और आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत की दरख्वास्त करना मस्नून है. उलमा ने फरमाया कि ज़ियारत करने वाले के लिऐ सब से बेहतर वह दुआ है जो अतबी मुहम्मद अल बसरी और सुफियान बिन उेना से मरवी है(यह दोनों हज़रात इमाम शाफऐी के मशाइख हैं). अतबी ने फरमायाः मैं रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्रे अन्वर के पास बैठा हुआ था. उसी वक़्त एक देहाती आया और इस तरह अर्ज़ करने लगाः (तर्जमा) या रसूलल्लाह! आप पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल

हों. अऐ सब से बेहतर रसूल! अल्लाह तआला ने आप पर एक सच्ची किताब नाज़िल फरमाई. जिस में उस ने फरमायाः अगर वह लोग अपनी जानों पर ज़ुल्म करें तो आप के पास आकर अल्लाह से बखशिश मांगें और रसूल भी उन के लिऐ बखशिश की दुआ करें तो यक़ीनन वह लोग अल्लाह को बहुत ज़्यादह तौबा क़बूल करने वाला और रहम करने वाला पाऐंगे.में अपने गुनाहों से इस्तग़फार करते हुऐ और रब तआला की बारगाह में आप से शफाअत की दरख्वास्त करते हुऐ हाज़िर हुआ हूँ.... उस के बाद उस ने कुछ अशआर पढ़े जिन का तर्जमा यह हैः (तर्जमा) अऐ ज़मीन के नीचे दफन किये जाने वालों में से सब से बेहतर ज़ात! जिन की खुशबू से बुलन्द और पस्त ज़मीन मुअत्तर हो गई. मेरी जान इस क़ब्र पर फिदा हो जिस में आप आराम फरमा हैं और जिस में पाकीज़गी और जूद व सखावत है.....

अतबी ने फरमायाः उस के बाद उस देहाती ने बखशिश की दुआ की और चला गया. उस के जाने के बाद मुझे नींद आ गई. लेकिन मेरी क़िस्मत बेदार हो गई और खाब में रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाऐ और फरमायाः अऐ अतबी! उस देहाती के पास जाकर बशारत देदो कि अल्लाह तआला ने उसे बखश दिय.... मैं उस के पीछे गया लेकिन उसे ना पा सका.

इस्तदलाल इस खाब से नहीं है क्यों कि खाब से अहकामे शरा का सुबूत नहीं होता है. क्यों कि खाब में यह एहतमाल होता है कि शायद खाब देखने वाले पर मुआम्ला मुशतबह हो गया हो.

इस्तदलाल इस तौर पर है कि उलमा ने इस तरह दुआ मांगने को बेहतर क़रार दिया है और अपनी अपनी किताबे मनासिक में लिखा है कि ज़ियारत करने वाले के लिऐ इस तरीक़ा को अपनाना मुस्तहब है. उन के अक़वाल में और इस सिलसिला में आनी वाली दूसरी रिवायतें कि जिन में दूसरे अल्फाज़ के साथ बयान किया गया है उन

में कोई मनाफात नहीं है. क्यों कि हो सकता है कि रावी ने सिर्फ उस के माना को ही बयान किया हो.तो कभी उस ने या खैरर रुसुल से ताबीर किया हो और कभी उस ने या रसूलल्लाह से बयान किया. इस एहतमाल के पेशे नज़र रिवायात में कोई तनाफी नहीं.

हज़रत अल्लामह इब्ने हजर ने अल जौहरुल मुनज़्ज़म में फरमायाः कुछ हुफ्फाज़े हदीस ने अबू सईद अस समआनी से रिवायत किया. उन्हों ने हज़रत अली मौलाऐ कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के तीन दिन के बाद एक एराबी आया और क़ब्रे अन्वर की तरफ झुक गया और क़ब्र शरीफ की मिट्टी अपने सर पर डाल कर यूँ फरयाद करने लगाः (तर्जमा) या रसूलल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने जो कहा हम ने क़बूल किया. आप ने अल्लाह का कलाम महफूज़ किया हम ने आप के इरशादात याद किऐ. अल्लाह तआला ने आप की शान में यह फरमाया (तर्जमा आयत) अगर वह लोग अपनी जानों पर ज़ुल्म करलें.....आखिर तक..... तो या रसूलल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम में ने अपनी जान पर ज़ुल्म किया है. और अपने रब से बखशिश तलब करने के लिऐ आप की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ.... क़ब्रे अन्वर से आवाज़ आई. बशारत हो तुम्हें रब तआला ने बख्श दिया है.

इसी तरह की एक रिवायत दूसरी सनद के साथ हज़रत अली से मरवी है जो कि हज़रत समआनी वाली रिवायत की ताईद कर रही है. इस की ताईद उस हदीस से भी होती है जिस में आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) मेरी ज़िदगी तुम्हारे लिऐ फाइदे मन्द है. तुम्हें मुझ से गुफतगू करने का शरफ हासिल होता है और में तुम से हदीस बयान करता हूँ. और मेरी वफात भी तुम्हारे लिऐ बेहतर है. क्यों कि तुम्हारे आमाल मेरी बारगाह में पेश किऐ जाऐंगे. अगर में उन्हें अच्छा पाउँगा तो

रब तआला की हम्द व सना बयान करूंगा और अगर मैं उन्हें अच्छा नहीं पाउंगा तो तुम्हारे लिऐ इस्तिग़फार करूंगा..... इस की ताईद उलमा के इस फरमान से भी होती है जिसे उन्हों ने आदाबे ज़ियारत में ज़िक्र किया है. (वह यह है कि) ज़ियारत करने वाले के लिऐ मुस्तहब यह है कि उस मुक़द्दस मक़ाम में अज़ सरे नौ तौबह करे, अल्लाह तआला की बारगाह में तौबह के सच्ची होने की दरख्वास्त करे, रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तौबह के मक़बूल होने का वसीलह बनाऐ और आयते करीमह की तिलावत करने के बाद गिरिया व ज़ारी और कसरत से इस्तिग़फार करे और यूँ अर्ज़ करे. या रसूलल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप के वफद हैं. आप की ज़ियारत को इस लिऐ आऐ हैं कि आप अपने हक़ को अदा करें. और इस लिऐ आऐ हैं ताकि आप की ज़ियारत से बरकत हासिल करें और आप को उन गुनाहों का शफी बनाऐं जिन्हों ने हमारी पीठ को बोझल और हमारे दिलों को तारीक कर दिया है. या रसूलल्लाह आप के सिवा हमारा कोई शफी नहीं जिस का हमें आसरा हो. आप के दरे अक़दस के इलावह किसी और दर से कुछ मिलने की हमें उम्मीद नहीं. आप अपने रब से हमारी बखशिश की दुआ फरमादें. हुज़ूर! हमारी सिफारिश कर दें और खुदा की बारगाह में अर्ज़ करदें कि वह हमारी दुआओं को क़बूल फरमा कर हम पर एहसान करदे. और अपने नेक बन्दों और उलमा व सालिहीन में हमारा हशर फरमाऐ.

अल जौहरुल मुनज़्ज़म में यह भी है कि उस ऐराबी ने क़ब्रे अन्वर के पास खड़े हो कर यह दुआ मांगी: (तर्जमा) अऐ अल्लाह यह तेरे हबीब हैं. और मैं तेरा बन्दह हूँ और शैतान तेरा दुशमन है. अगर तू मुझे बख्श देगा तो तेरा हबीब खुश, तेरा बन्दह कामियाब और तेरा दुशमन नाराज़ होगा. और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा तो तेरा दोस्त नाराज़, तेरा बन्दह हिलाक और तेरा दुशमन खुश हो जाऐगा. अऐ मेरे रब! तेरी शान इस से बहुत बुलन्द है कि तू अपने दोस्त को नाराज़ करे, अपने दुशमन को खुश

करे और अपने बन्दे को हिलाक करे. अऐ अल्लाह! अरब में जब कोई सरदार मर जाता है तो वह लोग उस की क़ब्र के पास आकर गुलाम आज़ाद करते हैं. यह तो सय्यदुल आलमीन हैं. इन की क़ब्र अन्वर पर तू मुझे दोज़ख से आज़ाद करदे. अऐ अरहमुर्राहिमीन!..... वाहाँ मौजूद किसी साहिबे कशफ बुजरुग ने कहा: अऐ अरबी भाई! इस उम्दह तरीक़े से सुवाल करने की वजह से अल्लाह तआला ने तुझे बख्श दिया है.

बवक़्ते दुआ रौज़ऐ अक़दस की तरफ रुख करने का इस्तेहबाब:- उलमाऐ मनासिक ने यह भी ज़िक्र किया है कि ज़ियारत करने और दुआ मांगने के वक़्त रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्रे अन्वर का इस्तक़बाल करना क़िब्लह की तरफ रुख करने से बेहतर है और अल्लामह कमाल बिन हुमाम रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया: रौज़ऐ अन्वर की तरफ रुख करना काबा शरीफ की तरफ रुख करने से बेहतर है. और बवक़्ते दुआ क़िब्लह शरीफ की तरफ रुख करने की अफज़लिय्यत का जो क़ौल हज़रत इमामे आज़म से मनक़ूल है सो उस क़ौल की नक़ल सही नहीं है. क्यों कि हज़रत इमाम साहब क़िब्लह रहमतुल्लाहि अलैह ने बज़ाते खुद अपनी मुसनद में हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि क़ब्र शरीफ की तरफ रुख और क़िब्लह की तरफ पीठ करना सुन्नत है और रौज़ऐ अक़दस की तरफ मुँह करने के मुस्तहब होने के क़ौल को नक़ल करने में अल्लामह इब्ने जमाअह अल्लामह इब्ने हुमाम पर सबक़त लेजा चुके हैं. क्यों कि उन्हों ने नक़ल किया है कि हज़रत इमामे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक क़ब्र शरीफ की तरफ रुख करना मुस्तहब है. और क़िब्लह की तरफ रुख करने को अफज़ल क़रार देने पर अल्लामह किरमानी का रद भी किया है और फरमाया: अल्लामह किरमानी का क़ौल कुछ हैसियत नहीं रखता.

इस के बाद अल्लामह इब्ने हजर ने अल जौहरुल मुनज़्ज़म में फरमाया: रौज़ह

की तरफ रूख करने के मुस्तहब होने पर इस तौर पर भी इस्तदलाल किया जा सकता है कि हमारा इस बात पर इत्तेफाक़ है की नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र मुबारक में ज़िन्दह हैं. अपनी क़ब्रे अन्वर की ज़ियारत करने वाले से वाक़िफ है. और आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में ज़ाहिरी हयात के साथ ज़िन्दह थे तो आप की ज़ियारत करने वाले को आप की तरफ रुख करने और क़िब्लह की तरफ पीठ करने से चारऐ कार नहीं था. लिहाज़ा आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़्दस की ज़ियारत के वक़्त भी मुआमला इसी तरह होगा.(यानी क़ब्र शरीफ की तरफ रुख और क़िब्लह की तरफ पीठ की जाऐगी) और जब हम मुत्तफिक़ हैं कि मस्जिदे हराम में क़िब्लह की तरफ रुख करके दरस देने वाले मदर्रिस की तरफ तलबा रुख करते हैं और उस वक़्त उन की पीठ काबा शरीफ की तरफ होती है तो रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ पाक की तरफ रुख करने में तुम्हें क्यों एतराज़ है? हालाँ कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस मुदर्रिस से अफज़ल व आला होना क़तअी और यक़ीनी है. हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का वह क़ौल गुजर चुका जो उन्हों ने खलीफा मन्सूर से कहा था. हज़रत इमाम ज़रक़ानी ने शरह अल मवाहिबुल लदुनियह में फरमाया: क़िब्लह की जानिब पुश्त और रौज़ऐ अन्वर की जानिब रुख करके दुआ मांगने के मुस्तहब होने पर उलमाऐ मालिकिय्यह का इत्तेफाक़ है. यह इस्तेहबाब इन तमाम हज़रात की किताबों में मज़कूर है. फिर इमाम ज़रक़ानी ने फरमाया कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम शाफई और जमहूर उलमा का मज़हब यही है. हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़हब बयान करने में उलमाऐ हम्बलियह के दरमियान इखतेलाफ है. लेकिन मुहक़्क़ेक़ीने हम्बलियह के नज़दीक ज़ियारत करने वाले और दुआ मांगने वाले के लिऐ रौज़ऐ अन्वर की तरफ रुख करना मुस्तहब ही राजेह है. जैसा कि दूसरे अइम्मऐ किराम का मज़हब है. इसी तरह

मुहक़्क़ेक़ीने अइम्मऐ हम्बलियह के नज़दीक राजेह यही है कि तवस्सुल मुस्तहब है. क्यों कि तवस्सुल के इस्तेहबाब पर दलालत करने वाली हदीसें मरतबऐ सेहत तक पहुँची हुई हैं. लिहाज़ा अइम्मऐ हम्बलियह के नज़दीक भी राजेह वही है जो तीनों इमामों के नज़दीक राजेह है.

हज़रत इमाम सुबुकी रहमतुल्लाहि अलैह ने शिफाउस्सिक़ाम में चारों मज़ाहिब के उलमा का कलाम तफसील से ज़िक्र किया है और शैख ताहिर सुम्बुल ने अपने एक रिसाला में तवस्सुल के मुतआलिक़ तफसील से लिखा है कि उलमाऐ हनाबला मे से जिन लोगों ने तवस्सुल के मुस्तहब होने का ज़िक्र किया है उन में इमाम अब्दुल्लाह अस्सामरी हैं जिन्हों ने अल मुस्तोआब में इस का ज़िक्र किया है. और मैं ने इस मसला में मक्कह मुकर्रमह के मुफ्तीऐ हनाबलह हज़रत शैख मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हमीद से इस्तिफता किया. तो उन्हों ने जवाद दिया कि हम्बलियों के नज़दीक राजेह यही है कि ज़ियारत करने वाला दुआ करते वक़्त रौज़ऐ अन्वर की तरफ रुख करे और उस के लिऐ रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीलह बनाना मुस्तहब है. उन्हों ने फरमाया कि यह मसला हम्बली मज़हब की क़ाबिले एतमाद किताबों में मौजूद है. उन्हीं में साहिबुल फुरू इमाम शमसुद्दीन बिन मफलह की किताब शरहो मनासिकुल मुक़नी, मुहर्रिर मज़हब शैख मन्सूर बहूती की अल अक़ना और एक दूसरी किताब शरहो ग़ायतिल मुन्तहा और बानिऐ मज़हबे वहाबियत मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी के दादा शैख सुलैमान बिन अली की मनसिक है. ग़रज कि मज़हबे हम्बली के बहुत से मसन्निफीन ने तवस्सुल के मुस्तहब होने का क़ौल किया है.

शैख मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने यह भी फरमाया: इन हज़रात में से कुछ ने अतबी वाले क़िस्सह और एराबी की तरफ से पढ़े गऐ अशआर का भी ज़िक्र किया है. और रही वह हदीस जिस में (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका) के

कलिमात हैं तो उस की तखरीज हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने की और उसे सहीह क़रार दिया. इमाम नसई और इमाम बैहक़ी ने भी इस की तखरीज करके सहीह क़रार दिया. उस के बाद मुफ्तीऐ मज़कूर ने फरमायाः जब यह सारी बातें मुतहक़्क़ हो गईं तो हमें यक़ीन हो गया कि हनाबलह का मज़हब वही है जो साइल ने ज़िक्र किया है(यानी यह कि दुआ के वक़्त रौज़ऐ अन्वर की जानिब रुख करना और रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीलह बनाना मुस्तहब है). इस का इन्कार करने वाला इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़हब से जाहिल और ना आशना है. और इमाम आलूसी ने अपनी तफसीर में कुछ लोगों का जो क़ौल नक़ल किया कि हज़रत इमाम आज़म ने तवस्सुल से मना फरमाया है तो यह नक़ल सही और साबित नहीं. क्यों कि अइम्मऐ अहनाफ में से किसी ने भी इस क़ौल को नक़ल नहीं किया. हालाँकि यह हज़रात मस्लके हनफी को ज़्यादह जानने वाले हैं बल्कि इन हज़रात की किताबें तवस्सुल के मुस्तहब होने की दलीलों से लबरेज़ हैं. मुखालिफीन की नक़ल का कोई एतबार नहीं लिहाज़ा इस से धोका न खाना.

अल्लामह क़स्तलानी की अल मवाहिबुल लदुनियह में है कि एक एराबी क़ब्रे अन्वर के पास खड़ा हुआ और यूँ गुज़ारिश कीः (तर्जमा) अऐ अल्लाह तू ने हमें गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया है. यह तेरे हबीब हैं और मैं तेरा गुलाम. अपने हबीब की क़ब्र पर तू मुझे दोज़ख से आज़ाद कर दे. ग़ैब से आवाज़ आई. अऐ सवाल करने वाले! तू सिर्फ अपनी आज़ादी का सवाल करता है. तमाम मुसलमानों की आज़ादी का सवाल क्यों नहीं करता? जा मैं ने तुझे बख्श दिया..... इस के बाद इमाम क़स्तलानी ने दो मशहूर शेरों में से एक शेर पढ़ा. और अल मवाहिबुल लदुनियह के शारेह हज़रत इमाम ज़रक़ानी ने दूसरा शेर गुनगुनाया. वह दोनों अशआर यह हैं..

(१) اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا شَابَتْ عَبِيْدُ هُمْ فِىْ رِقِّهِمْ اَعْتَقُوْهُمْ عِتْقَ اَحْرَارٍ

(२) وَ اَنْتَ يَا سَيِّدِىْ اَوْلٰى بِذَا كَرَمًا قَدْ شِبْتُ فِىْ الرِّقِّ فَاَعْتِقْنِىْ مِنَ النَّارِ

(तर्जमा) (१) बादशाहों के गुलाम जब उन की गुलामी करते करते बूढ़े हो जाते हैं तो बादशाह शरीफों की तरह उन्हें आज़ाद कर देते हैं.

(२) अऐ सरदार! आप अपनी अता व बख्शिश के सबब इस के ज़्यादह हक़दार हैं. मैं आप की गुलामी में बूढ़ा हो गया हूँ पस मुझे भी दोज़ख से रिहाई का परवाना अता फरमादें....

इमाम क़स्तलानी ने अल मवाहिबुल लदुनियह में मज़ीद फरमायाः हज़रत हसन से मरवी है कि हज़रत हातिम बिन असम रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस के पास खड़े हुऐ और इस तरह दुआ कीः (तर्जमा) अऐ मेरे रब! हम ने तेरे नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत की है. तो हमें ना मुराद वापस ना करना... आवाज़ आई. अऐ फलाँ! मैं ने ही तुझे अपने महबूब के रौज़ऐ अक़दस पर आने की तरगीब दी थी जाओ तुम्हें और तमाम ज़ियारत करने वालों को बख्श दिया गया.

इमाम इब्ने अबी फुदेक ने फरमायाः मैं ने कुछ उलमा और सालिहीन से मुलाक़ात की और उन को यह फरमाते हुऐ सुनाः हम तक यह खबर पहुँची है कि जो शख्स रौज़ऐ अक़दस के क़रीब खड़े हो कर यह आयते करीमह पढ़ेः

﴿اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۔الاحزاب آیت:۵۶﴾

(तर्जमा) बेशक अल्लाह और उस के फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं. अऐ ईमान वलो! तुम भी उन पर खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो.....यह आयते करीमह पढ़ने के बाद सत्तर मरतबा सलल्लाहु अलैका या मुहम्मद कहे तो एक फरिशता उसे आवाज़ देगाः अऐ फलाँ! तुझ पर अल्लाह रहमतें नाज़िल फरमाऐ. और उस की ताम ज़रूरतें पूरी हो जाऐंगी.

शैख ज़ैनुद्दीन अल मुराग़ी वग़ैरह ने फरमाया: या मुहम्मद के बजाऐ सलल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह कहे. क्यों कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर निदा करना(आवाज़ देना) मना कर दिया गया है. आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िन्दगी में भी और वेसाल फरमे के बाद भी. इमाम इब्ने अबी फ़ुदैक तबऐ ताबेअीन और मारूफ अइम्मऐ सिक़ात में से है. बुखारी व मुस्लिम और दूसरी सुनन की किताबों में इन से अहादीस मरवी हैं. इन के बारे में इमाम ज़रक़ानी ने शरहुल मवाहिब में फरमाया: इन का नाम मुहम्मद बिन इस्माईल बिन मुस्लिम अद देलमी है. इन का विसाल २०० हिज्री में हुआ.अल मवाहिबुल लदुनियह में मुहम्मद बिन अबी फ़ुदैक की जो रिवायत नक़्ल की गई है उसे इमाम बैहक़ी ने भी रिवायत किया है. और इमाम ज़रक़ानी की शरह शरहुल मवाहिब में है कि दुआ मांगने वाला अगर इस तरह दुआ मांगे :(तर्जमा) अऐ अल्लाह! मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी की शफाअत चाहता हूँ. अऐ नबीऐ रहमत! अपने रब के हुज़ूर मेरी शफाअत फरमाऐं..... तो उस की दुआ फौरन क़बूल हो जाती है.

नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबऐ किराम और उम्मत के सलफ व खलफ के रिवायत करदह अक़वाल से साबित हो गया कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीलह बनाना, आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत करना और आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत तलब करना क़तई और यक़ीनी तौर पर साबित है. इस में शक की कोई गुन्जाइश नहीं. बिला शुबहा यह चीज़ें अज़ीम तरीन इबादतों में से है. और यह भी साबित हुआ कि आप की तखलीक़ से पहले ही आप को वसीलह बनाया जा चुका है. और आप की विलाद के बाद और वेसाल फरमाने के बाद भी आप को वसीलह बनाया गया है. और क़यामत में भी आप को वसीलह बनाया जाएगा.

अल्लामह क़स्तलानी ने अल मवाहिबुल लदुनियह में फरमाया: अल्लाह तआला इब्ने जाबिर पर रहमतें नाज़िल फरमाए! उन्हों ने कितनी अच्छी बात कही.

بِهٖ قَدْ أَجَابَ اللّٰهُ آدَمَ اِذْ دَعَا   وَنُجِّیَ فِیْ بَطْنِ السَّفِیْنَةِ نُوْحٌ (١)

وَمَا ضَرَّتِ النَّارُ الْخَلِیْلَ لِنُوْرِهٖ   وَمِنْ اَجْلِهٖ نَالَ الْفِدَآءَ ذَبِیْحٌ (٢)

(तर्जमा) जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन के वसीलह से दुआ की तो अल्लाह तआला ने उन की दुआ क़बूल फरमाली. उन्हीं के वसीले से नूह अलैहिस्सलाम को कशती में डूबने से निजात दी गई. उन्हीं के नूर का सदक़ा है कि इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग तकलीफ ना दे सकी. और उन्हीं के तुफैल इसमाईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को फिदयह में दुम्बह मिल गया....

उस के बाद फरमाया: शैख अबू अब्दुल्लाह इब्ने नोमान की किताब मिस्बाहुज़्ज़ुलाम फिल मुस्तग़ीसीन लि ख़ैरिल अनाम में वह दलीलें हैं जिन को पढ़ने के बाद शक व शुबहा के बीमार को इस से ज़्यादह शिफा नसीब हो जाऐगी. इस के बाद अल्लामह क़स्तलानी ने अल मवाहिब में उन बहुत सी बरकतों को ज़िक्र किया जो नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीलह बनाने वालों को हासिल हुई. इमाम बैहक़ी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि एक एराबी नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बारिश की दुआ कराने के लिऐ आया. उस ने कुछ अशआर कहे. उस का पहला शेर यह है.

أَتَيْنَاكَ وَ الْعَذْرَاءُ يُدْمِیْ لَبَانُهَا   وَ قَدْ شَغَلَتْ أُمُّ الصَّبِیِّ عَنِ الطِّفْلِ

(तर्जमा) या रसूलल्लाह! हम आप की बारगाह में उस वक़्त आऐ हैं जब कि बाकिरा(औरत) के सीने से खून जारी है और माँ अपने बच्चे से ग़ाफिल हो गई है... उस ने आखिर में कहा..

وَلَيْسَ لَنَا اِلَّا اِلَيْكَ فِرَارُنَا   وَ اَنّٰی فِرَارُ الْخَلْقِ اِلَّا اِلَی الرُّسُلِ

(तर्जमा) हमारी पनाह गाह सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं और मखलूक की पनाह गाह तो रसूल ही होते हैं.... यह अशआर सुनने के बाद नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ नहीं हुऐ बल्कि हज़रत अनस फरमाते हैं: जब वह एराबी अपने अशआर सुनाने से फारिग हो चुका तो नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को खींचते हूऐ मिम्बर पर रौनक़ अफरोज़ हुऐ खुतबा दिया और उन के लिऐ बारिश की दुआ की. आप दुआ कर ही रहे थे कि ज़ोरदार बारिश होने लगी.

और सहीह बुखारी में है कि जब उस एराबी ने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुश्क साली की शिकायत की तो आप ने फौरन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की. आप का दुआ करना था कि फौरन बारिश होने लगी. फिर आक़ा सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: (तर्जमा) आज अगर अबू तालिब ज़िन्दह होते तो उन की आँखें ठन्डी हो जातीं. कौन है जो हमें उन का क़ौल सुनाऐ.. .. यह सुन कर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! आप ने उन के इस शेर को सुनने का इरादा किया है.....

(तर्जमा) यह रौशन व ताबनाक चेहरे वाले हैं. इन के रुखे ज़ेबा के वसीले से बारिश कि दुआ की जाती है. यतीमों के पनाह गाह और बेवाओं के फरयाद रस हैं....

यह शेर सुन कर रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरऐ अन्वर खिल गया. इस शेर के गुनगुनाने पर आप ने हज़रत अली से गुस्से का इजहार नहीं फरमाया और ना ही इस को ना पसन्द किया. तो अगर इस में हराम या शिर्क जैसी कोई बात होती तो आप ज़रूर मना फरमाते और ऐसे शेर को सुनने की ख़्वाहिश हरगिज़ ज़ाहिर ना फरमाते. यह शेर अबू तालिब के उस क़सीदह का है जिस में उन्हों ने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की थी. उस का सबब यह था कि ज़मानऐ जाहिलिय्यत में कुरैश ख़ुश्क साली का शिकार हो गऐ. रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन

का ज़माना था. आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब ने आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीलह से बारिश की दुआ की. चचा जान का दुआ करना था कि खुब ज़ोरदार बारिश हुई. इसी से मतअस्सिर हो कर जनाब अबू तालिब ने आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यह क़सीदह कहा.

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हदीस मरवी है कि अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब वही भेजी.(तर्जमा) अऐ ईसा! मुहम्मद सलल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ. और तुम्हारी उम्मत में से जो लोग उन का ज़माना पाऐं उन्हें भी उन पर ईमान लाने का हुक्म दो. अगर मुहम्मद ना होते तो मैं जन्नत व दोज़ख को पैदा ना फरमाता. तहक़ीक़ कि पानी पर अर्श को पैदा किया गया तो उस पर लरज़ा तारी हो गया. जब उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया तब उसे क़रार आया.....

अल्लामह इब्ने हजर ने अल जौहरुल मुनज़्ज़म में फरमाया: जब रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फज़ल व कमाल और यह खसूसियत हासिल है तो क्या उन से तवस्सुल करना जाइज़ ना होगा.

अल्लामह क़स्तलानी ने इरशादुस्सारी में हज़रत कअब अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि बनी इसराईल जब खुश्क साली का शिकार होते थे तो अपने नबी के अहले बैत से बारिश की दुआऐं किया करते थे. इस रिवायत से मालूम हुआ कि तवस्सुल पिछली उम्मतों में भी जाइज़ था.

सय्यद समहूदी ने खुलासतुल वफा में फरमाया: इस पर आदत जारी है कि जो आदमी किसी की बारगाह में ऐसे शख्स को वसीलह बनाता है जिस की क़दर व मन्ज़िलत उस की निगाहों में होती है तो यह(जिस की बारगाह में वसीलह पेश किया गया) उस शख्स की वजह से कि जिस का वसीलह पेश किया गया उस वसीलह करने

वाले की ताज़ीम करता है और उस की ज़रूरतों को पूरा करता है और उस की हाजतों को रफा फरमाता है. और कभी वसीलह तलाश करने वाला अज़मत व शान वाली ज़ात का नाम लेकर उस ज़ात की बारगाह की जानिब मुतवज्जह होता है जिस की शान उस से भी ज़्यादह बलन्द होती है. जब आमाल सालिहा को वसीलह बनाना जाइज़ है जैसा कि बुखारी शरीफ में है (कि तीन लोगों ने एक ग़ार की पनाह ली और वह ग़ार बन्द हो गया. तो उन में से हर एक ने अल्लाह तआला की बारगाह में अपने सब से ज़्यादह क़ाबिले एतमाद अमल को वसीलह बनाया तो उस के वसीलह की बरकत से चट्टान हट गई जिस ने ग़ार का मुँह बन्द कर दिया था.) तो रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीलह बनाऐ जाने के ज़्यादह हक़ दार हैं . क्यों कि आप वसफे नुबुव्वत के हामिल और बे शुमार खूबियों के मालिक हैं. चाहे यह तवस्सुल आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िन्दगी में हुआ हो या आप के विसाल फरमाने के बाद. तो जब साहिबे ईमान आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीलह बनाता है तो आप की उसी नुबूव्वत का क़स्द करता है जो कि तमाम कमालात की जामे है. और तवस्सुल से रोकने और मना करने वाले कहते हैं कि सिर्फ आमाले सालिहा को वसीलह बनाना जाइज़ है. हम कहते हैं कि जब आमाले सालिहा को वसीलह बनाना जाइज़ है हालाँ कि वह आराज़ा(यानी उन का अलग से कोई वजूद नहीं) हैं तो ज़वाते क़ुदसियह को वसीलह बनाना क्यों कर जाइज़ ना होगा? बिलकुल जाइज़ होगा. क्यों कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीलह बनाया था.

और अगर हम यह तसलीम करलें कि सिर्फ आमाल सालिहा(नेक कामों) को वसीलह बनाया जा सकता है तो हम इन मानेईन से कहेंगे कि जब आमाले सालिहा से तवस्सुल करना जाइज़ है तो फिर नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल के जाइज़

होने से क्या चीज़ रोकती है? क्यों कि आप नुबूव्वत व रिसालत से मुत्तसिफ है और ऐसे कमालात से आरास्तह हैं जो हर कमाल से बढ़ कर हैं और हर अमले सालेह से अज़ीम तर हैं. और जवाज़े तवस्सुल पर दलालत करने वाली हदीसें भी कसरत के साथ साबित हैं. नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम और तमाम सालिहीन से भी तवस्सुल करना जाइज़ है. क्यों कि यह हज़रात तहारते क़ुदसियह और मुहब्बते रब तआला से मुत्तसिफ हैं. यह हज़रात इताअत और फरमा बरदारी के आला मरतबे पर फाइज़ हैं और उन्हें अल्लाह तआला की जानिब से यक़ीन की दौलत हासिल है. इसी वजह से तो यह अल्लाह तआला के मुक़र्रब बन्दे बने हैं. अगर इन के वसीलह से दुआ की जाऐ तो अल्लाह तआला मोमिनों की दुआऐं इन के वसीले से क़बूल फरमाता है. लेकिन तवस्सुल में कामिल अदब का लिहाज़ करना और ग़ैरुल्लाह की तासीर का वहम पैदा करने वाले अल्फाज़ से बचना निहायत ज़रूरी है.

जवाज़े तवस्सुल की एक दलील हज़रत सवाद बिन क़ारिब रज़ियल्लाहु अन्हु का वह क़िस्सा भी है जिसे हज़रत इमाम तबरानी ने अल मोजमुल कबीर में रिवायत किया है. इस क़िस्से में है कि हज़रत सवाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वह क़सीदह सुनाया जिस में उन्हों ने रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीलह बनाया था. रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह क़सीदह सुनने के बाद इन्कार व ना पसन्दीदगी का इजहार नहीं फरमाया. उस क़सीदे के कुछ अशआर यह हैं.....

(१) وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ لَا رَبَّ غَيْرُهٗ وَ أَنَّكَ مَامُوْنٌ عَلٰى كُلِّ غَائِبِ

(२) وَ أَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِيْنَ وَسِيْلَةً إِلَى اللّٰهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِيْنَ الْأَطَائِبِ

(३) فَمُرْنَا بِمَا يَاتِيْكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ وَإِنْ كَانَ فِيْمَا فِيْهِ شَيْبُ الذَّوَائِبِ

(४) وَكُنْ لِيْ شَفِيْعًا يَوْمَ لَا ذُوْ شَفَاعَةٍ بِمُغْنٍ فَتِيْلًا عَنْ سَوَادِ ابْنِ قَارِبٍ

(तर्जमा) मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं और या रसुलल्लाह! आप हर ग़ैब पर मुत्तला हैं. और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह तआला के हुज़ूर तमाम रसूलों से ज़्यादह मुक़र्रब हैं. अऐ पाकीज़ह व पाकबाज़ साहिबे इज़्ज़त व अज़मत लोगों के फरज़न्द! अऐ सब से बेहतरीन रसूल! आप हमें वह हुक्म सुनाऐं जो अल्लाह ने आप पर नाज़िल किया है अगरचे वह हुक्म इस क़दर दुशवार हो कि आदमी बूढ़ा हो जाऐ. और आप उस दिन मेरे शफी हो जाऐं जिस दिन आप के अलावह कोई शफाअत करने वाला सवाद बिन क़ारिब को ज़रा भी फाइदह नहीं पहुंचा सकेगा.....

इस क़सीदह में उन्हों ने रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत की दरख्वास्त की. और आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नकीर नहीं फरमाई (तो अगर आप से शफाअत की दरख्वास्त करना और आप को वसीलह बनाना जाइज़ ना होता तो आप उन को टोक देते और आइन्दह ऐसा ना करने का हुक्म देते.)

आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफियह रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप की वफात के बाद जो मरसिया पढ़ा था उस में भी सुबूते तवस्सुल पर दलील है. क्यों कि उन्हों ने उस मरसिया में फरमाया.....

أَلَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْتَ رَجَا ئُنَا وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَ لَمْ تَكُ جَا فِيًا

(तर्जमा) या रसूलल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम! हमारी उम्मीदें आप ही से वाबस्ता हैं. आप हम पर मेहरबान थे सख्त गीर ना थे...

हज़रत सफियह रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस शेर में रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल फरमा जाने के बाद या के ज़रिया पुकारा और आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को अन्ता रजाअना कहा (यानी या रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही से हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम आप ही से लौ लगाऐ हुऐ हैं.) इस

मरसिया को सहाबऐ किराम की एक बड़ी जमात ने सुना लेकिन किसी ने भी या रसूलल्लाह अन्ता रजाअना कहने पर नाराज़गी का इजहार नहीं फरमाया (मालूम हुआ कि सहाबऐ किराम विसाल के बाद भी या रसूलल्लाह कहने के जवाज़ के क़ाइल थे).

अल्लामह इब्ने हजर अल हैतमी ने अपनी किताब अल खैरातुल हिसान फी मनाबिल इमाम अबी हनीफतिन नोमान की पचीसवीं फस्ल में फरमाया: जिन दिनों हज़रत इमाम शाफई बग़दाद में थे तो वह हज़रत इमाम आज़म को वसीलह बनाते थे. पहले वह हज़रत इमाम आज़म की क़ब्र मुबारक पर हाज़िरी देते और सलाम पेश करते. उस के बाद क़ज़ाऐ हाजात के लिऐ उन्हें अल्लाह तआला की बारगाह में वसीलह बनाते. और यह भी साबित है कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल हज़रत इमाम शाफई का वसीलह पेश करके दुआ करते थे. (एक मरतबा) उन के साहब ज़ादे हज़रत अबदुल्लाह ने एतराज़ किया. तो आप ने फरमाया कि इमाम शाफई लोगों के लिऐ आफताब और बदन के लिऐ शिफा की तरह हैं. और जब इमाम शाफई को मालूम हुआ कि अहले मग़रिब अल्लाह तआला की बारगाह में हज़रत इमाम मालिक का वसीलह पेश करते हैं तो आप ने इन्कार नहीं फरमाया.

इमाम अबुल हसन अश्शाज़ली ने फरमाया: जिसे अल्लाह तबारक वतआला से कोई हाजत हो और वह उसे पूरा करना चाहे तो वह अल्लाह तआला की बारगाह में हज़रत इमाम ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वसीलह पेश करे.

अल्लामह इब्ने हजर ने अपनी किताब अस्सवाइक़ुल मुहर्रिक़ह लि इखवानिद्लालि वज़्ज़नदिक़ह में ज़िक्र किया है कि हज़रत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैते किराम का वसीलह पेश करके खुदाऐ तआला की बारगाह में इस तरह अर्ज़ किया करते थे.

آلُ النَّبِیِّ ذَرِیْعَتِیْ وَھُمْ اِلَیْہِ وَسِیْلَتِیْ
اَرْجُوْ بِھِمْ اُعْطٰی غَدًا بِیَدِیَ الْیَمِیْنِ صَحِیْفَتِیْ

(तर्जमा) आले नबी मेरा ज़रिया हैं. खुदा की बारगाह में वही मेरा वसीलह हैं. मुझे उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन उन के तुफैल मेरा नामऐ आमाल मेरे दाहिने हाथ में दिया जाऐगा.

सहिब सुनने हज़रत इमाम तिरमिज़ी की सवानेह पर मुशतमिल किताब मजमउल बाब में किताब के मुसन्निफ अल्लामह सय्यद ताहिर बिन मुहम्मद हाशिम बाअलवी ने ज़िक्र किया कि हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने आलमे खाब में अल्लाह तआला का दीदार किया तो उन्हों ने अल्लाह तआला से ऐसी दुआ के बारे में दरयाफ्त किया जिस को पढ़ने से ता दमे हयात ईमान महफूज़ रह सके. इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं: मेरी इस अर्ज़ी पर अल्लाह तआला ने फरमाया: फजर की नमाज़ से पहले पढ़ी जाने वाली दो रकात नमाज़ से फारिग हो कर रोज़ाना यह दुआ पढ़ना: (तर्जमा) या इलाही! हसन और उन के भाई का वसीलह! उन के नाना और उन के शहज़ादों का वास्ता! उन की वालिदह और उन के वालिद का सदक़ा! मुझे इस ग़म से निजात दे दे जिस में मैं मुबतिला हूँ. अऐ हई व क़य्यूम! अऐ इज़्ज़त व जलाल वाले खुदा! मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू अपनी मारफत के नूर से मेरे दिल को रौशन करदे. अऐ अल्लाह! अऐ अल्लाह! अऐ अरहमुर्राहिमीन!.

हज़रत इमाम तिरमिज़ी सुन्नते फजर के बाद इस दुआ को हमेशा पढ़ते थे, अपने साथियों को इस पर अमल करने और लगातार इस दुआ को पढ़ने की तलक़ीन करते थे. अगर तवस्सुल मना होता तो इन जैसा जलिलुल क़दर इमाम ना ही इस पर अमल करता और ना ही किसी को ऐसा करने का हुक्म देता. और यह इमाम मुक़तदाऐ जहाँ है बल्कि सलफ व खलफ में किसी ने भी तवस्सुल का इन्कार नहीं किया, यहाँ तक

कि यह इन्कार करने वाले (बेवकूफ) पैदा हो गऐ.

इमाम नववी की अल अज़कार में है: नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर गुलाम को फजर की दो रकात नमाज़ से फारिग होने के बाद तीन मरतबा यह दुआ पढ़ने के हुक्म दिया..

(तर्जमा) अऐ अल्लाह! अऐ जिबरील, मीकाईल, इस्राफील और मुहम्मद के रब! मुझे दोज़ख से आज़ाद करदे.....

अल्लामह इब्ने अलान ने शरहुल अज़कार में फरमाया: रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़बूलिय्यते दुआ के लिऐ वसीलह बनाने में खास तौर से इन हज़रात का ज़िक्र फरमाया है वरना तो अल्लाह तआला तमाम मखलूक का रब है. इस से समझ में आता है कि तवस्सुल जाइज़ है.

इमाम ज़रूक़ ने शरहु हिज़बिल बहर में बहुत से सालिहीन का ज़िक्र करने के बाद फरमाया: (तर्जमा) अऐ अल्लाह! हम तेरी बारगाह में इन हज़रात का वसीलह पेश करते हैं. क्यों कि इन्हों ने तुझ से मुहब्बत की है और हक़ीक़त में तू ने इन से मुहब्बत की है तभी ये तेरी मुहब्बत तक पहुँच सके. हम अभी तक इन की मुहब्बत तक नहीं पहुंचे तो तेरी मुहब्बत तक कैसे पहुंच सकते हैं. अऐ अरहमुर्राहिमीन! हमारे लिऐ इसे ऐसी आफियत के साथ पूरा फरमा जो कामिल और शामिल हो. यहाँ तक कि हम तुझ से मुलाक़ात करें....

और कुछ आरिफीन की दुआ इन अल्फाज़ में थी:(तर्जमा) अऐ अल्लाह! अऐ काबा और उस के बनाने वाले के रब! फातिमह, उन के वालिद,उन के शौहर और उन के शहज़ादों के रब! मेरी बसीरत और आँख को और मेरे दिल और बातिन को रौशन करदे.... कुछ आरिफीन ने फरमाया कि आँखों की बीनाई बढ़ाने के लिऐ यह दुआ बहुत मुजर्रब है. जो आदमी भी सुरमा लगाते वक़्त इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह

तआला उस की आँखों को मुनव्वर कर देगा. यह दुआ भी अस्बाबे आदियह में से है. हक़ीक़त में इस की कोई तासीर नहीं. मुअस्सिरे हक़ीक़ी तो अल्लाह तआला ही है. तो जिस तरह अल्लाह तआला ने खाने पीने को आसूदगी और सैराबी का ज़रियह बनाया है. यह दोनों मुअस्सिर नहीं हैं. मुअस्सिर सिर्फ अल्लाह तआला है. और जिस अल्लाह ने ताअत और फरमां बरदारी को सआदत और हुसूले दरजात का सबब बनाया है. उसी ने सालिहीन से (जिस को उस ने मुअज़्ज़म बनाया और जिन की ताज़ीम का हुक्म दिया) तवस्सुल को ज़रूरतों के पूरा करने का वसीलह और सबब बनाया है.इस में शिर्क व कुफ्र जैसी कोई बात नहीं और जो शख्स असलाफे किराम के औराद व वज़ाइफ और अज़कार की तलाश व जुसतजू करेगा तो तवस्सुल की बेशुमार मिसालें उसे मिलेंगी. इन मुनकिरीन व मानेईन के आने तक अस्लाफ में से किसी ने भी इस का इन्कार नहीं किया. अकाबिरीने उम्मत से जो तवस्सुल वाक़े हुआ अगर उस की छान बीन में लग जाऐं तो उस के बयान से कई किताबें भर जाऐं. और जो कुछ ज़िक्र हुआ वह तौफीक़ का आइना और क़बूलियत का कान रखने वालों के लिऐ काफी है. मैं ने इस सिलसिले में गुफतगू इस लिऐ लम्बी करदी कि शक करने वालों के लिऐ यह मसला मुकम्मल तरीक़े से वाज़ेह हो जाऐ क्यों कि तवस्सुल का इन्कार करने वाले बहुत से लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा करके उन्हें अपने अक़ाइदे बातिला की जानिब माइल करते हैं तो हो सकता है कि अल्लाह तौफीक़ दे और लोग इन शबहात को क़बूल करने से महफूज़ रहें औ इन नुसूस से वाक़िफ हो कर उन शुबहात की तरफ तवज्जह ना दें और उन के पैदा करदह शुबहात को इन नुसूस के ज़रियह बातिल करदें तो अऐ सुनने वाले तुम पर जुमहूरे उम्मत और सवादे आज़म की पैरवी करना लाज़िम व ज़रूरी है वरना तुम अल्लाह व रसूल की मुखालिफत करने वाले और मोमिनीन के रास्ते के इलावह दूसरे रास्ता की पैरवी करने वाले हो जाओगे. अल्लाह तआला फरमाता है:

(तर्जमा) और जो रसूल के खिलाफ करे बाद इस के कि हक़ रास्ता उस पर खुल गया और मुसलमानों की राह से जुदा राह चले हम उसे उस के हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख में दाखिल करेंगे और क्या ही बुरी जगह है पलटने की ... (निसा: ११४) रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: (तर्जमा) बड़ी जमात की पैरवी करो. क्यों कि भेड़िया उसी बकरी को खाता है जो बकरियों की टोली से दूर हो जाती है. और आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: (तर्जमा) जो शख्स एक बालिश्त भर सवादे आज़म (यानी सुन्नियों की जमाअत) से जुदा हुआ तो गोया उस ने इसलाम के पट्टे को अपनी गरदन से उतार फेंक दिया.

अल्लामह इब्ने जोज़ी ने अपनी किताब तलबीसे इबलीस में सवादे आज़म को छोड़ने और उस से जुदा होने की वईद पर मुशतमिल बहुत सी हदीसों का ज़िक्र किया है. उन में से कुछ हदीसें यहाँ लिखी जाती हैं.

(१) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबियह के मक़ाम पर खुतबा दिया और फरमाया: (तर्जमा) जो आदमी जन्नतुल फिरदौस का तलब गार हो तो उस पर सवादे आज़म की पैरवी करना लाज़िम व ज़रूरी है क्यों कि शैतान उसी के साथ रहता है जो तनहा हो और वह दो लोगों से दूर रहता है.

(२) हज़रत अरफजह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ने रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना: (तर्जमा) अल्लाह का दस्ते क़ुदरत जमात पर है और शैतान जमात की मुखालिफत करने वालों के साथ रहता है.

(३) हज़रत उसामह बिन शरीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं ने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना: (तर्जमा) अल्लाह का दस्ते क़ुदरत जमात पर है तो जब उन में से कोई शख्स जमात से अलग हो कर तनहा रह जाता है तो शैतान उसे

उचक लेते हैं जिस तरह (तनहा रह जाने वाली) बकरी को भेड़िया उचक लेता है.

(४) हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं: (तर्जमा) बेशक शैतान इन्सान के लिऐ भेड़िया है. जिस तरह बकरी का भेड़िया होता है जो दूर दराज़ अकेले रहने वाली बकरी को उचक लेता है. तो तुम टुकड़ियों में बटने से बचो और मुसलमानों की आम जमात (सवादे आज़म) को और मस्जिद को लाज़िम पकड़ो....

(५) हज़रत अबू ज़र ग़ेफारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं की नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:(तर्जमा) दो एक से बेहतर हैं और तीन दो से. और चार तीन से बेहतर हैं. बस तुम पर लाज़िम है कि बड़ी जमात का दामन थामे रहो. क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत को सिर्फ हिदायत पर जमा फरमाऐगा....

तो तवस्सुल व ज़ियारत का इन्कार करने वाले (हक़ीक़त में) मुसलमानों की बड़ी जमात और सवादे आज़म से जुदा हो चुके हैं. इन नादानों ने क़ुरआन की बहुत सी आयतें(जो कि कुफ्फार व मुशरिकीन के हक़ में नाज़िल हुई थीं) लेकर तवस्सुल व ज़ियारत का एतक़ाद रखने वाले मुसलमानों पर चसपाँ कर दिया और इस बद तरीन फेल के ज़रिया बहुत से उलमा, सालिहीन और इबादत व रियाज़त करने वाले औलिया की तकफीर कर बैठे और बकने लगे कि यह सब उन मुशरिकीन की तरह हैं जिन्हों ने यह कहा था(तर्जमा) हम तो उन्हें सिर्फ इतनी बात के लिऐ पूजते हैं कि यह हमें अल्लाह के नज़दीक करदें.... (अज़ ज़ुमरः ३) हालाँकि आप जानते हैं कि मुशरिकीन ने ग़ैरुल्लाह की उलूहिय्यत का एतक़ाद रखा और उन बुतों को इबादत का मुस्तहिक़ समझा था. और कोई भी मोमिन ग़ैरुल्लाह के खुदा होने या उसे इबादत का मुस्तहिक़ होने का क़ौल नहीं करता. तो फिर इन मुनकिरीन ने तवस्सुल व ज़ियारत करने वालों को उन मुशरिकीन की तरह कैसे क़रार दिया.

शफाअत का सुबूतः- तवस्सुल व ज़ियारत का इन्कार करने वालों का एक अक़ीदह यह भी है कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत तलब करना जाइज़ नहीं है और दलील यह पेश करते हैं कि अल्लाह तआला ने क़ुरआन में फरामाः (तर्जमा)वह कौन है जो उस के यहाँ सिफारिश करे बे उस के हुक्म के.... (अल बक़रहः २५५) और अल्लाह तआल ने फरमायाः (तर्जमा) और शफाअत नहीं करेंगे मगर उस के लिऐ जिस के लिऐ वह पसन्द फरमाऐ..... (अल अंबियाः २८) इस्तदलाल इस तौर पर करते हैं कि जब तालिबे शफाअत को मालूम ही नहीं कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस की शफाअत की इजाज़त मिलेगी कि नहीं तो फिर वह उन से शफाअत कैसे तलब कर सकता है? और जब तालिबे शफाअत को पता नहीं कि वह उस की शफाअत की इजाज़त मिलेगी कि नहीं तो वह शफाअत की दरख्वास्त कैसे कर सकता है?

इन की यह दलील बातिल व मरदूद है. इस के बुतलान पर वह सहीह हदीसें दलालत कर रही हें जिन में है कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनीन की शफाअत करने की इजाज़त मिल चुकी है. और अहादीसे सहीहा से साबित है कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस शख्स की शफाअत फरमाऐंगे जो हर अज़ान के बाद अज़ान वाली मशहूर दुआ पढ़ेगा. और जुमा के दिन आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले और आप के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत करने वाले भी आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम नहीं होंगे. और बहुत सू हदीसें उन आमाल के बारे में मरवी हैं जिन के करने से शफाअत वाजिब हो जाती है. अगर उन्हें ज़िक्र करदें तो बात काफी लम्बी हो जाऐगी. और गुनाह गारों की शफाअत के तअल्लुक से अहादीसे सहीहा आई ह. जैसे रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) मेरी शफाअत मेरी उम्मत के उन लोगों के लिऐ है जो गुनाहे

कबीरह करने वाले हैं..... और बहुत से मुहद्दिसीन ने अल्लाह तआला के क़ौल (वला यशफऊना इल्ला लिमनिर तजा) की तफसीर में फरमाया: जिन का खात्मह ईमान पर होगा वह (मनिर तजा) में दाखिल हैं. लिहाज़ा उन्हें नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी. इन तमाम दलीलों से साबित हुआ कि अक़ीदऐ शफाअत साबित व बरहक़ है. नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मोमिन की शफाअत करने की इजाज़त दी गई है. तो गोया शफाअत तलब करने वाला अल्लाह तआला की बारगाह में नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीलह पेश कर रहा है कि ता दमे हयात उस का ईमान महफूज़ रहे ताकि वह शफाअत का अहल हो कर आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत में दाखिल हो जाऐ. यह सारी बातें बिलकुल ज़ाहिर हैं. इन में कुछ भी पोशीदा नहीं. हाँ जो बसीरत से महरूम है उस के नज़दीक यह सारी बातें पोशीदा हैं.

निदाऐ या रसूलल्लाह सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाज़ :- तवस्सुल व ज़ियारत के इन मुनकिरीन का एक अक़ीदऐ बातिल यह भी है को जो वफात पा चुका उसे और जमादात को सेग़ऐ निदा के साथ पुकारना जाइज़ नहीं है. क्यों कि यह भी कुफ्र व शिरक और ग़ैरुल्लाह की इबादत में दाखिल है. इन का यह अक़ीदह भी बातिल व मरदूद है. इस के जाइज़ ना होने की इन के पास कोई मज़बूत दलील नहीं है. बस कुछ शुकूक व शुबहात हैं जिन से यह इस्तदलाल करते हैं, मसलन यह कहते हैं कि सेग़ऐ निदा के ज़रियह पुकारना दुआ है. और हर दुआ इबादत है. बल्कि दुआ इबादत की अस्ल है. इन नादानों ने मुशरिकीन के हक़ में नाज़िल होने वाली बहुत सी आयतों को उन मुवह्हिदीन पर चिपका दिया है जो निदा करते हैं. यह तलबीस फिद्दीन है जिस के ज़रिया इन्हों ने बहुत से मुसलमानो को गुमराह क़रार दिया है.

इन के रद का माहसल यह है कि निदा को कभी दुआ से ताबीर कर दिया जाता

है. जैसा कि अल्लाह तआला के क़ौल: (तर्जमा) रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा ना बनाओ जैसा एक दूसरे को पुकारते हो..... (अन्नूर : ६ २) में निदा को दुआ से ताबीर किया गया है. लेकिन इस दुआ को इबादत नहीं कहते. क्यों कि हर दुआ इबादत नहीं है. अगर हर निदा दुआ हो और हर दुआ इबादत तो इस में ज़िन्दों और मुर्दों को निदा करना भी दाखिल होगा. तो मुतलक़न हर निदा मना होगी. चाहे वह निदा ज़िन्दो के लिऐ हो या जो वफात पा चुके उन के लिऐ. हैवानात के लिऐ हो या जमादात के लिऐ. हालाँ कि मुआम्ला ऐसा नहीं है. क्यों कि सिर्फ वही निदा इबादत है जिस में निदा करने वाला यह एतक़ाद रखे कि जिस को वह निदा दे रहा है वह खुदा और इबादत का मुस्तहिक़ है. इस एतक़ाद के साथ वह उस की जानिब रगबत करे और उस के हुज़ूर आजिज़ी का इज़हार करे तो जो चीज़ शिर्क में दाखिल करने वाली है वह ग़ैरुल्लाह के खुदा होने और उस के मुअस्सिर होने का एतक़ाद रखना है. और मुसलमान जिस को माबूद या मुअस्सिर ना समझते हों अगर उसे निदा करें तो यह इबादत नहीं है. चाहे वह ज़िन्दह हो या मर गया हो. जमाद हो या कुछ और. और भी बहुत सी हदीसों में अमवात और जमादात को निदा देना साबित है. तो इन बेवकूफों का यह कहना कि हर निदा दुआ है और हर दुआ इबादत है अपने इतलाक़ और उमूम पर सही नहीं है. अगर मुआम्ला ऐसा ही होता तो ज़िन्दह और मुर्दह दोनों को निदा देना मना होता. क्यों कि दोनों मुअस्सिर ना होने में बराबर हैं. और कोई भी मुसलमान ग़ैरुल्लाह के खुदा होने या मुअस्सिरे(हक़ीक़ी) होने का एतक़ाद नहीं रखता.

मुनकिरीन की तरफ से दिऐ गऐ जवाब का रद:- अगर मुनकिरीन व मानिईन यह कहें कि ज़िन्दह इन्सान को निदा देना और उस से कुछ तलब करना इस लिऐ जाइज़ है कि वह मतलूब चीज़ पर क़ादिर है. और रहे वह लोग जो वफात पा चुके या जमादात तो यह किसी चीज़ पर क़ादिर नहीं हैं. महेज़ आजिज़ हैं. तो हम इन से कहेंगे कि तुम्हारा यह

एतक़ाद कि ज़िन्दह कुछ चीज़ों पर क़ादिर हैं इस एतक़ाद को मुस्तलज़िम है कि बन्दह अपने अफआले इखतियारियह का खालिक़ है. हालाँ कि यह एतक़ाद बातिल व मर्दूद है. क्यों कि हम अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदह यह है कि बन्दे और उस के तमाम कामों का खालिक़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला है. बन्दह सिर्फ कासिब है. अल्लाह तआला का फरमान हैः (तर्जमा) अल्लाह तुम्हारा और तुम्हारे अफआल का खालिक़ है.... (अस्साफ्फातः ९६) और फरमाता हैः (तर्जमा) अल्लाह हर चीज़ का खालिक़ है... (अज़्ज़ुम्रः ६३) तो खालिक़ और मुअस्सिर ना होने में ज़िनदा मुर्दा और जमादात सब बराबर हैं. मुअस्सिर और खालिक़ सिर्फ अल्लाह तआला है. ग़ैरुल्लाह की तासीर, उस की उलूहियत और उस के मुसतहिक़्के इबादत होने का एतक़ाद ही तौहीद के मनाफी है. इन एतक़ादात के बग़ैर किसी को महेज़ सेग़ाऐ निदा के साथ पुकारना ईमान के लिऐ कुछ भी नुकसान्देह नहीं.और जिन हदीसों में वफात याफतगान और जमादात को उलूहियत व तासीर के एतक़ाद के बग़ैर पुकारना आया हुआ है वह बहुत ज़्यादा हैं. उन्हीं में से एक ना बीना वाली हदीस है जो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है.क्यों कि उस में है﴿يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ﴾ और पहले भी गुजरा कि सहाबाऐ किराम रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात पा जाने के बाद भी आप को सेग़ाऐ निदा के साथ पुकारते थे. और हज़रत बिलाल बिन हारिस वाली हदीस भी पहले गुजरी है. जिस में था

﴿إِنَّهُ جَاءَ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِسْتَسْقِ لأُمَّتِكَ﴾

इन रिवायतों में आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात पाजाने के बाद निदा दी गई है और आप को मुखातब कर के उम्मत के लिऐ बारिश की दरख्वास्त की गई है ज़ियारते क़ुबूर के तअल्लुक से वारिद होने वाली हदीसें भी इसी जैसी हैं. क्यों कि उन में से बहुत सी हदीसों में सेग़ाऐ निदा और खिताब का ज़िक्र है जैसेः (तर्जमा) अऐ क़ब्र

वाले मोमिनो! तुम पर सलामती हो इन्शा अल्लाह हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं..... इस मे अहले क़ुबूर को निदा भी दी गई है और उन्हें मुखातब किया गया. इस तरह की हदीसें बे शुमार हैं उन्हें ज़िक्र करके गुफतगू को दराज़ करने की ज़रूरत नहीं.

मज़ाहिबे अरबा के अइम्मऐ सलफ व खलफ ने ज़ियारत करने वाले के लिऐ मुस्तहब क़रार दिया है कि क़ब्र अन्वर के सामने खड़े हो कर यह कहेः (तर्जमा) या रसूलल्लाह! मैं आप की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करने और अपने रब की बारगाह में आप को शफी बनाने के लिऐ हाज़िर हुआ हूँ..... और उस तशह्हुद में भी निदा की सूरत मौजूद है जिसे हर मुसलमान नमाज़ में पढ़ता है. क्यों कि हर मुसलमान नमाज़ में तशह्हुद के दरमियान कहता है

﴿السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ﴾

(तर्जमा) अऐ नबी! आप पर सलाम और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों.....और बिलाल बिन हारिस से हदीसे सहीह मरवी है कि उन्हों ने क़हत साली में एक बकरी ज़बह की तो उसे बे मग़ज़ व गोश्त पाया. वह उसी वक़्त वा मुहम्मदाह वा मुहम्मदाह की सदा लगाने लगे. और यह रिवायत भी दरजऐ सेहत पर फाइज़ है कि रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब ने जब मुसैलमह कज़्ज़ाब से जिहाद फरमाया तो वा मुहम्मदाह वा मुहम्मदाह कहना उन की आदत बन गई थी. और हज़रत क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह की अश शिफा में हैः(तर्जमा) एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का पैर सुन हो गया. उन से कहा गया कि उन्हें याद करें जो आप को सब से ज़्यादह महबूब हैं. उन्हों ने फौरन कहा वा मुहम्मदाह. यह कहना था कि उन का पैर फौरन सही हो गया.

जमादात से मुखातिब होने और उन्हें निदा करने का सुबूत भी बहुत सी हदीसों में मिलता है. एक हदीस यह हैः (तर्जमा) रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम

जब किसी ज़मीन में नुजूल फरमाते तो उस से कहते: अऐ ज़मीन! मेरा और तेरा रब अल्लाह है..... इस हदीस में आक़ा सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन (जो कि जमादात में से है) से खिताब किया और उसे निदा दी लिहाज़ा इस में शिर्क व कुफ्र जैसी कोई बात नहीं. क्यों कि इस में ना ही ग़ैरुल्लाह के खुदा होने का ऐतक़ाद है और ना ही उस के मुसतहिक़े इबादत होने या मुअस्सिर (हक़ीक़ी) होने का यक़ीन.

फुकहा ने आदाबे सफर में लिखा है कि मुसाफिर की सवारी जब ऐसी सर ज़मीन में भटक जाऐ जहाँ कोई उस का ग़मखार ना हो तो उसे (अऐ अल्लाह के बन्दो! मेरी हिफाज़त करो) कहना चाहिऐ या अगर किसी शख्स की कोई चीज़ खो जाऐ या किसी से मदद तलब करना चाहे तो उसे (अऐ अल्लाह के बन्दो मेरी मदद करो और मेरी फरयाद को पहुंचो) कहना चाहिऐ. क्यों कि अल्लाह के कुछ ऐसे बन्दे हैं जो हमें नज़र नहीं आते.

जवाज़े निदा पर फुकहाऐ किराम ने उस हदीस से भी इस्तदलाल किया है जिसे इब्नुस्सनी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: (तर्जमा) जब तुम में से किसी का जानवर किसी बयाबान ज़मीन में गुम हो जाऐ तो उसे यूँ निदा करना चाहिऐ. अऐ अल्लाह के बन्दो हिफाज़त करो! क्यों कि अल्लाह तआला के कुछ बन्दे उस की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे..... इस हदीसे पाक में अल्लाह के बन्दों को निदा करने और उन से नफा तलब करने का हुक्म दिया गया है. यानी रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के उन बन्दों को कि जिन्हें हम देख नहीं रहे हैं हुसूले नफा का सबब बनाने का हुक्म दिया है.

हज़रत इमाम तिबरानी की रिवायत करदह दूसरी हदीस में यह है कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:(तर्जमा) जब तुम में से किसी आदमी का कोई सामान गुम हो जाऐ या किसी से मदद तलब करना चाहे और वह ऐसी ज़मीन में हो

जहाँ कोई उस का ग़मखार न हो तो उसे कहना चाहिऐ अऐ अल्लाह के बन्दो मेरी मदद करो. मेरी फरयाद को पहुंचो! क्यों कि अल्लाह के कुछ बन्दे ऐसे हैं जो तुम्हें नज़र नहीं आते...

अल्लामह इब्ने हजर ने ईज़ाहुल मनासिक के हाशियह में फरमाया: यह दुआ बहुत मुजर्रब है जैसा कि इस हदीस के रावी का बयान है. और इमाम अबू दाऊद वग़ैरह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर में होते और रात आ जाती तो यह दुआ पढ़ते: (तर्जमा) अऐ ज़मीन! मेरा और तेरा रब अल्लाह है. मैं शिर्क से, तेरे शर से, तेरे अन्दर पैदा किऐ गऐ शर से और तेरे ऊपर चलने वालों के शर से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ. मैं शेर, साँप और बिच्छू से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ. मैं शहर मे रहने वाले और वालिद व वलद के शर से अल्लाह की पनाह में आता हूँ..... फुकहाऐ किराम ने ज़िक्र किया है कि मुसाफिर के लिऐ रात के वक़्त इस दुआ को पढ़ना मस्नून है. इस हदीसे पाक में जमाद के लिऐ निदा और खिताब का इस्तेमाल किया गया है.

इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और इमाम दारमी ने तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया कि रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चान्द देखते तो कहते: (तर्जमा) मेरा और तेरा रब अल्लाह है... इस हदीस में भी आक़ा सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाद को निदा दी है और उस से खिताब किया है.

हदीसे सहीह में आया है कि जब रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ तो दौड़े आऐ और हुजरऐ अक़्दस के पास तशरीफ ले गऐ. चेहरे से नक़ाब उठाया. झुके. पेशानी को बोसा दिया और यह कहते हुऐ रोने लगे: (तर्जमा) या रसूलल्लाह! मेरे माँ

बाप आप पर क़ुरबान हों आप ज़िन्दगी में भी पाकीज़ा रहे और वेसाल के बाद भी पाकीज़ा रहेंगे. या मुहम्मद (सलल्लाहु अलैहि वसल्लम) अपने रब के पास हमें ना भूलना और हमारा शुमार आप की आल में होना चाहिऐ. इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत इस तरह है. आने के बाद उन्हों ने रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा दिया और कहाः हाऐ अल्लाह के नबी वेसाल फरमा गऐ. फिर दूसरी मरतबा बोसा दिया और कहाः हाऐ अल्लाह के सफी वेसाल फरमा गऐ. तीसरी मरतबा बोसा दिया और कहाः हाऐ अल्लाह के खलील वेसाल फरमा गऐ..... इस रिवायत में भी वेसाल के बाद आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा दी गई है. और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने से जब हज़रत फारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को आप के वेसाल फरमा जाने का यक़ीन हो गया तो वह भी यह कहते हुऐ रोने लगेः (तर्जमा) या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों! खुजूर का एक तना था. जिस पर खड़े हो कर आप लोगों को खुत्बह दिया करते थे. जब लोग ज़्यादह हो गऐ और आप ने मिम्बर बनवा लिया तो आप की जुदाई की वजह से वह तना रोने लगा. लोग उस का रोना सुनते थे. जब आप ने उस पर अपना दस्ते शफकर रखा तब उसे क़रार नसीब हुआ. या रसूलल्लाह! जब कि आप ने अपनी उम्मत को दाग़े मुफारिकत दे दिया है तो आप की उम्मत आप पर आँसू बहाने की ज़्यादह हक़दार है. या रसूलल्लाह! मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों खुदाऐ तआला की बारगाह में आप की फ़ज़ीलत इस क़दर बलन्द है कि उस ने आप की इताअत को अपनी इताअत क़रार दिया. लिहाज़ा क़रआने पाक में फरमाया (जिसने रसूल की इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत करली). या रसूलल्लाह! मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों खुदाऐ तआला की बारगाह में आप की शान यह है कि उस ने आप को सब से आखिर में मबऊस फरमाया और आप का ज़िक्र सब से पहले किया चुनान्चेह

फरमाया(और याद करो जब हम ने अंबियाऐ किराम से पक्का अहद लिया और आप से और नूह से और इब्राहीम से और मूसा व ईसा से भी पक्का अहद लिया) या रसूलल्लाह! मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों खुदाऐ तआला की बारगाह में आप की शान इस क़दर बलन्द है कि दोज़खी यह आरज़ू करेंगे कि काश वह आप की पैरवी करते जबकि दोज़ख के तबक़ात में उन्हें अज़ाब दिया जा रहा होगा. वह यह कहेंगे काश हम ने अल्लाह और उस के रसूल की पैरवी करली होती. या रसूलल्लाह! मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों मुखतसर सी उमर में आप की पैरवी इतने लोगों ने की जितने लोगों ने (हज़रत) नूह की लम्बी और पूरी उमर में भी उन की पैरवी नहीं की...

आप इन अल्फाज़ में ग़ौर करें जिन का तकल्लुम हज़रत फारूक़े आज़म ने किया है. (इस रिवायत में) आप रज़िअल्लाहु अन्हु ने रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेसाल फरमाने के बाद कई बार निदा दी है. इसे बहुत से अइम्मऐ हदीस ने रिवायत किया है. इसे क़ाज़ी अयाज़ ने शिफा में, अल्लामह क़स्तलानी ने अल मवाहिबुल लदुनियह में, इमाम ग़ज़ाली ने अहयाउल उलूम में और इमाम इब्नुल हाज ने अल मदखल में रिवायत किया है. इस रिवायत से और इस तरह की दूसरी रिवायतों से उन लोगों का रद हो गया जो निदा के जवाज़ का मुकम्मल तौर से इन्कार करते हैं और कहते हैं कि हर निदा दुआ है और हर दुआ इबादत है. (और ग़ैरुल्लाह की इबादत जाइज़ नहीं. लिहाज़ा ग़ैरुल्लाह को निदा देना भी जाइज़ नहीं).

हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि जब आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो आप की साहब ज़ादी हज़रत फातिमह रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहाः (तर्जमा) अऐ अब्बा हुज़ूर! आप ने अपने रब की दावत पर लब्बैक कह दिया. अऐ अब्बा हुज़ूर! जन्नतुल फिरदौस आप का ठिकाना है. अऐ अब्बा हुज़ूर! मै जिबरील को आप की वफात की खबर दे रही

हूँ. इस हदीस में भी आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप के वेसाल के बाद निदा दी गई है. आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफीय्यह ने आप के विसाल के ग़म में बहुत से अशआर कहे. उन के एक लम्बे क़सीदह का पहला शेर है...

أَلَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْتَ رَجَا ئُنَا وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَ لَمْ تَكُ جَا فِيًا

(तर्जमा) या रसूलल्लाह आप हमारी उम्मीद गाह थे. आप हम पर मेहरबान थे, सख्त गीर ना थे.....

इस शेर में भी आप के वेसाल के बाद आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेग़ऐ निदा के साथ पुकारा गया है. और किसी भी सहाबी ने इन्कार नहीं किया हालाँ कि वह सब मौजूद थे और सुन रहे थे. मय्यत के दफन करने के बाद तलक़ीन करने का हुक्म भी उसे निदा देने के जवाज़ पर दलालत कर रहा है. इस हुक्म को बहुत से फकहा ने बयान किया है और दलील में वह हदीस पेश की है जिसे इमाम तबरानी ने हज़रत अबू उमाम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है और इस हदीस को बहुत से शवाहिद से क़ुव्वत हासिल है. इस की सूरत यह है कि मय्यत को दफनाने के बाद उस की क़ब्र के सिरहाने खड़े हो कर मय्यत को मुखातब कर के यूँ कहेः (तर्जमा) अऐ अब्दुल्लाह इब्ने अमतुल्लाह! उस पक्के अहद को याद करो जिस पर तुम दुनिया से गऐ. यानी उस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं. वह तनहा है उस का कोई शरीक नहीं. और मुहम्मद सलल्लाहु अलैहि वसल्लम उस के बन्दे और उस के रसूल हैं. जन्नत व दोज़ख हक़ हैं. क़यामत आने वाली है. उस के आने में कुछ भी शुबहा नहीं. और यह कि अल्लाह तआला क़ब्रों से मुर्दों को ज़िन्दह फरमाऐगा. कहो मैं अल्लाह के रब होने, इस्लाम के सच्चे दीन होने, मुहम्मद सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने, काबा के क़िब्लह होने और मुसलमानो के भाई भाई होने पर राज़ी हूँ. मेरा रब अल्लाह है. उस के सिवा कोई खुदा नहीं. वह अरशे अज़ीम का मालिक है..... इस तलक़ीन में निदा व

खिताब है तो फिर यह लोग निदा का मुतलक़न इन्कार कैसे कर सकते हैं?

मय्यत को निदा करने के जवाज़ पर वह मशहूर हदीस भी दलालत कर रही है जिस में है कि मैदाने बदर में क़त्ल किऐ गऐ कुफ्फार व मुशरिकीन को कुऐं में डालने के बाद नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन को निदा दी. इसे इमाम बुखारी और असहाबे सुनन ने रिवायत किया है. इन तमाम मयहद्दिसीने ने ज़िक्र किया : (तर्जमा) नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम उन का और उन के बाप का नाम लेकर उन्हें पुकारने लगे और कहने लगे कि क्या तुम्हें अल्लाह व रसूल की इताअत करने से खुशी ना होती. क्यों कि हम ने तो अपने रब के किऐ हुऐ वादे को हक़ पाया तो क्या तुम ने भी अपने रब के किऐ हुऐ वादा को हक़ पाया.....

इस तरह की निदा के जवाज़ पर दलालत करने वाले वह आसार जो अइम्मऐ किराम, उलमाऐ ज़विल एहतराम और औलियाऐ सालिहीन से मरवी हैं वह इस क़दर ज़्यादह हैं कि उन को लिखते लिखते उमरें खतम हो जाऐंगी और सदियाँ गुजर जाऐंगी. यह मानेईन उन का इन्कार नहीं कर सकते तो इस चीज़ की वजह से मुसलमानों की तकफीर करना कैसे दुरुस्त होगा जिस का सुबूत मज़बूत और पुख्ता दलीलों से है.

हदीसे सहीह में आया हैः (तर्जमा) जिस ने अपने किसी मुसलमान भाई को काफिर कह कर पुकारा तो वह क़ौल उन में कसी एक की तरफ ज़रूर पलटेगा. अगर वैसा ही है जैसा उस ने कहा तो ठीक वरना वह क़ौल उसी कहने वाले की तरफ पलट जाऐगा..... उलमा ने फरमाया कि एक हज़ार काफिरों के क़त्ल को मुआफ करदेना एक मुसलमान के खून को बहाने से बेहतर है. लिहाज़ा इस बारे में एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिऐ. लिहाज़ा किसी भी अहले क़िब्लह के काफिर होने का हुक्म नहीं लगाया जाऐगा. हाँ अगर उस से ऐसा कोई जुरम साबित हो जो वाज़ेह तौर पर तक़ज़ीबे ईमान पर दलालत करे तो उस वक़्त उस की तकफीर करने में तअम्मुल नहीं

किया जाऐगा.

मैं ने साहिबुल हवाशी अलल मुखतसर शैख मुहम्मद बिन सुलैमान अल कुरदी अल मदनी का फिक़्हे शाफई में एक अच्छा रिसाला देखा है. उस रिसाले में उन्हों ने मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी(जो कि उन का शागिरद था और मदीना मुनव्वरह में उन से तलम्मुज़ किया था) को उस वक़्त मुखातब करते हुऐ कहा था (जब कि वह वहाबी तहरीक ले कर उठा था). उस रिसाले में उन्हों ने मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी को मुखातब करते हुऐ कहाः अऐ इब्ने अब्दुल वह्हाब! हिदायत के पैरूकार पर सलामती हो. खुदा के वास्ते मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मुसलमानों की तकफीर से अपनी ज़बान रोक लो. जब तुम किसी के बारे में यह सुनो कि वह अल्लाह को छोड़ कर उस मुस्तग़ास बिही की तासीर का क़ाइल है तो उसे दुरुस्त बात बताओ और उस के सामने दलाइल से साबित करो कि तासीर सिर्फ अल्लाह तआला ही के लिऐ है. किसी ग़ैरुल्लाह के लिऐ नहीं. तो अगर वह इन्कार करे तो उस वक़्त खास उसी की तकफीर करो. सवादे आज़म को काफिर क़रार देना तुम्हारे लिऐ हरगिज़ जाइज़ नहीं. जब कि तुम सवादे आज़म से जुदा हो तो कुफ्र की निस्बत सवादे आज़म के बजाऐ उस की तरफ करना जो कि सवादे आज़म से अलग थलग हो हक़ से ज़्यादह क़रीब है क्यों कि उस ने मुसलमानो के रास्तह को छोड़ कर दूसरे रास्ते की पीरवी की है. अल्लाह तआला फरमाता हैः (तर्जमा) जो हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद भी रसूल की मुखालिफत करे और मुसलमानों के रास्ते के इलावह दूसरे रास्ते की पैरवी करे तो हम उसे उस के हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख में दाखिल करेंगे और वह क्या ही बुरा ठिकाना है... (अन्निसाः ११५) और सुनो भेड़या उसी बकरी को खाता है जो अपने रेवड़ से दूर हो जाती है.

हासिल कलाम ये कि तवस्सुल व ज़ियारत का इन्कार करने वाले (यह खबीस

) हद से तजावुज़ कर चुके हैं. उन्हों ने उम्मते मुहम्मदियह के अकसर अफराद की तकफीर करके उनहें मुबाहुद्दम वल माल (उन्हें क़त्ल करने और उन का माल लूटने को जाइज़) क़रार दे दिया है और उन्हें उन मुशरिकीन के मिस्ल क़रार दे दिया है जो रसूले पाक सल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में थे (जैसे अबू जहल व अबू लहब वग़ैरह) और कहते हैं कि यह लोग नबी सल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबियाऐ किराम व मुरसलीने इजाम और औलिया व सालिहीन को वसीलह बनाने और आप सल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत करने और आप सल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूलल्लाह अस्अलुकश शफाअह के ज़रियह निदा करने में मुशरिक हैं.

जिहालत व हिमाक़त की इन्तेहाः- यह नादान काफिरों के बारे में नाज़िल होने वाली आयतों को आम व खास मुसलमानों पर चसपाँ करते हैं. वह आयतें यह हैं.

(१) तर्जमाः तो अल्लाह के साथ किसी की बन्दगी ना करो....(जिन :१८)

(२) तर्जमाः और उन से बढ़ कर गुमराह कौन? जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजे जो क़यामत तक उन की ना सुनें और उन्हें उन की पूजा की खबर तक नहीं. और जब लोगों का हशर होगा वह उन के दुशमन होंगे और उन की इबादत के मुनकिर हो जाऐंगे..... (अल अहक़ाफ ५-६)

(३) तर्जमाः तो अल्लाह के सिवा दूसरा खुदा ना पूज कि तुझ पर अज़ाब होगा..... (अश शोराः २१३)

(४) उस का पुकारना सच्चा है और उस के सिवा जिन को पुकारते है वह उन की कुछ भी नहीं सुनते मगर उस की तरह जो पानी के सामने अपनी हथेलियाँ फैलाऐ बैठा है कि उस के मुँह में पहुंच जाऐ और वह हरगिज़ ना पहुंचेगा और काफिरों की हर दुआ भटकती फिरती है..... (अर रअद :१४)

(५) तर्जमाः और उस के सिवा जिन्हें तुम पूजते हो दाना खुरमा के छिल्के तक के मालिक नहीं. तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार ना सुनें और अगर बिल फ़र्ज़ सुन भी लें तो तुम्हारी हाजत पूरी ना कर सकेंगे. और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इन्कार कर बैठेंगे और खबर रखने वाले की तरह तुम्हें कौन बताऐगा.....

(६) तर्जमाः तुम फरमाओ पुकारो उन्हें जिन को अल्लाह के सिवा गुमान करते हो तो वह इख्तियार नहीं रखते तुम से तकलीफ दूर करने और ना फेर देने का. वह मक़बूल बन्दे जिन्हें यह काफिर पूजते हैं वह आप ही अपने रब की तरफ वसीलह ढून्डते हैं कि उन में ज़्यादह मुकर्रब कौन है उस की रहमत की उम्मीद रखते और उस के अज़ाब से डरते हैं बेशक तुम्हारे रब का अज़ाब डर की चीज़ है...... (अल अस्रा : ५५-५६)

क़ुरआने करीम में इस तरह की बहुत सी आयतें हैं. इन तमाम आयतों में इन वहाबियों के नादान मुफस्सिरीन ने निदा को दुआ के माना पर महमूल किया है और फिर उन्हें मोमिनीन मुवह्हिदीन पर चस्पाँ करते हुऐ यह बकवास की है कि जिस ने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी नबी वली से फरयाद की या उसे पुकारा या उन से शफाअत की दरख्वास्त की तो वह भी उन्हीं मुशरिकीन की तरह हैं जो यह कहते थेः (तर्जमा) हम इन बुतों की पूजा सिर्फ इस लिऐ कर रहे हैं कि यह हमें अल्लाह से क़रीब करदें..... (अज़ ज़ुमरः ३) क्यों कि यह मुशरिकीन नबियों की तासीर का एतक़ाद नहीं रखते थे बल्कि उन का अक़ीदह यही था कि हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ही है. जैसा कि आयते करीमहः (तर्जमा) और अगर तुम उन से पूछो कि उन्हें किस ने पैदा किया तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने. तो कहाँ ओन्धे जाते हैं.... अज़ ज़ुखरुफः ८७) और : तर्जमा) और अगर तुम उन से पूछो कि आसमानों और ज़मीन किर ने बनाऐ यह ज़रूर कहेंगे कि इन्हें बनाया उस इज़्ज़त वाले और इल्म वाले (अल्लाह) ने....... (अज़ ज़ुखरुफः ९) की दलालत से वाज़ेह है. उन्हें अल्लाह ने ''ليقرّبونا الیٰ الله زلفی'' कहने

ही की बुनियाद पर ही काफिर व मुशरिक क़रार दिया. लिहाज़ा शफाअत तलब करने वाले, इस्तेग़ासह करने वाले और उन्हें पुकारने वाले भी उन्हीं के जैसे हैं. (इस तरह की बकवास और जाहिलाना तफसीर लाइके इल्तेफात नहीं.

तौहीदे रबूबियत ही तौहीदे उलूहियत हैः- इन नादानों ने यह भी कहा की तौहीद की दो क़िस्में हैं. (१) तौहीदे रबूबीयतः यह वही तौहीद है जिस का इकरार मुशरिकीन को भी था. (२) तौहीदे उलूहियतः यह वह तौहीद है जिस का इकरार मुवह्हिदीन करते हैं. इसी के इकरार से इन्सान इस्लाम में दाखिल होता है. मुसलमान होने के लिऐ तौहीदे रबूबियत काफी नहीं.

इन नादानों का यह कलाम सिरे से बातिल है. क्यों कि आयाते करीमह में दुआ इबादत के माना में है. इन्हों ने लोगों को धोका देने और शुबहा पैदा करने के लिऐ इसे निदा के माना में ले लिया है. पिछली आयात व अहादीस से इस का बातिल होना आप जान चुके हैं. रही उलूहियत व रबूबियत की जानिब तौहीद की तक़सीम तो यह भी बातिल है. क्यों कि तौहीदे रबूबियत ही तौहीदे उलूहियत है. क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह तआला ने

اَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡ قَالُوۡا بَلٰی और الست بالهكم नहीं फरमाया. तो उन सब की जानिब से तौहीदे रबूबियत ही काफी हो गई. और यह बात मालूम है कि जिस ने तुम्हारे रब होने का इकरार कर लिया तो उस ने तुम्हारे इलाह होने का भी इकरार कर लिया. क्यों कि रब और इलाह में ग़ैरियत नहीं है (यानी दोनो जुदा नहीं हैं) बल्कि इन दोनों में ऐनिय्यत (यानी दोनों का मफहूम एक ही) है. हदीसे पाक में आया है कि क़ब्र में दो फरिशते बन्दे से सवाल करेंगे. वह कहेंगे मन रब्बुक? मन इलाहुक नहीं कहेंगे. इस से भी साबित हुआ कि तौहीदे रबूबियत ही तौहीदे उलूहियत है. इन नादानों पर तअज्जुब है कि इन के पास कोई मुसलमान आकर कलमऐ तय्यबह पढ़ता है तो यह उस से कहते हैं कि अभी

तुम ने तौहीद ना जानी. तुम्हारी यह तौहीद तौहीदे रबूबियत है. तुम तौहीदे उलूहियत से ना आशना हो. और इस तरह की तलबीसाते बातिलह की बुनियाद पर यह नादान इसे मुबाहुद्दम वल माल क़रार देते हैं. तो क्या किसी काफिर की तौहीद सहीह हो सकती है? क्यों कि अगर ऐसा हो जाऐ तो यह तौहीद उसे दोज़ख से बचा लेगी. क्यों कि दोज़ख में कोई भी मुवह्हिद बाक़ी नहीं रहेगा.

अऐ मुसलमानो! क्या तुम ने हदीस और सीरत की किताबों में पढ़ा या किसी से सुना कि जब रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरब के क़बीले आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर इस्लाम क़बूल करने आते थे तो आप उन के सामने तौहीद की दो क़िस्में करते थे. (१) उलूहियत (२) रबूबियत. और आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते थे कि तौहीदे उलूहियत ही उन्हें दीने इस्लाम में दाखिल करेगी. या सिर्फ शहादतैन का इकरारे ज़ाहिरी ही उन के लिऐ काफी होता था. और आप उन के मुसलमान होने का फैसला कर देते थे.

यह बकवास सिर्फ अल्लाह व रसूल पर इफ्तेरा और झूट है. क्यों कि जिस ने रब को एक जाना . उस ने इलाह को एक जाना. और जिस ने रब के साथ किसी को शरीक किया, उस ने इलाह के शाथ शरीक किया. इस लिऐ कि ईमान वालों का रब के अलावह कोई दूसरा खुदा नहीं है. तो जब यह ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो उन का अक़ीदह यही होता है कि अल्लाह ही उन का रब है. जिस तरह ग़ैरुल्लाह से रबूबियत की नफी करते हैं इसी तरह ग़ैरुल्लाह से उलूहियत की नफी करते हैं और ज़ात व सिफात में अल्लाह ही के लिऐ वहदानियत को साबित करते हैं. और जिस चीज़ ने मुशरिकीन को कुफ्र व शिर्क में दाखिल किया वह सिर्फ ما نعبدهم الّا ليقربونا الىٰ الله زلفىٰ की रट लगाना नहीं था (जैसा कि मुनकिरीन गुमान करते हैं) बल्कि उन्हें कुफ्र व शिर्क में दाखिल करने वाला यह एतक़ाद था कि ग़ैरुल्लाह भी कभी इलाह होकर मुस्तहिक़्क़े

इबादत हो जाता है. अगर चे उन का एतक़ाद यही था कि खालिक़ व मुअस्सिर सिर्फ अल्लाह तआला है. तो जब उन्हों ने ग़ैरुल्लाह की उलूहियत और उस के इबादत के लायक़ होने का एतक़ाद रखा और उन पर दलील क़ाइम की गई कि यह नफा व नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते और ना ही यह कुछ पैदा कर सकते हैं बल्कि उन्हें खुद पैदा किया गया है. तो उन्हों ने जवाब दिया कि (हम तो उन्हें इस लिऐ पूज रहे हैं कि यह हमें अल्लाह के क़रीब करदें) तो ग़ैरुल्लाह की उलूहियत और उस के इबादत के लायक़ होने के एतक़ाद ने ही उन्हें शिर्क में दाखिल किया और इस तरह के एतक़ाद के होते हुऐ अल्लाह के खालिक़ व मुअस्सिर होने के ऐतक़ाद ने उन्हें कुछ भी नफा ना दिया और यह काफिर व मुशरिक ठहराऐ गऐ.

अलहम्दु लिल्लाह मुसलमान इस तरह के अक़ीदे से बरी हैं. क्यों कि यह किसी भी ग़ैरुल्लाह के लिऐ उलूहियत और इबादत के लायक़ होने का एतक़ाद नहीं रखते. तो दोनों की हालतों में बड़ा फरक है. और मुसलमानों की तकफीर करने वाले यह नादान इन दोनों में फरक नहीं कर सके और हवास बाख्ता होकर बकने लगे कि तौहीद की दो क़िस्में हैं(१) उलूहियत (२) रबूबियत. और इस बातिल तक़सीम की रौ से मुसलमानों की तकफीर करने लगे. आप गुजिश्ता नुसूस (आयतें) में ग़ौर करें तो इन्शा अल्लाह आप पर बात वाज़ेह हो जाऐगी और आप जान लेंगे कि जिस अक़ीदह पर सवादे आज़म हैं वही हक़ व सही है. उस से फरार मुमकिन नहीं.

वहाबियों के एक और अक़ीदह का बुतलानः- मुसलमानों को मुलहिद और काफिर क़रार देने वालों का यह अक़ीदह भी है कि औलिया व सालिहीन की बारगाह में जाना, उन से अक़ीदत रखना और उन से बरकत हासिल करना शिर्के अकबर है. इन का यह अक़ीदह भी बातिल व मरदूद है. क्यों कि रसूले अकरम सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली बिन अबी तालिब

रज़ियल्लाहु अन्हु को सय्यदुत्ताबेईन हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाने और उन से दुआ व इस्तग़फार की दरख्वास्त करने का हुक्म दिया था जैसा कि सहीह मुस्लिम शरीफ में हदीसे पाक मौजूद है.

और आसारे सालिहीन से तबर्रुक हासिल करना भी जाइज़ व मस्तहसन है. क्यों कि सहाबऐ किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सरकारे अक़दस सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी पर टूट पड़ते थे. नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंखारते या लुआबे दहन निकालते तो सहाबऐ किराम उसे अपने हाथों में लेकर अपने जिस्म पर मल लिया करते थे. और जब आप ने अपने मुबारक सर का हलक़ कराया (सर के बालों को साफ कराया) तो सहाबऐ किराम ने आप के मोऐ मुबारक को बरकत हासिल करने के लिऐ आपस में बांट लिया. और जब आप ने बद्दना लगवाया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने आप का मुबारक खून पी लिया. और हज़रत उम्मे ऐमन ने आप का बौल शरीफ पी लिया तो आप ने उन से फरमायाः (तर्जमा) अऐ उम्मे ऐमन अब तुम कभी बीमार नहीं होगी... यह सारी बातें अहादीसे सहीहा से साबित हैं. इन का इन्कार जाहिल या मुआनिद ही कर सकता है. बल्कि यह भी साबित है कि रसूले अकरम सलल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास के मशकीज़ा के पास उस का पानी पीने के लिऐ तशरीफ लाऐ तो हज़रत अब्बास ने अपने बेटे को घर से नया पानी लाने का हुक्म दिया क्यों कि उन्हें यह नागवार गुजरा कि जिस पानी को लोगों ने पिया उसे रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाऐं. और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इसे लोगों ने पी लिया है. हम आप के लिऐ नया पानी लाते हैं. उस पर आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) ऐसा मत करो क्यों कि हम मुसलमानों से बरकत हासिल करना चाहते हैं..... तो जब रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम यह फरमा रहे हैं. तो दूसरों के बारे में आप क्या खयाल रखते हैं? जब

हर मुसलमान के पास नूर व बरकत है और हम ग़ैरुल्लाह की तासीर के क़ाइल नहीं हैं तो साबित हुआ कि सालिहीन के आसार से बरकत हासिल करने में शिर्क या हराम जैसी कोई चीज़ नहीं. ये लोग अपने नापाक मक़ासिद को हासिल करने के लिऐ मुसलमानों पर दीने इस्लाम का मुआमला खलत मलत कर रहे हैं. ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह.....

मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब और उस के पैरूकारों की जिहालतः- यह लोग सिर्फ उन्हीं को मुवह्हिद समझते हैं जो इन के अक़्वाले बातिलह में इन की हाँ में हाँ मिलाते हैं. इन के गुमान के मुताबिक़ मुवह्हिदीन की तादाद बहुत कम है. मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी (कि जिस ने इस बिदअत को ईजाद किया) दरइयह की मस्जिद में जुमा का खुत्बह देता था. और अपने हर खुत्बह में कहता थाः जिस ने नबी को वसीलह बनाया वह काफिर हो गया... और उस के भाई हज़रत सुलैमान बिन अब्दुल वह्हाब (जो कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम थे) उस के तमाम अफआल व आमाल का इन्कार करते थे. उन्हों ने किसी भी बिदअत व खुराफात में इस की पैरवी नहीं की. एक मरतबा सुलैमान ने अपने भाई मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब से कहाः अऐ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब! इस्लाम के अरकान कितने हैं? उस ने कहा पाँच. यस सुन कर आप ने फरमायाः तुम ने छटा रुक्न ईजाद कर लिया है. वह यह की जो तुम्हारी पैरवी ना करे वह काफिर है. तुम्हारा यह गुमान (तुम्हारे नज़दीक) इस्लाम का छटा रुक्न है. एक दिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब से एक दूसरे आदमी ने सवाल किया. रमज़ान की हर रात को अल्लाह तआला कितने गुनाह गारों को दोज़ख से आज़ादी का परवाना देता है? उस ने कहा : हर रात एक लाख. और आखरी रात को इस क़दर आज़ाद फरमाता है जितना पूरे महीने में आज़ाद करता है. यह सुन कर उस आदमी ने कहाः तुम्हारे पैरूकार तो इस का दसवाँ हिस्सा भी नहीं हैं तो यह कौन से मुसलमान हैं जिन की बखशिश अल्लाह

तआला फरमाता है? जब कि तुम ने मुसलमानों को अपनी ज़ात और अपने पैरूकारों की ज़ात में मुनहसिर कर दिया है. यह नायाब गुफतगू सुन कर वह काफिर दंग रह गया. और उस से कोई जवाब नहीं बन पड़ा. जब उस के और उस के भाई (हज़रत सुलैमान बिन अब्दुल वह्हाब) के दरमियान झगड़ा काफी बढ़ गया तो उन्हें खतरा हुआ कि कहीं यह नालायक़ उन्हें क़त्ल करने का हुक्म ना देदे. तो आप मदीना मुनव्वरह चले गऐ और उस के रद में एक रिसाला लिख कर उस के पास रवाना किया. लेकिन वह अपनी शरारतों और खुबासतों से बाज़ नहीं आया.

वहाबियत के बानी मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी की हिमाक़तेः- एक मरतबा एक दूसरे आदमी ने (जो कि अपने क़बीले का सरदार था और इस क़दर ताक़त व क़ुव्वत वाला था कि इब्ने अब्दुल वह्हाब उस पर हमला नहीं कर सकता था) उस ने कहाः भला बताओ तो सही कि जब तुम्हें ऐसा शख्स खबर दे जो दीन दार और अमीन हो और तुम उस की अमानत व दयानत के मोतरिफ भी हो कि फलाँ पहाड़ के पीछे बहुत से लोग तुम पर हम्ला करने के इरादे से आरहे हैं और तुम एक हज़ार सवारों को पहाड़ के पीछे से हम्ला करने वाले को देखने के लिऐ भेजो तो वह लोग किसी का नाम व निशान ना पा सकें और आकर तुम्हें बताऐं कि वहाँ कोई नहीं है तो तुम उन एक हज़ार की तस्दीक़ करोगे या उस एक शख्स की तस्दीक़ करोगे जो तुम्हारे नज़दीक अमीन व सादिक़ है. उस ने जवाब दिया कि मैं एक हज़ार की तस्दीक़ करूंगा. यह सुन कर उस शख्स ने कहा ज़िन्दह और वफात पा चुके तमाम उलमा अपनी अपनी किताबों में तुम्हारी बिदआत व खुरात की तकज़ीब करते हैं और उन्हें किसी काम का नहीं समझते. लिहाज़ा हम उन्हीं की तस्दीक़ करते हैं और तेरी तकज़ीब करते हैं यह सुन कर वह हैरान रह गया और उस से कोई जवाब नहीं बन पड़ा.

एक मरतबा एक दूसरे शख्स ने उस से कहाः यह दीन जो तुम लेकर अऐ हो उस

का सिलसिला रसूले पाक तक पहुंचता है या नहीं? उस खबीस ने कहाः मेरे मशाइख फिर उन के मशाइख इसी तरह छ सौ साल तक के तमाम मुसलमान मुशरिक हैं. यह सुन कर उस शख्स ने जवाब दियाः फिर तो तुम्हारा दीन मुनक़ता है मुत्तसिल नहीं. तो यह अक़ाइद तुम ने कहाँ से हासिल किऐ? उस ने कहाः अल्लाह ने बतौर इलहाम मुझे इनायत किया है जैसा कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम पर इलहाम होते थे. उस आदमी ने कहा यह बात सिर्फ तम्हीं में मुनहसिर नहीं है तुम्हारी तरह हर आदमी यह दावा कर सकता है कि मुझ पर वही नाज़िल होती है और मुझे इलहाम किया जाता है.

फिर उस आदमी ने मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब से कहा कि तवस्सुल के जवाज़ पर सब का इजमा है यहाँ तक कि इब्ने तैमियह ने भी तवस्सुल की दो क़िस्में की हैं और तवस्सुल करने वालों को काफिर नहीं कहा यहाँ तक कि राफज़ी और खारजी और तमाम बिदअती फिरके नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल के जवाज़ का क़ौल करते हैं तो तुम्हारे लिऐ मुसलमानों को काफिर क़रार देने के जवाज़ की कोई सूरत नहीं. यह सुन कर मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी ने उस से कहा कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्बास के वसीले से बारिश की दुआ की तो उन्हों ने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीलह क्यों नहीं बनाया? मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब का मक़सद यह था कि हज़रत अब्बास बा हयात थे और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके थे. इस वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल नहीं किया. उस की यह दलील सुन कर उस आदमी ने कहाः यह हदीस तो तुम्हारे खिलाफ दलील है. क्यों कि हज़रत उमर ने हज़रत अब्बास के वसीले से बारिश की दुआ करके यह बतला दिया कि ग़ैरे नबी से भी तवस्सुल करना और उन के तुफैल बारिश की दुआ करना जाइज़ व दुरुस्त है. भला तुम इस हदीस से इस्तदलाल कैसे कर सकते हो? और उमर वही हैं जिन्हों ने रिवायत किया

कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखलीक़ (पैदाइश) से पहले उन के वसीले से दुआ की थी. तो नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल करना हज़रत उमर और दूसरे सहाबियों के नज़दीक मशहूर व मारूफ था. हज़रत उमर ने तो यह चाहा को लोगों को बता दें कि ग़ैरे नबी से भी तवस्सुल करना जाइज़ है. उस आदमी की यह सुन कर मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी हैरान रह गया. लेकिन अपनी गमरही और बद तरीन क़बाहतों पर अड़ा रहा.

उस की एक बरी हरकत यह है कि जब उस ने लोगों को नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत से मना किया तो मक़ामे अहसा के कुछ मुसलमानों ने आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत की. यह बात मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी को मालूम हो गई. जब यह लोग वापसी में मक़ाम दरईयह से उस के पास से गुजरे तो उस नादान जाहिल ने उन सब की दाढ़ी साफ करने का हुक्म दिया. उस के बाद उन्हें घोड़ों पर उलटा सवार कर के दरईयह से अहसा रवाना किया.

एक मरतबा उसे मालूम हुआ कि उस की पैरवी ना करने वाले दूर दराज़ रहने वालों की एक जमात ने हज करने और नबी पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अन्वर की ज़ियारत करने का इरादा किया है. जब यह लोग मक़ामे दरईयह में उस के पास से गुजरे. तो कुछ मुसलमानों ने सुना कि यह अपने पैरुकारों से कह रहा थाः (तर्जमा) मुशरिकों को मदीना के रास्ते पर जाने दो और मुसलमानों को (यानी उस के पैरुकारों को) हमारे साथ रहने दो.....

मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब के अक़ाइदे खबीसाः- यह शख्स रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से मना करता था. दुरूद सुनने से उसे तकलीफ होती थी. जुमा की रात को सलात व सलाम पढ़ने से और मीनारों पर सलात व सलाम पढ़ने

से सखती से मना करता था. जो भी ऐसा करता था उसे सख्त से सख्त सज़ा देता था. हद उस वक़्त हो गई जब उस ने एक अच्छी आवाज़ वाले मुअज़्ज़िन को अज़ान के बाद मीनार में सलात पढ़ने से मना कर दिया. जब वह मुअज़्ज़िन नहीं माना तो उस ज़ालिम ने उसे क़त्ल करने का हुक्म दे दिया और उस के बाद यह बकवास की कि ज़ानियह के घर में रात गुजारने वाले का गुनाह उस से कम है जो मिम्बर पर नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है.

यह जाहिल अपने अस्हाब को यह सबक़ सिखाता था कि तौहीद के मुहाफिज़ सिर्फ यही लोग हैं. किस क़दर नापाक है उस का यह क़ौल और किस क़दर बुरा है उस का यह काम. दलाइलुल खैरात वग़ैरह (कि जिन में नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के फज़ाइल व मनाक़िब का ज़िक्र है) को जलवा देता था. और अपनी खबासतों पर यह कह कर परदह डालता था कि ये सारी चीज़े बिदअत हैं. मेरा मक़सद तौहीद की हिफाज़त करना है, बस. यह (नालायक़) अपने मानने वालों को फिक़ह, तफसीर और हदीस की किताबों को पढ़ने से मना करता था. और उन में से बहुत सी किताबों को उस ने आग में जला भी दिया. उस ने अपने तमाम पैरुकारों को इजाज़त दे दी थी कि वह क़ुरआन की तफसीर अपनी समझ के मुताबिक़ करें. उस की जमात के नाकारा और कमीने लोग इस तरह के काम अन्जाम देते थे. अगरचे उन्हें एक आयत और एक भी हदीस ना याद हो. उन में का एक जाहिल दूसरे से कहता थाः मेरे सामने क़ुरआन पढ़ो मैं उस की तफसीर बयान करता हूँ. वह क़ुरआन पढ़ता और यह अपनी राय से उस की तफसीर बयान करता और यह सरकश (शैख नजदी) लोगों को उस पर अमल करने का हुक्म देता था. उस के मानने वाले नादान अपनी समझ के मुताबिक़ फैसला करते थे और यह उन तमाम तफसीरों को इल्म की किताबों और उलमा के अक़वाल पर मुकद्दम रखता था. और अइम्मऐ अरबा के बहुत से अक़वाल के बारे में

कहता थाः इन की कोई हैसियत नहीं, और कभी कभी तक़यह करके कहता थाः अइम्मह तो हक़ पर थे लेकिन मज़ाहिब अरबा को जमा करने वाले उन के पैरुकार उलमा खुद भी गुमराह थे और उन्हों ने दूसरों को भी गुमराह किया. कभी कहताः शरीअत एक है इन लोगों ने इसे चार में कैसे तक़सीम कर दिया? यह किताबुल्लाह है और यह सुन्नते रसूलुल्लाह है. हम सिर्फ इन्हीं पर अमल करेंगे. हम किसी मिसरी, शामी और हिन्दी की पैरवी नहीं करेंगे. मिसरी, शामी और हिन्दी से मुराद वह अकाबिर उलमाऐ हनाब्लह हैं जिन्हों ने उस के रद में किताबें लिखी हैं.

खुलासा यह हुआ कि उस के नज़दीक हक़ का मेयार यह था कि उस की तबीअत के मुवाफिक हो अगरचे नुसूसे शरइय्यह और इजमाऐ उम्मत के खिलाफ हो. और बातिल का मेयार यह था कि उस की खाहिश के खिलाफ हो अगरचे उस के बारे में वाज़ेह नुसूसे शरइय्यह मौजूद हों और उस पर उम्मत का इजमा हो. यह शख्स मुखतलिफ इबारतों के ज़रियह नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करता था. और अपने आप को मुहाफिज़े तौहीद समझता था. उसी की एक इबारत यह है. यह बद बख्त कहता थाः आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम तारिश थे. अहले मशरिक़ की ज़बान में तारिश उस आदमी को कहा जाता है जिसे एक क़ौम से दूसरी क़ौम की तरफ भेजा गया हो. इस क़ौल से उस खबीस की मुराद यह थी कि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम महेज़ पैग़ाम लाने वाले हैं. यानी आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक़ीदह यह होना चाहिऐ कि (मआज़ल्लाह) आप क़ासिद की तरह हैं जिसे अमीर वग़ैरह किसी मुआमले में लोगों के पास भेजें ताकि वह उन तक पैग़ाम पहुंचा कर वापस आ जाऐ.

उस का एक खबीस क़ौल यह है कि जब मैं ने सुलहे हुदैबियह के वाक़िया में ग़ौर किया तो मुझे फालाँ फलाँ बात झूटी नज़र आई. उस की इस जैसी बहुत सी इबारतें हैं. यहाँ तक कि उस के पैरूकार भी उसे के जैसा कहते और करते थे बल्कि उस से भी

ज़्यादह खबीस बातें करते थे. और जब लोग मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब को खबर देते तो यह उन की बातों पर रज़ा मन्दी का इज़हार करता था. उस के पैरुकार कभी कभी इस तरह की बकवास उस के दरबार में करते तब भी यह खुशी का इज़हार करता था. कभी कभी उस के कुछ पैरुकार यह बकवास करतेः (तर्जमा) मेरी या लाठी मुहम्मद से बेहतर है. इस लिऐ कि यह साँप मारने और उस जैसे दूसरे कामों में काम आती है. और मुहम्मद तो इन्तेक़ाल कर चुके हैं. अब उन से नफा की कोई उम्मीद नहीं. वह तो क़ासिद थे जो कि गुज़र गऐ.... (मआज़ल्लाह). उस खबीस का रद लिखने वाले कुछ उलमा ने फरमायाः इस तरह की बकवास करना मज़ाहिबे अरबा में कुफ्र है बल्कि इस तरह कहिऐ कि इस के कुफ्र होने पर इजमा है.

तहरीके वह्हाबियतः अहेद ब अहेदः- मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब शुरू शुरी में मदीना मुनव्वरह में इल्म हासिल करता था. उस का तअल्लुक़ क़बीलऐ बनी तमीम से था. यह शख्स इल्म हासिल करने के लिऐ मक्कह और मदीना के दरमियान गरदिश करता रहता था. उस ने मदीना के बहुत से जलीलुल क़दर उलमा से इल्म हासिल किया. शैख मुहम्मद बिन सुलैमान अश्शाफई और शैख मुहम्मद हयातुस्सनदी अल हनफी उस के मशाइख में से हैं. उस के ज़मानऐ तालिबे इल्मी ही में यह दोनों शैख अपनी फिरासते ईमानी से उस के अन्दर कुफ्र व इलहाद और बिदअत व ज़लालत के आसार देख कर कहा करते थेः अनक़रीब यह गुमराह हो जाऐगा और उस के सबब अल्लाह तआला बाद वालों को बद बख्त व गुमराह करेगा... उन मशाइख ने जैसा फरमाया था वैसा ही हुआ. उन की फिरासते ईमानी ने खता ना की. और उस के वालिद हज़रत अब्दुल वह्हाब उलमाऐ सालिहीन में से थे. उन्हों ने भी अपनी इस नाखलफ औलाद में गुमरही व बद दीनी को भाँप लिया था. इस लिऐ वह उस की बड़ी मज़म्मत करते थे और लोगों को उस से खबरदार करते थे. इसी तरह उस के भाई हज़रत

सुलैमान बिन अब्दुल वह्हाब उस की ईजाद करदा खुराफात व मुनकिरात और उस के अक़ाइदे बातिला का भर पूर रद फरमाते थे. उन्हों ने उस के रद में एक किताब भी तालीफ की थी (जैसा कि पहले गुजरा).

मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी १११९ हिजरी में पैदा हुआ और उस ने बड़ी लम्बी उमर पाई यहाँ तक की यह १२०६ हिजरी में ९२ साल की लम्बी उमर पा कर फौत हुआ.

जब उस खबीस ने उन बिदआत व खुराफात और अक़ाइदे बातिला को ज़ाहिर करने का इरादह किया जो शैतान ने उस के लिऐ आरास्ता किऐ थे तो मदीना से कूच कर के पूरबी इलाक़े में आगया और लोगों को शिर्क छोड़ कर के तौहीद की तरफ आने की दावत देने लगा. यह लोगों के सामने अपनी बात को खूब आरास्ता करके पेश करता था और उन्हें समझाता था कि लोगों के अक़ाइद और उन के तौर तरीक़े मुशरिकाना हैं और वह बिदआत व खुराफात में डूबे हुऐ हैं. इस तरह धीरे धीरे उन के सामने अपने अक़ाइदे बातिला को ज़ाहिर करने लगा. उस के फरेब में आकर बहुत से खाली ज़हन निचले दरजे के दीहाती लोग उस के पैरूकार बन गऐ.

मशरिक़ में उस की तहरीक का आग़ाज़ ११४३ हिजरी में हुआ. ११५० हिजरी के बाद उस की तहरीक नज्द और उस के आस पास के दीहाती इलाक़ों में मशहूर हो गई और उस की तहरीक से मुतअस्सिर हो कर दरईयह का अमीर मुहम्मद बिन सऊद उस की मदद व हिमायत के लिऐ उठ खड़ा हुआ. और उस ने अपनी हकूमत को फैलाने और अपने इकतेदार को नाफिज़ करने के लिऐ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब को ज़रीया बनाया और दरईयह के रहने वालों को मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब के अक़ाइदे बातिलह की पैरवी पर उबारा. उस की तरगीब व तहरीक पर दरईयह और उस के क़रीब व पड़ोस में रहने वाले लोग उस के पैरुकार बन गऐ. एक के बाद एक अरब के

बहुत से क़बीले और खान्दान उस के पैरुकार बन गऐ. यहाँ तक कि उस की हुकूमत मज़बूत हो गई और अहले बादियह उस से खौफ खाने लगे. यह उन से कहता था कि हम तुम लोगों को खालिस तौहीद की और शिर्क बिल्लाह को तरक करने की दावत देते हैं. और उन दीहातियों के सामने खूब चिकनी चुपड़ी बातें करता था. यह लोग आला दरजे के जाहिल और उमूरे दीन से बिलकुल ना समझ थे. इस लिऐ उन्हों ने उस की बिदआत व खुराफात को बहुत पसन्द किया. यह नालायक़ उन से कहता था कि मैं तुम्हें दीन की दावत दे रहा हूँ और (सुन लो) ज़मीन पर बसने वाले तमाम इन्सान मुतलक़न काफिर हैं और जो आदमी किसी मुशरिक को क़त्ल करता है वह जन्नत का हक़ दार बन जाता है. उन अनपढ़ दीहातियों ने उस की पैरवी की और उन के दिल उस की बताई हुई बातों पर मुतमइन हो गऐ.

मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब को उन के दरमियान वह मक़ाम हासिल था जो एक नबी को अपनी उम्मत में हासिल होता है. उस के पैरूकार उस की बात को तरक नहीं करते थे. और उस के हुक्म के बग़ैर कोई काम भी नहीं करते थे. यह लोग उस की हद दरजा ताज़ीम करते थे. उस के पैरुकार जब किसी को क़त्ल करते तो उस का माल लूट लेते और उस का पाँचवाँ हिस्सा अमीर मुहम्मद बिन सऊद को देते और बाक़ी अपने दरमियान तक़सीम कर लेते थे. वह जहाँ भी जाता यह लोग उस के साथ जाते और उस की हर ख्वाहिश को पूरा करते. अमीर मुहम्मद बिन सऊद उस के हर हुक्म को नाफिज़ करता था यहाँ तक कि उस की हुकूमत काफी फैल गई.

वहाबी फसाद के फैलने और नजदी हुकूमत के वसी होने से पहले उन लोगों ने शरीफ मसऊद बिन सईद बिन सअद बिन ज़ैद के दौरे हुकूमत में हज करने का इरादा किया. शरीफ मसऊद की हुकूमत मक्कह में ११४६ हिजरी से ले कर ११६५ हिजरी तक थी. उन लोगों ने उन के पास अपने आदमी भेजे ताकि वह हज की इजाज़त हासिल

करें. उन का सब से बड़ा मक़सद अपने अक़ाइद को ज़ाहिर करना और अहले हरमैन को उन के क़बूल करने पर उबारना था. पहले उन्हों ने अपने तीस उलमा भेजे. उन का गुमान था कि यह लोग अहले हरमैन के अक़ाइदे सहीहा को फासिद करके उन में झूट दाखिल करदेंगे. उन्हों ने आकर हज की इजाज़त तलब की. (और कहा कि हज करने की इजाज़त दे दें) अगरचे कुछ नक़द के बदला ही क्यों ना हो जिसे वह हर साल अदा करेंगे. अहले हरमैन यह सुन चुके थे कि नज्द में मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब का खुरूज हुआ है और उस ने अहले बादियह के अक़ाइद को फासिद कर दिया है. लेकिन यह लोग उस की हक़ीक़त से आगाह नहीं थे. जब यह उलमाऐ नज्द मक्कह पहुंचे तो शरीफ मसऊद ने हरमैन के उलमा को हुक्म दिया कि वह इन उलमाऐ नज्द से मुनाज़ेरह करें. जब उन उलमाऐ किराम ने इन नज्दी जाहिलों से मुनाज़ेरह किया तो उन्हें मसखरह(बिलकुल अनपढ़, जाहिल, क़ाबिले इस्तेहज़ा) पाया. यह अपनी नादानी और जिहालत में उन गधों की तरह थे जो शेर के खौफ से भाग गऐ हों. उलमाऐ हरमैन ने जब उन के अक़ाइद में ग़ौर किया तो उन्हें बहुत से कुफ़रियात पर मुशतमिल पाया. जब उन लोगों ने उन पर हुज्जत व बुरहान क़ायम करदी तो शरीफ मसऊद ने क़ाज़िऐ शरा को हुक्म दिया कि इन के कुफरे ज़ाहिरी का क़तई फैस्ला करे ताकि अव्वल व आखिर सब जान लें कि यह काफिर हैं. और उस ने यह भी हुक्म दिया कि इन मुलहिदों और गधों को क़ैद कर के हाथों में ज़न्जीर और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी जाऐं. चुनान्चे उन की एक जमात गिरफतार हुई और दूसरी जमात भाग कर दरईयह में पनाह गज़ीं हुई. और अपने अमीर को अपने मुशाहिदे से आगाह किया. यह सुन कर उन के अमीर ने ग़ुरूर और तकब्बुर से काम लिया लेकिन अपने मक़सद से बाज़ रहा और उसे मुअख्खर कर दिया. जब ११६५ हिजरी में शरीफ मसऊद का इन्तेक़ाल हुआ और उस की हुकूमत खतम हो गई और उस के भाई शरीफ मुसाइद बिन सअद मक्कह के

नये अमीर मुन्तखब हुऐ तो उन लोगों ने हज करने की इजाज़त चाहने के लिऐ उन के पास आदमी भेजे. उन्हों ने भी इन्कार कर दिया और इजाज़त देने से मना कर दिया. तो उन की खाहिशें धरी की धरी रह गईं.

जब शरीफ मुसाइद की हुकूमत गुजर गई और ११८४ हिजरी में उन की वफात हो गई तो उन के भाई अहमद बिन सईद मक्कह के अमीर मुन्तखब किऐ गऐ. उन के अमीर बनने के बाद दरईयह के अमीर ने उन के पास (वहाबी) उलमा की टीम को भेजा. शरीफ ने अपने उलमा को उन्हें जांचने का हुक्म दिया. जब उन उलमा ने उन वहाबी उलमा को जांचा तो पाया कि उन का मज़हब वही है जो ज़नादक़ह का मज़हब है. इस लिऐ उन्हों ने भी हज की इजाज़त देने से मना कर दिया.

फिर ११८६ हिजरी में शरीफ अहमद बिन सईद से मक्कह की इमारत उन के भतीजे शरीफ सरवर बिन मुसाइद ने छीन ली. तो उन लोगों ने शरीफ सरवर बिन मुसाइद के ज़ामाने में उन के पास हज करने की इजाज़त तलब करने के लिऐ अदमी भेजे. उन्हों ने उन को जवाब दिया कि अगर तुम लोग मक्कह पहुंचना चाहते हो तो मैं तुम से इस के बदले हर साल वही खराज लूंगा जो अजमियों और राफज़ियों से लेता हूँ. और उस पर उमदा क़िस्म के सौ घोड़े ज़्यादह लूंगा. उन पर इस रकम का अदा करना भारी लगा और उन्हों ने यह ना पसन्द किया कि वह राफज़ियों के जैसे खराज अदा करें. जब १२०२ हिजरी में शरीफ सरवर बिन मुसाइद की वफात हो गई और उन के भाई शरीफ ग़ालिब मक्कह के नये अमीर मुन्तखब हुऐ. तो उन्हों ने उन के पास हज की इजाज़त हासिल करने के लिऐ आदमी भेजे. उन्हों ने भी इन्कार कर दिया और उन पर हमला करने की धमकी दी. और १२०५ हिजरी में एक बड़ी फौज तय्यार कर के उन पर हमला कर दिया. उन के और शरीफ ग़ालिब के दरमियान १२०५ हिजरी से ले कर १२२० हिजरी तक मुसलसल जंग होती रही. जब शरीफ ग़ालिब उन को दफा

करने से आजिज़ हो गऐ तो वह ज़ालिम मक्कह में दाखिल हो गऐ. लेकिन मक्कह में दाखिल होने से पहले उन के और शरीफ ग़ालिब की फौज के दरमियान बहुत खूंरेज़ जंगें हुई कि अगर उन को ज़िक्र करूँ तो बात लम्बी हो जाऐगी. इस मुद्दत में नजद की हुकूमत वसी और उन का फसाद फैल चुका था. उस के फौरन बाद यह लोग पूरे जज़ीरऐ अरब के मालिक हो गऐ. इन लोगों ने पहले मशरिक पर क़बज़ा किया. फिर अहसा, बहरैन, अम्मान और मसकत पर ग़ालिब हुऐ. और इन की हुकूमत बग़दाद और बसरह से जा मिली. और उस के बाद पूरे हरार पर उन का कनटरोल हो गया. फिर नखलिस्तानी अलाक़ा खुयूफ फिर खरबियह, फरा और जोहनियह पर क़ाबिज़ हुऐ. फिर मदीना मुनव्वरह और शाम के दरमियानी तमामे सूबों और इलाक़ों के मालिक हो गऐ. यहाँ तक कि इन की हुकूमत शाम और हलब से मुत्तसिल हो गई और यह लोग शाम, हलब, बग़दाद, मदीना और मक्कह ग़रज कि पूरे अरब दुनिया पर क़ाबिज़ हो गऐ. यह लोग मक्कह और ताइफ पर क़ाबिज़ होने से पहले इन दोनों के क़ुरब व जवार के तमाम क़बीलों के मालिक हो चुके थे.

और जब १२१७ हिजरी में ताइफ पर इन की हुकूमत क़ायम हुई तो इन ज़ालिमों ने छोटे बड़े , हाकिम व महकूम सब को बेदरदी के साथ क़तल कर दिया. जिस की उमर बाक़ी थी वही इन ज़ालिमों से बच सका. यह लोग बच्चों को उन की माँ की गोद ही में क़तल कर देते थे. इन्हों ने मुसलमानों के अमवाल को लूटा और उन की औरतों को क़ैद किया और बहुत से ऐसे बुरे काम किऐ जिन को ज़िक्र कर देने से बात काफी लम्बी हो जाऐगी.

ताइफ को तबाह व बरबाद करने के बाद मुहर्रम १२१८ हिजरी मे मक्कह मुकरमह का इरादह किया. शरीफ के अन्दर इन से जंग करने की ताक़त नहीं थी. लिहाज़ा उस ने इन के लिऐ मक्कह खाली कर दिया औ जद्दह चला गया. इन नजदियों

के मक्कह में दाखिल होने से पहले मक्कह के कुछ लोग दो मरतबा इन के पास गऐ और उन्हों ने मक्कह वलों के लिऐ अमान हासिल किया. तो यह लोग मक्कह में अमान का पास व लिहाज़ रखते हुऐ दाखिल हुऐ. फिर शरीफ ग़ालिब को क़तल करने के लिऐ जद्दह की जानिब मुतबज्जह हुऐ. शरीफ ग़ालिब ने बहादुरी के साथ इन से जिहाद किया और इन पर तोपों से हमला किया. इस लिऐ यह लोग जद्दह में दाखिल नहीं हो सके. और सफर १२१८ हिजरी में नाकाम व नामुराद हो कर अपने दयार वापस चले गऐ. और मक्कह की हिफाज़ के लिऐ अपनी एक जमात छोड़ गऐ.

उसी साल रबीउल अव्वल में शरीफ ग़ालिब मक्कह वापस आया. उस के साथ वालिऐ जद्दह पाशा और कुछ टुकड़ियाँ थीं. चुनान्चे उस ने मक्कह से नजदियों की जमात को निकाल कर दोबारह कनटरोल हासिल कर लिया. उस के बाद उस के और नजदियों के दरमियान १२२० हिजरी तक खूंरेज़ जंगें होती रहीं. नजदी तमाम अतराफ पर ग़ालिब हुऐ और उन्हों ने मक्कह का मुहासरा कर लिया. अहले मक्कह सख्त परीशानी और मुसीबत में मुबतिला हुऐ. लोग कुत्तों और मुर्दारों को खाने पर मजबूर हुऐ. फिर शरीफ ग़ालिब ने इन से सुलेह करली और वह लोग मक्कह में सुलेह के ज़रिया दाखिल हुऐ. और मक्कह में उन की हुकूमत १२२७ हिजरी तक लगातार रही. उस के बाद हमारे सरदार सुल्तान महमूद ने मिसर के वज़ीरे आज़म और मुशीर मोहतरम मुहम्मद अली पाशा को हुक्म दिया. मुहम्मद अली पाशा ने अपने सरदार के हुक्म से इन के खिलाफ फौजी कारवाई की और इन्हें हरमैन तय्यबैन से निकाल फेंका. फिर उस ने जिहाद करने के लिऐ एक लशकर इन के दयार में भेजा और लशकर के साथ खुद भी गया. यहाँ तक कि उस ने इन्हें जड़ से उखाड़ फेंका. कुछ उलमा ने नजदियों के मक्कह से निकलने की तारीख कुतिअ दाबिरिल खवारिज (खारजियों की दुम कट गई) से निकाली है. इन की जंगों के हालात और मुसलमानों के साथ किऐ गऐ इन के सुलूक

को अगर लिखूँ तो बात लम्बी हो जाऐगी. लिहाज़ा उन के ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं.

नजदियों का पहला अमीर मुहम्मद बिन सऊद था. जब यह मर गया तो उस के ना खलफ औलाद ने उस की तहरीक को आगे बढ़ाया. और जब मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी मर गया तो उस की नाखलफ औलाद ने भी उस की ईजाद करदह खुराफात को फैलाया.

मुहम्मद बिन सऊद और उस की औलाद के काम करने का तरीका यह था कि जब यह किसी क़बीले पर ग़ालिब होते तो उसे उस के क़रीब वाले क़बीले पर मुसल्लत कर देते और वह दूसरे को उस के बाद वाले पर मुसल्लत कर देते. इस तरह यह लोग तमाम क़बीलों पर क़ाबिज़ हो गऐ. और मुहम्मद बिन सऊद जब किसी शहर पर हमला करने का इरादा करता तो जिस क़बीले को अपने साथ ले जाना चाहता उस के नाम छंगलिया के बराबर एक छोटा सा खत लिखता और उस से जंग में शरीक होने का मुतालबा करता. तो वह लोग उस के पास सफर के ज़रूरी सामान ले कर आजाते और उसे किसी चीज़ का मुकल्लफ नहीं बनाते. उस के पास ना ही फौज थी और ना ही लश्कर. और ना ही हिसाब रखने वाला कोई महकमा था. यह लोग जब कुछ लूटते तो एक खुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) उसे देते और चार खुमुस खुद लते. यह जहाँ जाता उस के साथ उस के हज़ारों आशिक़ होते थे. उन का शुमार सिर्फ अल्लाह कर सकता है. यह लोग मामूली से मामूली काम में भी उस की मुखालिफत करने की क़ुदरत नहीं रखते थे. यह एक आज़माइश थी जिस के ज़रिया अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को आज़माया. और यह इस्लाम में ज़ाहिर होने वाले फितनों में सब से बड़ा फितना है कि जिस के मुसीबतों से अक़्लें ज़ाइल हो गईं और साहिबाने अक़्ल हैरान हो गऐ. यह लोग कुछ चीज़ों के ज़रिया नादानों को इस शुबहा में मुबतिला कर देते हैं कि यह अमरे दीन को क़ायम करने वाले हैं. क्यों कि इन्हों ने दीहातियों को नमाज़ क़ायम रखने और

जुमा व जमात की पाबन्दी करने का हुक्म दिया और ज़ेना, लिवातत और डाका ज़नी जैसे ज़ाहिरी बुरे कामों से बाज़ रखा जिस के नतीजे में रास्ते महफ़ूज़ हो गऐ और नजदी लोगों को तौहीद की जानिब बुलाने लगे तो जाहिल व नादान लोग उन्हें अच्छा समझने लगे और उन की इस हरकत से ग़ाफिल रहे कि यह लोग मुसलमानों को काफिर क़रार देते हैं क्यों कि यह नजदी हुकम लगाते हैं कि छ सौ साल से पूरी उम्मते मुस्लिमह काफिर है और यह जाहिल इस से भी ग़ाफिल रहे कि यह नजदी मुसलमानों की जान व माल को अपने लिऐ जाइज़ समझते हैं और उन्हों ने नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन से मुहब्बत करने वालों की शान में तरह तरह की गुस्ताखी कर के उन की इज़्ज़त व हुरमत को पामाल किया. इस तरह उन की बेशुमार क़बाहतें हैं जिन को उन्हों ने ईजाद किया और जिन के ज़रिया उन्हों ने उम्मत की तकफीर की.

जब कोई शख्स मजबूर हो कर उन के दीन की पैरवी करना चाहता तो यह लोग पहले उसे शहादतैन के इकरार करने का हुक्म देते फिर उस से कहते कि तुम अपने नफ्स पर गवाही दो कि तुम काफिर थे इसी तरह अपने वालिदैन पर गवाही दो कि वह हालते कुफ्र में मरे और फलाँ फलाँ के बारे में गवाही दो कि वह काफिर थे. इसी तरह माज़ी के अकाबिर उलमा की एक बड़ी जमात का नाम लेकर उन के कुफ्र का इकरार कराते. अगर वह उन सब के काफिर होने की गवाही देते तो उन्हें क़बूल कर लेते और अपना भाई बना लेते वरना क़तल करने का हुकम दे देते. और यह लोग वाज़ेह तौर पर कहते थे कि छ सौ साल से पूरी उम्मत काफिर है. सब से पहले इस खबीस अक़ीदह का इजहार मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी ने किया. उस के बाद उस के मानने वालों ने भी उस की पैरवी की और यह खबीस क़ौल ज़बान पर लाऐ. जब कोई मुसलमान हज करने के बाद उन के दीन में दाखिल होता तो यह उसे दोबारह हज करने का हुक्म देते हैं और कहते हैं कि तुम ने पहला हज हालते शिर्क में किया था लिहाज़ा तुम से हज्जे फरज़

साक़ित नहीं हुआ. और बाहरी लोग अगर इन की पैरवी करते तो यह उन को मुहाजिरीन से मौसूम करते हैं और इन के शहर वाले अगर पैरवी करते तो उन को अन्सार के नाम से पुकारा करते हैं.

मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब के हाल से यही ज़ाहिर है कि वह नबूव्वत का दावा दार था अलबत्ता उस का इजहार नहीं कर सका. इस लिऐ कि यह शख्स शूरू शुरू में उन लोगों की खबरों के मुताला का बड़ा शौक़ रखता था जिन्हों ने नबूव्वत का झूटा दावा किया था. जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब, सज्जाह, असवद अन्सी, तलीहा असदी और इन जैसे दूसरे दावेदार. तो गोया वह अपने दिल में दावऐ नबूव्वत का इरादा रखता था. अगर इस दावा के इजहार पर क़ुदरत पाता तो ज़रूर इसे ज़ाहिर करता. यह अपने मानने वालों से कहता था कि मैं तुम्हारे पास नया दीन लेकर आया हूँ. अपने अक़वाल व अफआल से भी इस का इजहार करता रहता था. इसी वजह से इमामों के मज़ाहिब और उलमा के अक़वाल में वह तअन करता रहता था. और इसी वजह से उस ने हमारे नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में से सिर्फ क़ुरआन को क़बूल किया और अपनी मर्ज़ी के और खवाहिश के मुताबिक़ उस की तावील करता था. क़ुरआन को भी उस ने महेज़ ज़बानी क़बूल किया था ताकि लोग उस की हक़ीक़त से बा खबर ना हो जाऐं.

मुहक़्क़िक़ीन ने दलील के साथ इस बात का इन्किशाफ किया है कि मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी और उस के मानने वाले अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक़ क़ुरआन की तफसीर बयान करते थे. नबी पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबऐ किराम, सलफे सालिहीन और अइम्मऐ तफासीर की बयान करदह तफसीर की परवाह नहीं करते थे. क्यों कि वह इन बातों का क़ाइल नहीं था. वह क़ुरआन के इलावह नबी पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों, सहाबऐ किराम, ताबऐने किराम और

अइम्मऐ मुजतहिदीन के अक़वाल को क़ाबिले क़बूल नहीं समझता था. उन मसाइल को क़बूल नहीं करता था जिन्हें अइम्मह ने क़ुरआन व हदीस से मुसतम्बत किया था. इजमा और क़यासे सहीह का भी मुनकिर था. यह शख्स हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की तक़लीद का झूटा दावा करता था. हालाँ कि इमाम अहमद बिन हम्बल उस के अक़ाइदे बातिला से बरी हैं इसी वजह से उस के ज़माने के बहुत से उलमाऐ हनाबलह ने ना सिर्फ यह की उस के रद को मुसतहसन क़रार दिया बल्कि उस के रद में बहुत से रिसाले लिखे. खुद उस के भाई शैख सुलैमान बिन अब्दुल वह्हाब ने उस के रद में एक रिसालह लिखा.

मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब ने मुसलमानों के काफिर क़रार देने के लिऐ उन आयतों से इस्तदलाल किया जो मुशरिकीन के हक़ में नाज़िल हुई हैं और उन्हें मुअह्हिदीन पर महमूल कर दिया. चुनान्चह हज़रत इमाम बुखारी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से खारजियों का यह वस्फ रिवायत करते हैं कि वह कुफ्फार के बारे में नाज़िल होने वाली आयतों को लेकर मुसलमानों पर चस्पाँ कर देते हैं. और इमाम बुखारी के इलावह दूसरे मुहद्दिसीन ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ही से रिवायत किया कि रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) मुझे अपनी उम्मत में सब से ज़्यादह उस शख्स से अन्देशा है जो क़ुरआन की ग़लत तावील करेगा और उसे ग़ैर महल में महमूल करेगा और क़ुरआनी आयात के ग़लत मआनी बयान करेगा..... यह दोनों हदीसें मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब और उस के पैरुकारों पर हरफ ब हरफ सादिक़ आती हैं. सब से ज़्यादह तअज्जुब की बात यह है कि यह अपने गवरनरों को (जो कि एक दूसरे से बढ़ कर जाहिल होते थे.) हुक्म देता था कि अपनी समझ के मुताबिक़ ग़ौर व फिक्र करो और वही हुक्म सादिर करो जो इस दीन के मुनासिब हो और इन किताबों की तरफ बिलकुल ध्यान मत दो क्यों कि इन में हक़ और

बातिल दोनों हैं. उस की ईजाद करदह बिदआत व खुराफात में पैरवी ना करने की वजह से उस ने बहुत से उलमा, सालिहीन और मुस्लिम अवाम को क़तल कर दिया. वह शैतान और उस की ख्वाहिश के मुताबिक़ ज़कात का माल तक़सीम करता था. उस के मानने वाले मज़ाहिबे अरबा में से किसी की तक़लीद नहीं करते हैं. बल्कि अपने आक़ा शैख नजदी के फरमान के मुताबिक़ खुद इजतेहाद करते हैं. अलबत्ता लोगों को धोका देने के लिऐ बज़ाहिर इमाम हम्बल की तक़लीद का दावा करते हैं.

मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी नमाज़ के बाद दुआ करने से मना करता था और कहता था कि यह तो बिदअत है और तुम लोग इस के ज़रिया अजर चाहते हो. नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानः (तर्जमा) जब बिदअतों का ज़हूर हो और आलिमे दीन खामोश रहे तो उस पर अल्लाह, उस के फरिशतों और तमाम लोगों की लानत बरसती है.... और आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानः (जब भी बिदअती लोग ज़ाहिर होते हैं तो अल्लाह तआला अपनी पसन्दीदह मखलूक की ज़बान पर उन में अपनी हुज्जत ज़ाहिर फरमाता है..... पर अमल करते हुऐ मज़ाहिबे अरबा के उलमा ने बड़ी बड़ी किताबों में उस का रद्दे बलीग़ फरमाया. इसी लिऐ मशरिक व मग़रिब में फैले तमाम मसालिक के उलमा ने उन के रद को मुसतहब क़रार दिया. और कुछ उलमा ने इमाम अहमद बिन हम्बल ही के क़ौल से उस का रद करने का इलतेज़ाम किया. और उस से ऐसे ऐसे सवाल किऐ जिन्हें एक अदना तालिबे इल्म भी जानता है लेकिन वह जाहिल उन का भी जवाब नहीं दे सका. इस लिऐ कि उसे किसी भी इल्म की हवा नहीं लगी थी. उसे तो सिर्फ वही वसवसे मालूम थे जो शैतान ने उस के लिऐ आरास्ता किऐ थे.

जिन्हों ने उस के रद में किताबें लिखीं और उस से ऐसे सवाल किऐ जिन का वह जवाब ना देसका उन में अल्लामह शैख मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अफालिक़ हैं.

उन्हों ने मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी के रद में (तहकुमुल मुक़ल्लिदीन बिमन इदआ तजदीदद्दीन) के नाम से एक रिसालह लिखा है और उस मुबारक रिसाले में उन्हों ने उस के ईजाद करदह हर मसले का भरपूर रद फरमाया है. फिर रिसाले के इलावह उलूमे शरीअत और उलूमे अदब से मुतअल्लिक़ चन्द सवालात लिख कर उस के पास रवाना किऐ जिन के छोटे से छोटे सवाल का जवाब ना दे सका बड़े बड़े सवालात का जवाब देना तो बड़ी दूर की बात रही. उन का एक सवाल यह था कि (अऐ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी!) मैं तुझ से अल्लाह तआला के क़ौल (वल आदियाति दब्हा(आखिर तक). जो कि क़सारे मुफस्सल में से है)के बारे में पूछता हूँ कि इस आयते करीमह में हक़ीक़ते शरइय्यह, हक़ीक़ते लोग़विय्यह और हक़ीक़ते उरफिय्यह की तादाद कितनी है? और मजाज़े मुरसल, मजाज़े मुरक्कब, इस्तेआरऐ हक़ीक़िय्यह, इस्तेआरऐ विफाक़िय्यह, इस्तेआरऐ तबइय्यह, इस्तेआरऐ मुतलक़ह, इस्तेआरऐ मुजर्रदह और इस्तेआरऐ मुरश्शहा पर रौशनी डालो. और इस आयते करीमह में वज़ा, तरश्शोह, तजरीद, इस्तेआरह बिल किनायह और इस्तेआरऐ तखईलियह कहाँ हैं? तशबीहे मलफूप और मफरूक़, तशबीहे मुफरद व मुरक्कब कितनी तादाद में हैं? मुजमल व मुफस्सल, ईजाज़, इतनाब और मुसावात, अस्नादे हक़ीक़ी और अस्नादे मजाज़ी(कि जिसे मजाज़े हुक्मी और अक़ली कहा जाता है) के मक़ामात क्या हैं? इस आयते करीमह में कहाँ पर मुज़मर को मुज़हर और मुज़हर को मुज़मर की जगह रखा गया है? ज़मीरे शान, इल्तेफात, फस्ल, वस्ल, कमाले इन्केता और कमाले इत्तिसाल के जगहों की ताईन करो! इस आयत में जहाँ पर दो जुमलों में एक का अत्फ दूसरे पर किया गया उन में वजहे जामे बयान करो. जुमलों के महल तनासुब और वजहे तनासुब को और हुसन व बलाग़त में उस के वजहे कमाल को बयान करदो. इस में कहाँ कहाँ ईजाज़े क़स्र और ईजाज़े हज़फ हैं? एहतेरास व ततमीम पर भी रौशनी डालो!. इन मज़कूरह

चीज़ों में हर एक की वज़ाहत करो! मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी इन में से किसी एक का भी जवाब ना दे सका.

इन खारजियों के बारे में नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैश गोइयाँः- नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसों मे इन खारजियों के बारे में खबर दी है. वह हदीसें ग़ैब की खबरों पर मुश्तमिल होने की वजह से नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूव्वत पर दलील हैं. यह तमाम हदीसें मरतबऐ सिहत पर फाइज़ हैं. कुछ तो बुखारी व मुस्लिम में मौजूद हैं और कुछ दूसरी हदीस की किताबों की ज़ीनत हैं. वह हदीसें मुलाहेज़ा फरमाऐं.

(१) आक़ा सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की जानिब इशारह कर के फरमायाः (तर्जमा) फितना यहाँ से उठेगा. फितना यहाँ से उठेगा....

(२) आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) कुछ लोग मशरिक़ की जानिब से निकलेंगे और क़ुरआन पढ़ेंगे लेकिन क़ुरआन उन के हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा.वह दीन से इस तरह निकल जाऐंगे जिस तरहर तीर शिकार से निकल जाता है. वह दीन में लौटेंगे नहीं यहाँ तक की तीर अपने सोफार की तरफ पलट आऐ. उन की यह निशानी होगी कि वह हमेशा सर मुन्डाऐंगे..... (सोफार तांत रखने की जगह को कहते हैं)

(३) नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) अनक़रीब मेरी उम्मत में इखतेलाफ और गरोह बन्दी होगी. एक क़ौम ऐसी (पैदा) होगी जिनकी बातें अच्छी और अफआल बुरे होंगे. क़ुरआन पढ़ेंगे लेकिन उन का ईमान उन के हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा. दीन से ऐसे निकल जाऐंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है. फिर वापस नहीं आऐंगे यहाँ तक कि तीर अपने सोफार की तरफ पलट आऐ. वह बद तरीन मखलूक होंगे. खूशखबरी है उस के लिऐ जो उन्हें क़तल करे या जिसे वह शहीद करें. वह

किताबुल्लाह की तरफ बुलाऐंगे लेकिन वह खुद किताबुल्लाह से काफी दूर होंगे. जो उन्हें क़तल करेगा वह उन की बनिस्बत अल्लाह के ज़्यादह क़रीब होने का हक़ दार होगा. उन की अलामत टकला कराना होगी.....

(४) और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) आखरी ज़माने में एक क़ौम निकलेगी जिन की उमरें नयी होंगी और अक़्लें माऊफ. मखलूक में सब से अच्छी बात करेंगे और क़ुरआन की तिलावत करेंगे लेकिन वह उन के हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा. दीन से ऐसे निकल जाऐंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है. जब तुम उन से मिलना तो उन्हें क़तल कर देना. क्यों कि जो उन्हें क़तल करेगा क़यामत में उसे अल्लाह की बारगाह से अजर दिया जाऐगा.

(५) और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैंः (तर्जमा) मशरिक़ की जानिब से कुछ लोग निकलेंगे जो क़ुरआन की तिलावत करेंगे लेकिन क़ुरआन उन के हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा. वह दीन से ऐसे निकल जाऐंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है यह मखलूक में सब से बद तर लोग होंगे.....

(६) और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) मशरिक़ की जानिब से कुछ लोग निकलेंगे जो क़ुरआन की तिलावत करेंगे लेकिन क़ुरआन उन के हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा. वह दीन से ऐसे निकल जाऐंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है. दीन की तरफ वापस नहीं आऐंगे यहाँ तक कि तीर अपने सोफार की तरफ आजाऐ. उन की आदत सर मुंडाना होगी.....

(७) और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) कुफ्र का सर मशरिक की जानिब में है और तकब्बुर व ग़ुरूर ऊंट और घोड़े पालने वालों में है....

(८) और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इसारह करते हुऐ फरमायाः (तर्जमा) फितने यहाँ से उठेंगे.....

(९) और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: (तर्जमा) दिलों की सख्ती और बे वफाई मशरिक (के लोगों) में है और ईमान अहले हिजाज़ में है.....

(१०) और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: (तर्जमा) अऐ अल्लाह! हमारे मुल्के शाम मे बरकत नाज़िल फरमा. अऐ अल्लाह! हमारे मुल्के यमन में बरकत बरकत नाज़िल फरमा.... अहले नजद ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! हमारे नजद के लिऐ भी दुआ फरमादें. आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारह यही दुआ की और नजद का नाम नहीं लिया. और तीसरी मरतबा उन की दरख्वास्त पर फरमाया: (तर्जमा) नजद के लिऐ कैसे दुआ करूँ! वहाँ तो ज़लज़ले और फितने उठेंगे और शैतान की सींग वहीं से निकलेगी.....

(११) और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है: (तर्जमा) मशरिक की जानिब से कुछ लोग निकलेंगे जो क़ुरआन की तिलावत करेंगे लेकिन क़ुरआन उन के हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा. जब उन की ऐक नसल को खतम किया जाऐगा तो दूसरी नसल पैदा हो जाऐगी यहाँ तक कि उन का आखरी शख्स मसीहे दज्जाल के साथ होगा.....

रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीमाहुमुत तहलीक़ कह कर उन्हीं की जानिब वाज़ेह इशारह किया है जिन का खुरूज मशरिक से हुआ है और जो बिदआत व खुराफात में मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी के ताबे हैं. क्यों कि यह अपने हम अक़ीदह लोगों को सर मुन्डाने का हुक्म देते हैं. और जब कोई आदमी उन का फरमाँ बरदार हो जाता है तो उसी मजलिस में उस का सर मूंड देते हैं. अब तक जितने भी गुमराह फिरके पैदा हुऐ हैं उन में से किसी की भी यह अलामत नहीं बनी. लिहाज़ा हदीस उन के बारे में वाज़ेह है.

मुफ्तिऐ ज़ुबैद सय्यद अब्दुर्रहमान अल अहदल फरमाते हैं: मुहम्मद बिन

अब्दुल वह्हाब नजदी के रद में किसी को कोई किताब तालीफ करने की ज़रूरत नहीं.

बल्कि रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ौल सीमाहुमुत तहलीक ही उन के रद के लिऐ काफी है. क्यों कि इन नजदियों के इलावह किसी भी गुमराह फिरके ने ऐसा नहीं किया. मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी उन औरतों का भी सर मुन्डाने का हुक्म देता था जो उस की पैरवी करती थीं. एक मरतबा एक औरत ज़बरदस्ती उस के दीन में दाखिल की गई और उस (शैख नजदी) के गुमान के मुताबिक़ उसे नये सिरे से इस्लाम में दाखिल किया गया. तो मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी ने उस का सर साफ करने का हुक्म दिया. उस औरत ने उस पर हुज्जत क़ायम करते हुऐ कहा: तुम मर्दों को हलक़ कराने का हुक्म देते हो. अगर तुम उन्हें दाढ़ी मुंडाने का हुक्म देते तो औरतों को सर मुंडाने का हुक्म देना जाइज़ होता. क्यों कि औरतों के सर के बाल मर्दों के दाढ़ी के बालों के दरजा में हैं. यह सुन कर वह काफिर हैरान रह गया और उस से कोई जवाब नहीं बन पड़ा. लेकिन उस खबीस ने ऐसा इस लिऐ किया कि उस पर और उस के पैरूकारों पर सीमाहुमुत तहलीक़ सादिक़ आजऐ. क्यों कि उस का क़रीबी माना सर मुंडाना ही समझा गया है. लिहाज़ा नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल की सच्चाई ज़ाहिर हो गई.

नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की जानिब इशारा करते हुऐ कहा: यहाँ से शैतान की सींग ज़ाहिर होगी. एक रिवायत में ब सेग़ऐ तसनियह ह(यानी शैतान की दो सींगें ज़ाहिर होंगी). कुछ उलमा ने फरमाया: शैतान की दो सींगों से मुराद मुसैलमा कज़्ज़ाब और मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी हैं. और एक रिवायत में आया: (तर्जमा) यानी नजद में पेचीदह बीमारी है.... कुछ शारेहीन ने फरमाया इस से मुराद हिलाकत है.

तारीख की कुछ किताबों में क़िताले बनी हनीफा के बाद मज़कूर है कि आखरी

ज़माने में मुसैलमा की बस्ती में एक आदमी पैदा होगा जो दीने इस्लाम को बदल देगा. उस का ज़िक्र उन हदीसों में भी है जिन में फितनों का ज़िक्र है. मसलन अल्लाह के नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) मेरी उम्मत में एक बड़ा फितना ज़ाहिर होगा जो अरब के हर घर बल्कि पूरे अरब में पहुँच जाऐगा. उस फितने के मक़तूल दोज़ख में जाऐंगे. उस में ज़बान की मार तलवार की मार से ज़्यादह सख्त होगी... और एक रिवायत में इस तरह हैः (तर्जमा) अनक़रीब एक ऐसा फितना ज़ाहिर होगा जो बहरा, गूंगा और अन्धा होगा. यानी लोगों की बसीरतें अन्धी हो जाऐंगी तो उन्हें हक़ की राह नज़र नहीं आऐगी और वह हक़ सुनने से बहरे हो जाऐंगे जो इस फितने को देखेगा वह फितना भी उस के क़रीब आऐगा..... और एक रिवायत इस तरह हैः नजद से एक शैतान ज़ाहिर होगा जिस से अरब का जज़ीरह थर्रा जाऐगा.....

और हज़रत अल्लामह हबीब अलवी इब्ने अहमद बिन हसन बिन क़ुतुबे हबीब अब्दुल्लाह अलवी ने अपनी अज़ीमुश शान किताब (मिस्बाहुल अनाम व जिलाउज़्ज़लाम फिरद्दे अलन नजदिल लज़ी अदल्लल अवाम)जो कि उन्हों ने मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी के रद में लिखी है. उस में इस मौज़ू की बहुत सी हदीसें ज़िक्र की हैं. उन में एक हदीस वह भी है जो नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन मरवी है. आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) बारहवीं सदी हिजरी में वादिऐ बनी हनीफा में एक आदमी निकलेगा जो बैल की तरह अपने मोटे मोटे होंटों को चाटता रहेगा. उस के ज़माने में बड़े इखतेलाफ होंगे. यह लोग मुसलमानों के मालों को हलाल समझ कर लूट लेंगे और उन से तिजारत करेंगे, मुसलमानों का खून बहाऐंगे और उस पर फखर करेंगे. यह ऐसा फितना होगा जिस पर कमीने और नादान लोग नाज़ करेंगे. यह लोग खुवाहिशात की

पैरवी इस तरह करेंगे जिस तरह कुत्ता अपने आक़ा की पैरवी में उस के साथ साथ रहता है..... इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद फरमायाः इस हदीस के बहुत से शवाहिद हैं जिन से इस के माने को क़ुव्वत हासिल हो गई है अगर चे यह इल्म नहीं कि इस की तखरीज किस मुहद्दिस ने की है. फिर अल्लामऐ मज़कूर ने अपनी इसी किताब में फरमायाः इस से भी ज़्यादह वाज़ेह बात यह है कि यह मग़रूर मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब क़बीलऐ बनी तमीम से है. लिहाज़ा ऐन मुमकिन है कि यह ज़ुल खुवेसरह तमीमी की पुश्त से हो जिस के बारे में हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूले पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (तर्जमा) उस की पुश्त से एक क़ौम पैदा होगी जो क़ुरआन पढेगी लेकिन क़ुरआन उन के हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा. दीन से ऐसे निकल जाऐंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है. मुसलमानों को क़तल करेंगे और काफिरों को छोड़ देंगे. अगर में उन को पा गया तो उन्हें क़ौमे आद की तरह क़तल करूंगा.....

यह हक़ीक़त है कि यह खारजी मुसलमानों को क़तल करते हैं और काफिरों से कोई छेड़ छाड़ नहीं करते हैं. जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरजियों को क़तल किया तो एक आदमी ने कहाः तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिऐ हैं जिस ने इन्हें हिलाक कर के हमें इन से निजात दे दी. यह सुन कर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमायाः हरगिज़ नहीं. क़सम है उस ज़ात की जिस के क़बज़ऐ क़ुदरत में मेरी जान है इन में से कुछ अभी मर्दों की पुश्तों में हैं. अभी औरतें उन से हामिला नहीं हुई हैं. और ज़रूर बिज़ ज़रूर इन का आखरी शख्स मसीहे दज्जाल के साथ होगा.

एक हदीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है. उस में है कि बनी हनीफा मुसैलमा कज़्ज़ाब की क़ौम को कहते हैं और उस हदीस में यह भी हैः (तर्जमा) उन की वादी हमेशा के लिऐ फितनों की वादी रहेगी. और अपने कज़्ज़ाब व

दज्जाल की वजह से क़यामत तक फितनों का गहवारह रहेगी..... और एक रिवायत में है: (तर्जमा) यमामा के लिऐ तबाही व बरबादी है, ऐसी तबाही व बरबादी जो उस से जुदा नहीं होगी.... और मिशकात की हदीस इस तरह है: (तर्जमा) अखरी ज़माने में कुछ लोग पैदा होंगे वह तुम से ऐसी बातें करेंगे जिन्हें ना तुम ने सुना होगा और ना तुम्हारे बाप दादाओं ने. तुम उन से दूर रहना और उन को अपने से दूर रखना. कहीं वह दुम्हें बहका ना दें कहीं वह तुम्हें फितने में ना डाल दें.....

अल्लाह तआला ने बनी तमीम के बारे में फरमाया: (तर्जमा)वह जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकार रहे हैं उन में अकसर बे अक़ल हैं... (अल हुजरात: ४) और यह आयते करीमा भी उन के बारे में नाज़िल हुई है: (तर्जमा) अऐ ईमान वालो! अपनी आवाज़ें ऊंची ना करो इस ग़ैब बताने वाले (नबी) की आवाज़ से.... (अल हुजरात: २) हज़रत अलवी हद्दाद (कि जिन का ज़िक्र अभी हो चुका है) ने फरमाया: बनी हनीफा.तमीम और वाइल की मज़म्मत में बहुत कुछ आया हुआ है. आप के लिऐ इतना ही काफी है कि अकसर खवारिज इन्हीं क़बीलों से हैं. सरकश इब्ने अब्दुल वह्हाब नजदी और इस गुमराह फिरकह का अमीर अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद भी इन्हीं में से हैं.

और मरवी है कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: (तर्जमा) इस्लाम की शुरआत में मैं हर मौसमे हज में तमाम क़बीलों में जाता था. तो क़बीलऐ बनी हनीफा से ज़्यादह क़बीह और खबीस जवाब मुझे किसी से नहीं मिलता था.....

हज़रत अलवी हद्दाद ने फरमाया: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत के लिऐ जब मैं ताइफ आया तो हज़रत अल्लामह ताहिर सुम्बुल हनफी इब्ने शैख मुहम्मद बिन सुम्बुल अश शाफई से

मुलाक़ात की. उन्हों ने मुझे बताया कि मैं ने (अल इन्तिसार लिल औलियाइल अबरार) के नाम से एक रिसालह इन वहाबियों के रद में लिखा है और फरमाया: मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तआला इस रिसाले के ज़रिये हर उस आदमी को नफा देगा जिस के दिल में शैख नजदी की बिदअत दाखिल ना हुई हो.रहे वह लोग कि जिन के दिल में उस की बिदअत दाखिल हो गई तो उन के फलाह पाने की उम्मीद नहीं. क्यों कि बुखारी शरीफ में है: (तर्जमा) दीन से निकल जाऐंगे फिर पलट कर नहीं आऐंगे... और कुछ उलमा के बारे में जो लिखा है कि उन्हों ने मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी के अफआल मसलन बद्दुओं को नमाज़ का पाबन्द बनाना, ज़ाहिरी बुरे कामों को और डाका ज़नी को छुड़ा देना और उन्हें तौहीद की तरफ बुलाना वग़ैरह को सही क़रार दिया. तो उन का नजदी के अफआल को सही क़रार देना सही नहीं है. क्यों कि यह कुछ उलमा उस की बिदआत व मुनकिरात और बुरे अफआल मसलन छे सौ साल के तमाम मुसलमानों को काफिर क़रार देना, बहुत सी दीनी किताबों को जला देना, बेशुमार उलमा और खास व आम को बे दर्दी से क़तल करना, मुसलमानों की जान व माल को अपने लिऐ जाइज़ समझना, अल्लाह तआला के लिऐ अक़ीदऐ तजसीम को ज़ाहिर करना और उस को बयान करने के लिऐ दरसगाहें लगाना, नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबियों और औलियाऐ सालिहीन की तौहीन करना और उन की क़ब्रों को गिरा देना और अहसा में यह फरमान जारी करना कि औलिया की क़ब्रों को बैतुल खला बना दिया जाऐ, लोगों को दलाइलुल खैरात वग़ैरह वज़ाइफ की किताबों को पढ़ने से रोकना, जशने विलादते मुस्तफा मनाने से, अज़ान के बाद मिम्बर पर सलात व सलाम पढ़ने से रोकना और ऐसा करने वाले को क़तल कर देना वग़ैरह बुरे अक़ाइद से वाक़िफ नहीं हो सके. इस लिऐ उन्हों ने उस के उन अफआल को सराहा जिन का वह लोगों को हुक्म देता था.

मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नबुव्वत का दावा करना चाहता था:- यह जाहिल नबुव्वत के दावे की राह हमवार करने के लिऐ कुछ निचले और घटिया क़िस्म के लोगों की दावत करता था और उन्हें अपने मज़मून कलाम से उस (की ज़रूरत व अहमियत) को समझाता था. नमाज़ के बाद दुआ मांगने से मना करता था और ज़कात का माल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ जहाँ चाहता खरज करता था. उस का एतक़ाद था कि इस्लाम उस में और उस के मानने वालों में मुनहसिर है और पूरी मखलूक मुशरिक है. वह अपने खुत्बों और मजलिसों में इस बात को सराहतन बयान करता था कि अंबिया और औलिया से तवस्सुल करने वाला(उन्हें वसीलह बनाने वाला) काफिर है और गुमान करता था कि जो किसी को मौलाना या सय्यदना कहदे तो वह काफिर हो जाता है. उस नादान जाहिल ने सय्यदना यहया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तआला का क़ौल ﴿وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا﴾ नहीं पढ़ा? और नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस क़ौल को भी नहीं देखा जो आप ने सअद बिन मआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लिऐ अनसार से कहा था कि: अपने सरदार के लिऐ उठ जाओ.. नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ऐ अक़दस की ज़ियारत से मना करता था और कहता था कि वह तो मर चुके हैं (मआज़ल्लाह). इल्मे नहव, इल्मे लुगत और इल्मे फिकह का इन्कार करता था और इन उलूम का दरस देने से भी रोकता था और कहता था कि यह उलूम बिदअत हैं.

उस के बाद हज़रत अलवी अल हद्दाद ने अपनी किताब में कहा: हासिल यह है कि मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी के अक़वाल व अफआल से हमारे नज़दीक उस के ऐसे अक़ाइद साबित होते हैं जो वजूबी तौर से उसे मज़हबे इस्लाम से बाहर निकाल रहे हैं. क्यों कि वह उन मालों को हलाल क़रार देता है जिस की हुरमत पर इजमा है और ऐसी चीज़ों का इन्कार करता है जिन का ज़रूरियाते दीन से होना मालूम है और उन में कोई तावील भी नहीं हो सकती. और यह अंबिया व मुरसलीन और औलिया व

सालिहीन की शान में गुस्ताखी करता है. और जान बूझ कर उन की तौहीन करना चारों इमामों के नज़दीक कुफ्र है.

इस से पहले गुजर चुका कि वह ९२ साल ज़िन्दा रहा. क्यों कि उस की पैदाइश ११११ हिजरी में और हिलाकत १२०६ हिजरी में हुई. कुछ तारीख लिखने वालों ने उस के हिलाकत की तारीख १२०६ हिजरी (खबीस हिलाक हो गया) से निकाली है. मरने के बाद अब्दुल्लाह, हसन, हुसैन और अली की शक्ल में नाखलफ औलाद छोड़ी जिन्हों ने तहरीके वह्हाबियत को फरोग़ दिया. उन्हें औलादुश शैख (शैख की औलाद) कहा जाता था. उन में अब्दुल्लाह सब से बड़ा था. यही अपने बाप के बाद तहरीक का ज़िम्मा दार हुआ. उस के दो लड़के थे. सुलैमान और अब्दुर रहमान. सुलैमान बिदआत व मुन्किरात में अपने बाप से भी आगे था. इस लिऐ १२३३ हिजरी में इब्राहीम पाशा ने उसे क़तल कर दिया और अब्दुर रहमान को क़ैद करके मिस्र भेज दिया जहाँ वह एक मुद्दत तक ज़िन्दा रहा और उस के बाद हिलाक हो गया. हसन बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब अब्दुर रहमान का जानशीन बना और जिन दिनों वहाबी मक्कह के हाकिम थे तो यह हसन मन्सबे क़ज़ा पर क़ाबिज़ था. अब्दुर रहमान एक लम्बे अरसे तक ज़िन्दा रहा और तक़रीबन सौ साल का हो कर मरा. अब्दुल लतीफ नामी एक लड़का छोड़ गया. हुसैन बिन मुहम्मद की बहुत सी औलादें थीं. उन की नसल आज भी दरइय्यह में बाक़ी है और औलादुश शैख से जानी जाती है.

लतीफा:- ज़ुबैर नामी शहर में एक बड़े नेक पारसा आलिमे दीन रहते थे. नाम था शैख अब्दुल जब्बार. उसी शहर की मस्जिद में इमामत करते थे. जिस ज़माने में इब्राहीम पाशा ने शहरे दरइय्यह पर हमला कर के उसे तबाह और उस के रहने वालों को बरबाद कर दिया था उस वक़्त वहाँ दो आदमियों के दरमियान इस वहाबी गुमराह गरोह को लेकर बहस हो गई. उन में से एक ने दूसरे से कहा: यह हुकूमत खतम हो

जाऐगी और इस दीन (दीने वाहाबी) का मामला ज़रूर पलट कर आऐगा जैसा कि पहले था और यह हुकूमत ख़तम हो जाऐगी. दूसरे ने कहा: उन का मामला पहले की तरह कभी वापस नहीं आऐगा और न ही उन की बिदआत व खुराफात का दोबारा रिवाज होगा. फिर दोनों का इस बात पर इत्तेफाक़ हुआ कि सुबह चल कर नमाज़े फजर शैख अब्दुल जब्बार के पीछे पढ़ेंगे और ग़ौर से सुनेंगे कि फजर की पहली रकात में सूरऐ फातिहा के बाद कौन सी सूरह पढ़ते हैं. उसी से नेक शगुन लेकर अपने इखतिलाफ का फैसला कर लेंगे. दोनों गऐ और उन के पीछे नमाज़े फजर पढ़ी. उन्हों ने सूरऐ फातिहा के बाद पहली रकात में यह आयत पढ़ी : ﴿وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (तर्जमा) और हराम है उस बस्ती पर जिसे हमने हिलाक कर दिया कि लौट कर आऐं..... (अल अंबिया: ९५) दोनों को बहुत तअज्जुब हुआ और दोनों इस आयत के फैसले पर राज़ी हो गऐ.

والله سبحانه و تعالىٰ أعلم و صلّى الله تعالىٰ علىٰ سيدنا محمد و علىٰ آلهٖ و صحبه و سلم